1408/4

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 नवम्बर, 1996

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 20 नवम्बर, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
तारांकित प्रश्न संख्या 150 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना।	(3) 12
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3) 14
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 14
गन्ना उत्पादकों को 25 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करना।	(3) 29
वक्तव्य—	
सहकारिता तथा श्रम मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी।	(3) 30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(3) 38
(ii) मुख्य मंत्री द्वारा	(2) 38
वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(3) 39
श्री बलाहके माइजल कलाउडे, फ्रांस के राजदूत का अभिनन्दन	(3) 44

(12)

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

तारांकित प्रश्न संख्या 150 पर आधे घण्टे की चर्चा (3) 44

बिल्ज — (3) 44

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन (3) 55

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 55

वाक आउट (3) 57

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 62

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996 (3) 63

बैठक का समय बढ़ाना (3) 64

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 66

बैठक का समय बढ़ाना (3) 67

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 78

(iii) गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (3) 79

वाक आउट (3) 80

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 88

(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (3) 88

(v) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (3) 90

बैठक का समय बढ़ाना (3) 92

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (3) 93

(vi) दि हरियाणा श्री माता शीतला देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (3) 93

(vii) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (3) 94

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव (3) 95

(3) 97

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह धीहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Shortage of Doctors

*117. *Shri Jagbir Singh Malik
Shri Sat Pal Sangwan } : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of doctors and other para-medical staff in Hospitals, Community Health Centres, Primary Health Centres in rural areas in the State; and

(b) if so, the reasons thereof, together with the steps taken or proposed to be taken to meet out the aforesaid shortage of doctors and other para-medical staff ?

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) :

(क) जी हाँ, श्रीमान। ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों के 219 पद तथा पैरा मैडीकल स्टाफ के 1125 पद रिक्त हैं।

(ख) जून, 1995 में 315 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था जिन में से 197 ने ड्यूटी ग्रहण की थी। 205 चिकित्सकों का मांगपत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा डाक्टरों का दिसम्बर, 1996 के प्रथम सप्ताह में साक्षात्कार प्रस्तावित हैं। जहाँ तक पैरा मैडीकल स्टाफ का संबंध है, इन पदों को भरने के लिए सचिव, एस०एस०एस० बोर्ड हरियाणा को मांग पत्र भेजा हुआ है परन्तु उनसे सिफारिश अभी अपेक्षित है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र पंचकूला जैसे शहर में तो निर्धारित डाक्टरों से अधिक डाक्टर लगाए हुए हैं जबकि गोहाना में जो सैंक्शन्ड स्ट्रैंथ है उससे आधे लगाए हुए हैं। गोहाना में जो सी०एच०सी० है उसका सिविल हस्पताल का दर्जा होना चाहिए था। वहां पर 5 मैडिकल आफिसर्ज की पोस्टें सैंक्शन्ड हैं लेकिन दो ही लगे हुए हैं और इनमें से कोई भी स्पैशलिस्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन पोस्टों को जो वहां के लिए सैंक्शन्ड हैं कब तक भर दिया जाएगा। दूसरे मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि सोनीपत जिले में 21 सब हैल्थ सैन्टर्ज हैं जो 1981-92 तक के बीच बने थे। इनकी बहुत ही खस्ता हालत है।

*Put by Shri Jagbir Singh Malik

[श्री जगबीर सिंह मलिक]

चौधरी भजनलाल जी जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं और जिनकी इनके लोग तारीफ करते हैं, उनके समय में ये बने थे। इनमें से कोई भी सैंटर काम नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इनकी हालत ठीक करके वहां पर कब तक काम शुरू करवा दिया जाएगा ? इसके इलावा जिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमें मानना पड़ेगा कि विरासत में हमें डाक्टरों की बहुत रिक्तियां मिली हैं। जहां तक पंचकूला की इन्होंने बात कही उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि पंचकूला हास्पिटल 200 बैडिड है जो इससे भी ज्यादा रोगियों को प्रतिदिन देखता है इसलिए हमें वहां पर कुछ ज्यादा डॉक्टर्ज रखने चाहिएं। इस हस्पताल में दूसरे हस्पतालों की अपेक्षा महिला प्रसूति केसिज भी ज्यादा आते हैं इसलिए अब हमने वित्त विभाग को 10 डॉक्टरों की अन्य पोस्टें सैंक्शन करने के लिए केस भेजा हुआ है। आशा है कि हमें सैंक्शन मिल जाएगी। इन्होंने यह वैसे ठीक नहीं कहा कि पंचकूला में ज्यादा डाक्टर लगाए हुए हैं। इस बारे में मैं इनको कहना चाहूंगी कि पंचकूला में 44 पद सैंक्शंड हैं और वहां पर 44 ही लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं हैं। जहां तक गौहाना में डाक्टरों की कमी की बात है, उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि ज्यों ही हमें नये डॉक्टर मिल जाएंगे उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उस समय वहां पर हम स्पैशलिस्ट डाक्टर भी भेजेंगे और लेडी डाक्टर को भी लगाया जायेगा।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि भिवानी हस्पताल में 8-9 डाक्टरों की कमी है। मैं जानना चाहूंगा कि इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने नकली दवाई बेचने की दुकानें खोल रखी हैं, उन पर क्या सरकार की नजरें हैं। साथ ही मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर ई०एस०आई० हस्पताल काफी दिनों से निर्माणाधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि इस होस्पिटल को कब तक पूरा कर दिया जायेगा क्योंकि वहां पर लेबर काफी है ?

डा० कमला वर्मा : जहां तक भिवानी में डाक्टर्ज की कमी की बात है उस बारे में मैं इनको बताना चाहती हूं कि भिवानी जिले में 31 डाक्टरों की कमी है। मैं इनको आश्वासन देती हूं कि जैसे ही हमें एच०पी०एस०सी० से नए डाक्टर्ज मिल जाएंगे, इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। हम सबसे पहले गांवों में जो रिक्तियां हैं उनको भरेंगे। पहले यह होता था कि जो डाक्टर हम रूरल ऐरिया में लगाते थे वे एक साल के बाद एम०एस० या एम०डी० करने के लिए चले जाते थे जिस कारण रूरल एरिया में बराबर कमी बनी रहती थी। अब हमने रूल्ज के अन्दर परिवर्तन किया है कि तीन साल तक उनको आवश्यक रूप से गांव के अन्दर सेवा करनी पड़ेगी। पांच साल की सेवा होने के बाद ही डाक्टर्ज एम०एस० या एम०डी० कर सकेंगे। इस प्रकार से जो कमी इस वक्त दिखाई दे रही है वह आने वाले समय में दिखाई नहीं देगी। जहां तक ई०एस०आई० हस्पताल के पूरा होने के बारे में पूछे गये सवाल, का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में अपने साथी को बताना चाहूंगी कि ई०एस०आई० कार्पोरेशन का आफिस दिल्ली के अन्दर है और यह कार्पोरेशन ही उसका सारा खर्चा वहन करती है। फिर भी जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा इसका निर्माण करवाया जाएगा। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्पैशली भिवानी डिस्ट्रिक्ट के रूरल ऐरियाज में से सिटीज़ में कितने डाक्टर्ज तबदील किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, रूरल एरियाज के सभी होस्पीटलज़ खाली पड़े हैं। चरखी दादरी में तो पिछले राज में जो होता रहा है क्या अब भी वैसा ही होता रहेगा ? वहां पर ईंटल डाक्टर नहीं है, आई डाक्टर

नहीं है और कोई पैथोलोजिस्ट नहीं है। वहां से डॉक्टर्ज़ को बदल कर कैथल और नारनौल भेज दिया गया है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्ज़ की कमी है, वह कब तक पूरी कर देंगे ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि डॉक्टर्ज़ की रिक्वीज़ीशन हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी हुई है और जैसे ही इन डॉक्टर्ज़ की भर्ती होगी इनको सबसे पहले गांवों में ही लगाया जाएगा। गांवों की जो रिक्तियां हैं पहले उनको पूरा किया जाएगा उसके बाद ही डॉक्टर्ज़ को कहीं और लगाया जाएगा।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर कितने ऐसे डॉक्टर्ज़ हैं जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी नहीं की है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंटरी मूल सवाल से मेल नहीं खाती है इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने हमारी पी०एच०सी० मोखरा में कोई भी डाक्टर या कम्पाउंडर नहीं लगाया था। पिछली सरकार हम पर इतनी मेहरबान रही है कि 4-5 साल से वहां पर कोई डॉक्टर या कम्पाउंडर नहीं लगाया और जो लगाया वह छड़ा लगाया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर कोई डॉक्टर ये कब तक लगा देंगे ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 219 डॉक्टर्ज़ की रिक्तियां गांवों में और 110 रिक्तियां शहरों में हैं। ये सारी रिक्तियां जल्दी ही भरी जाएंगी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को 205 डॉक्टर्ज़ की रिक्विजीशन भेजी हुई है और 150 रिक्तियों को भरने के लिए रिक्वियजीशन अभी इन्हीं दिनों में और भेजने वाले हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलैक्ट होने के बाद भी कई डॉक्टर्ज़ ज्वायन नहीं करते हैं। 1992 से 1995 तक का रिकार्ड अगर देखें तो सिलैक्ट हुए डॉक्टर्ज़ में से 50% डॉक्टर्ज़ ने ज्वायन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर्ज़ की हम एडहाक भर्ती नहीं कर रहे हैं। दो-तीन महीने में पब्लिक सर्विस कमीशन से डॉक्टर्ज़ की रिकमैंडेशन आ जाएगी, पहले हम 205 गांवों की रिक्तियों को पूरा करेंगे। उसके बाद 150 डॉक्टर्ज़ की और रिक्विजीशन भेज रहे हैं ताकि खाली पदों को भर दिया जाए। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक मौलिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन्होंने अपने जवाब में बताया कि 315 डाक्टरों की भर्ती की गई और उनमें से 197 ने ही ज्वायन किया। ऐसा क्यों हुआ ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी डाक्टर एक साल या दो साल सरकारी हस्पतालों में अपनी साख बनाने के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं और अपनी प्राईवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाने जा रही है कि डाक्टर अपनी सर्विस छोड़कर प्राईवेट प्रैक्टिस न कर सकें और उसी हस्पताल में काम करें ?

डा० कमला वर्मा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह ठीक है लेकिन अब हम भर्ती करने के वक्त उनसे पांच साल तक सर्विस करने के लिए लिखित में लेंगे। इस बारे में हम लीगल एडवाईस भी ले रहे हैं कि इसमें कोई बाधा न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आगे जो गांवों के लिए रिक्रूटमैंट होगी तो क्या कम से कम तीन साल की सर्विस करने के लिए उनको देहातों में लगाएंगे ? अब

[श्री कंवल सिंह]

जो मॉन स्पैशलिस्ट डाक्टर हैं, क्या उन पर भी यह कंडीशन लगाएंगे ? क्या उनसे भी उसी अनुपात पर सर्विस करवाएंगे ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब उनकी भर्ती करेंगे तो उनसे लिखित में लेंगे कि तीन साल तक गांव में सर्विस जरूरी है।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि डबवाली में अग्नि कांड हुआ था तो क्या ये मंत्री बनने के बाद वहां पर पीड़ितों का हाल जानने के लिए गई थीं ? दूसरे वहां के हस्पताल में जो मंजूर स्टाफ था क्या वह पूरा है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं इनको जवाब दे देती हूं। वहां पर एस०एम०ओ० एक है, मैडीकल आफिसर चार हैं, जिसमें से एक प्लास्टिक सर्जन भी लगाया गया है। वहां पर कोई डैंटल सर्जन नहीं है। स्टाफ नर्सिज़ चार हैं, एक फार्मेसिसूट, एक रेडियोग्राफर और एक फिज़ियोथैरेपिस्ट डैपुटेशन पर है। अब वहां 60 बैडज़ के हस्पताल के लिए कंस्ट्रक्शन शुरु हो चुकी है। जल्दी ही हस्पताल बन जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि आज डाक्टरों की कमी है। इन हालात में जो डाक्टर डैपुटेशन पर शहरों में गए हुए हैं, उनको गांवों में बुलाकर डाक्टरों की कमी को पूरा करेंगे क्योंकि शहरों में तो डाक्टरों की कमी नहीं होती है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टर्ज़ एम०एस और एम०डी० करके आए हैं हमने पिछले दो महीने में उनको गांवों में ही लगाया है। शहरों में हमने उन्हीं डाक्टरों को भेजा है जिनकी पत्नियां शहरों में प्रोफैसर या किसी और पद पर लगी हुई हैं। उनको हमने कपल केस के कारण ही शहरों में डैपुटेशन पर भेजा है।

Deaths occurred on account of Dengue fever

*108. **Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state the district wise number of persons died on account of dengue fever in the State during the current year ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० कमला वर्मा) : इस वर्ष दिनांक 13-11-96 तक हरियाणा राज्य में जिलावार डेंगू बुखार के कारण हुई मृत्यु बारे सूचना निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	डेंगू बुखार के कारण हुई मौतों की संख्या
1.	भिवानी	01
2.	फरीदाबाद	38
3.	गुड़गांव	01
4.	हिसार	02
5.	करनाल	03
6.	रिवाड़ी	01
7.	सिरसा	04
8.	सोनीपत	01
	जोड़	51

श्री बीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदया ने रिकार्ड के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं मंत्री साहिबा की योग्यता पर संदेह नहीं करता लेकिन जैसा विवरण नेशनल पेपर्ज ने जिलावार डेंगू से मरने वालों का दिया हुआ है उस हिसाब से इनके आंकड़ों में सच्चाई नहीं है। अगर पेपर्ज की बात सच है तो निश्चित रूप से यह असत्य बात है। हमारा जिला इस बीमारी से प्रभावित है। दैनिक ट्रिब्यून ने भी मेहम के गांवों का इस बीमारी के बारे में विवरण दिया हुआ है और मेरे हलके बादली के गांव बाढ़सा, मुनीमपुर, जाहांगीरपुर, बामानोला आदि में भी इस बीमारी से लोग मरे हैं। वहां के लोग व्यक्तिगत रूप में ईलाज के लिए मैडीकल कालेज में भी गए हैं और चूंकि हमारा हलका दिल्ली के साथ लगता है, इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में जाकर अपना ईलाज करवा कर आए हैं। तो मरने वाले तो वे भी हरियाणा के ही हैं लेकिन वे आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। मैं आपके द्वारा बहन जी से अदब के साथ जानकारी चाहूंगा कि जो इन्होंने ये आंकड़े दर्शाए हैं तो क्या ये आंकड़े सरकारी हस्पतालों के ही हैं या प्राईवेट नर्सिंग होम्ज के भी हैं ? प्राईवेट नर्सिंग होम्ज में इस बीमारी से कितने लोगों की मौतें हुई हैं इस पर भी प्रकाश डाल दें ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी, जितने भी प्राईवेट नर्सिंग होमज़ हैं, वहां जाकर चैकिंग करते रहते हैं और वहां की चैकिंग करने के बाद ही हमें यह नम्बर मिले हैं। उस संख्या के आधार पर ही मैंने इनको यह जानकारी दी है।

श्री सतबिन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया के दिए हुए आंकड़ों में कैथल का नाम नहीं आया है जबकि मेरे खुद के गांव में ही एक मौत हुई है। वहां की आज पोजीशन यह है कि वहां एक सड़क एक या डेढ़ किलोमीटर तक टूटी हुई है। हालांकि वहां पर बाढ़ का पानी नहीं है लेकिन उस सड़क में इतने खड्डे हैं कि अभी तक प्रशासन का ध्यान उधर नहीं गया है जबकि कई बार हम डी०सी० से इस बारे में मिले हैं। हमारे यहां के हस्पताल में चार डॉक्टर्ज़ की पोस्ट्स हैं लेकिन सरकार ने एक डाक्टर वहां लगाया हुआ है और वह डाक्टर भी पांच बजे से पहले ही चला जाता है। इसी तरह से हमारे यहां का एक मरीज दिल्ली में है और एक कैथल में दाखिल है अगर यही हालत रही तो महामारी और बढ़ सकती है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि वहां और डाक्टर क्यों नहीं लगाए गए हैं। अगर वहां पोजीशन नहीं सुधरी तो यह बीमारी और बढ़ सकती है।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगी कि डेंगू का मच्छर केवल खड़े हुए पानी में ही नहीं होता बल्कि वह तो ताजे पानी में कूलर में या गिलास में रखे हुये पानी में भी हो सकता है। मलेरिया बुखार की कई किस्में हैं। चूंकि इनका एरिया पैडी ग्रोइंग ऐरिया है इसलिए वहां जापानी एनकफलिट्स बुखार हो सकता है या वहां पर फैल्सीफेरम हो सकता है। मैंने जो सवाल का जवाब दिया है वह डेंगू बुखार के बारे में दिया है। डेंगू बुखार की भी कई किस्में हैं। डेंगू बुखार सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसको डेंगू हेमरेजिक कहते हैं। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से से रक्त निकलना प्रारम्भ हो जाता है। वह डेंगू एडीजेजीवटी मच्छर के नाम से जाना जाता है जिसको कमर तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह ज्वर बहुत तेज होता है। अगर इन सब को डेंगू बुखार मानें तो ठीक नहीं। चाहे फैल्सीफेरम हो, चाहे जापानी एनकफ्लिट्स हो चाहे तीए का बुखार हो तो वे सारे मलेरिया के अन्तर्गत आएंगे। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कैथल में पानी खड़ा है या कोई सड़क टूटी हुई है तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने परसों हमारे काम रोको प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि 4 हजार 27 आदमी मरे हैं (विघ्न)

Mr. Speaker : Please ask direct question.

श्री भजन लाल : इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि गुड़गांव में डेंगू से एक मरा है तो मैं जानना चाहता हूं कि मेवात का एरिया गुड़गांव में है या नहीं ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Speaker, Sir, he is misleading the House. The figure given by the Minister was only 2047.

श्री भजन लाल : यह तो रिकार्ड की बात है। कम से कम जवाब तो सरकार ठीक तरीके से दे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप सीधी सप्लीमैंटरी पूछें कोई स्पीच न दें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

Shri Bansi Lal : He is misleading the House.

डा० कमला वर्मा : स्पीकर सर, मैं आपको बताती हूं कि परसों मैंने मलेरिया के आंकड़े दिए थे और मेवात एरिया में मलेरिया ही फैला है। डेंगू को तो हमने फरीदाबाद से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। फरीदाबाद में भी इसलिए आया क्योंकि यह रोग साउथ दिल्ली से फैला था और मैंने 2 हजार 47 कहा था न कि 4 हजार 27 कहा था। माननीय सदस्य मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम उन्हें तो हाउस को मिसलीड नहीं करना चाहिए। डेंगू और मलेरिया में बहुत अंतर है। मैंने हाउस को न तो कभी गलत इनफर्मेशन दी है न आगे दूंगी। जो सच्चाई है वह माननीय सदस्य को माननी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : I would request all the Members to maintain decorum.

चौधरी भजन लाल जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हो, आपको तो यह बात जाननी चाहिए कि स्पीकर जब खड़े हों तो आपको बैठ जाना चाहिए। Now no Member should rise in his place when I am speaking, otherwise I will take it very seriously.

श्री भजन लाल : ऐसी प्रथा हमने कभी नहीं डाली कि जब आप खड़े हों तो हम खड़े रहें। हम तो आपके खड़े होते ही बैठ जाते हैं।

Mr Speaker : I asked you to take your seat but you did not take your seat.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर साहब, इसमें कोई ऊंचा नीचा बोलने वाली बात नहीं है। इस सदन की एक गरिमा है। इसमें जो मंत्री महोदय कहते हैं या सरकार कहती है उसका रिकार्ड आपके सचिवालय में मौजूद है और विपक्ष जो कहता है उसका रिकार्ड भी मौजूद है। कितनी बड़ी बात चौधरी भजन लाल जी ने कह दी कि कल स्वास्थ्य मंत्री महोदया ने 4 हजार 27 की फिगर दी थी। जो सवाल के जवाब की कापी जाती है वह तो भजन लाल जी के पास भी है और हमारे पास भी है। 2 हजार 47 का आंकड़ा हमने कैटेगरीकली दिया है। जवाब में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखा है और 2 हजार 47 की जो फिगर है वह मलेरिया बुखार से रिलेटिड है। डेंगू बुखार से तो हरियाणा प्रदेश में केवल 52 मौतें हुई हैं। यह सब स्पेसिफाई किया हुआ है। जो हम स्पेसिफिक फिगर या जानकारी दें और कोई उस पर आरोप लगाये, यह अच्छा नहीं लगता। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि चण्डीगढ़ के किसी सदस्य ने हाई कोर्ट में रिट की है कि उसने श्री पी०वी० नरसिम्हा राव और भजनलाल जी को चिठ्ठी लिखकर आगाह किया था कि अगले साल डेंगू फैलने वाला है। पिछले साल पता नहीं चौधरी भजन लाल ने वह चिट्ठी कहां गुम कर दी और किसी को इस बारे जानकारी नहीं दी कि डेंगू फैलने वाला है। इसके लिए चौधरी भजनलाल जी जिम्मेदार हैं (धम्पिंग) (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर नहीं है। ऐसी बातें अगर प्रश्न काल में कहते हैं तो वह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप अपना सप्लीमैंटरी पूछिये।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री साहिबा ने स्वीकार किया है कि डेंगू की महामारी का दिल्ली में काफी प्रभाव रहा और उसका कुछ प्रभाव हरियाणा प्रदेश पर भी पड़ा। मैं मंत्री साहिबा का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि मेरे हल्के बादली में जोकि दिल्ली से फरीदाबाद की बजाये काफी नजदीक है, डेंगू बुखार का प्रभाव ज्यादा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप अपना क्वैश्चन पूछिये।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां पर डेंगू का प्रभाव रहा, मैं उन गांवों के मंत्री साहिबा को नाम बता सकता हूं परन्तु जो आंकड़ें इन्होंने पेश किए हैं उनमें उन गांवों के नाम भी नहीं दर्शाये गए हैं, जो 51 का आंकड़ा दिया है क्या उसमें वे आंकड़े भी शामिल हैं जो रोगी प्राईवेट नर्सिंग होम्ज़ में दाखिल हुए थे। उन समेत विवरण आप दीजिए।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, रोहतक में 45 तक डेंगू रोग से प्रभावित लोगों का आंकड़ा पहुंचा था परन्तु तब तक हमारे डाक्टरों ने इस रोग पर काबू पा लिया था। नर्सिंग होम्ज़ के आंकड़े भी कुछ हमने शामिल किए हैं। अगर धीरपाल जी हमें गांवों के नाम बतायेंगे तो हम इंक्वायरी करवा लेंगे।

REPAIR OF ROADS

*98 **Shri Siri Krishan Hooda :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of Kiloi Constituency by the Haryana State Agricultural Marketing Board :

i) Kiloi to Rurki;
ii) Mungan to Bakheta;
iii) Mungan to Assan;
iv) Chamarian to Khidwali; and
v) Khidwali to Gharoti ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : हां, इन सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य दिनांक 31-5-97 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सड़कों पर चेपी लगाने का काम था वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सड़कों की मरम्मत का काम 31.5.97 तक पूरा हो जायेगा।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन सड़कों पर मामूली चेपी ही लगनी है और इस काम के लिए क्या एक साल लगेगा। सड़कें जब टूटी फूटी हों तो लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है इसलिए इनको कम से कम समय में पूरा करना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बनते ही यह फैसला किया था कि राज्य में जितनी भी सड़कें हैं उनकी टूट-फूट का काम जोर-शोर से किया जाये और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि चाहे कोई भी विधान सभा का सदस्य हो चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष का उनके विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो सड़कों की मरम्मत का काम पूरा होने के बारे में पूछा है तो हमने उसके लिए स्वीकृति दे दी है और 31.5.97 तक वह काम पूरा हो जायेगा।

.00 बजे

श्री सूरजमल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसे कि मंत्री जी मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में कह रहे हैं मेरे गांव मुरथल में कई साल पहले ठेकेदारों ने सड़कें बनाने के लिए सामान डाला था, जोकि अब दुबारा उठा लिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दोबारा वहां पर निर्माण कार्य हो सकेगा या नहीं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह सवाल किसी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों से संबंधित है। अगर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की किसी खास सड़क के बारे में जानना चाहते हैं तो वे लिखकर के दें। जहां तक मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में बात है चाहे वह किसी भी विधान सभा क्षेत्र में हों, वे सभी सड़कें मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा बनाई जाएंगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन सड़कों की मरम्मत 31-5-1997 तक पूरी कर दी जाएगी क्या उन पांचो सड़कों में से किसी एक सड़क पर काम शुरु हुआ है ? अगर हुआ है तो कृपया उस सड़क का नाम बताएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दे सकता हूं कि कौन सी सड़क पर कितने पैसे का हमने प्रावधान किया है। (विघ्न) जहां तक काम शुरु करने की बात है, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह काम 31-5-97 तक पूरा हो जाएगा तथा मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह काम जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि गांवों की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी, क्या शहरों की सड़कों की मरम्मत भी मार्किटिंग बोर्ड कराएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब इनका राज था तो इन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों, चहेते मंत्रियों तथा मुख्य मंत्री के अपने पुत्र के इलाकों की सड़कों के लिए कितने ही करोड़ों रुपये के एस्टिमेट बनवाए। जहां तक माननीय सदस्य राणा साहब ने शहरों की सड़कों की बात की है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि मार्किटिंग बोर्ड इन सड़कों की मरम्मत करवाए अथवा नहीं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मार्किटिंग बोर्ड का पैसा ग्राम पंचायत मार्गों और इनकी मरम्मत के लिए खर्च किया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड का कितने प्रतिशत पैसा ग्रामीण अंचल में खर्च किया जाता है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर ये इस सवाल के लिए अलग से लिखकर दे देंगे तो मैं इसका जवाब दे पाउंगा।

Pollution created by Wine Factory, Hissar.

***150. Shri Attar Singh Saini :** Will the Minister for Home be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the pollution is being caused by the Associated Distillery Hisar; if so, the steps so far taken or proposed to be taken to check the pollution caused by the above said distillery ?

Home Minister (Sh. Mani Ram Godara) : Yes Sir. Prosecution proceedings have been initiated against M/s Associated Distillery, Hissar in the Court at Hissar under sections 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (Water Act) for non-compliance of prescribed standards and for contravention of sections 25 and 26 of the Water Act. In addition, a notice of closure has also been issued under section 33-A of the Act.

Shri Attar Singh Saini : Will the Home Minister be pleased to state whether the defence Authorities have ever objected to the installation of this factory, if so, why this factory has not been winded up so far ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, रिवाज के मुताबिक अगर मैं इनकी सप्लीमैंटरी का जवाब दूं तो वह बहुत थोड़ा सा है हां या न। लेकिन हाउस में मैं रिवाज के मुताबिक नहीं बल्कि मैं फैक्ट के मुताबिक जवाब देना चाहूंगा। मैं इस बारे में थोड़ा डिटेल में जवाब देने के लिए आपसे परमिशन लूंगा क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। जवाब देते हुए मैं आनरेबल मैम्बर से भी प्रार्थना करूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा उसको मैं अपने डिपार्ट के अन्दर ले कर चलता हूं। सोशियो पोलिटिकल कंसिडेशन से सारे भारत के अन्दर हर स्टेट की गवर्नमैंट के डिवैल्पमैंट के काम रुके हुए हैं। पोल्यूशन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। मुझे यह कहते हुए कुछ शर्म सी महसूस होती है और वह इसलिए होती है कि यहां पर हम पोलिटिकल सोच के हिसाब से फैसले करते हैं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। उस सोच के हिसाब से तो आपके सामने मैंने कागजात रखे हैं, उनको मैं थोड़ा डिटेल में रखना चाहता हूं ताकि मैम्बर साहब को मेरा जवाब तसल्लीबख्श लगे। स्पीकर साहब, यह एसोसिएटिड डिस्टलरी 1984 में लगी और वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में बना। वाटर पोल्यूशन एक्ट के मुताबिक हर फैक्टरी को एक नो औब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मंत्री भी रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि क्वैश्चन आवर में there is no point of order. Captain Sahib, Please take your seat.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैटर सबजुडिस हो क्या उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है ? इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, मैं अपने आनरेबल मैम्बर साहब जो मेरे कल परसों ही गुरु बने हैं से प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला सबजुडिस है। If it is so, it should not be discussed.

Sh. Mani Ram Godara : Speaker, Sir, I will not quote that portion which is sub-judice. The case is in the court.

श्री भजन लाल : स्पीकर सर, यह मैटर सबजुडिस है। मैं यह बात आन ओथ कहता हूं कि यह मामला सबजुडिस है। हाउस के अन्दर इनके सैक्रेटरी साहब बैठे हैं ये उनसे पता कर सकते हैं कि यह मैटर सबजुडिस है या नहीं। इन्होंने अभी खुद कहा है कि यह मामला कोर्ट में है। यदि कोई मामला कोर्ट में हो तो क्या उसके बारे में हाउस के अन्दर डिस्कशन हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : होम मिनिस्टर साहब बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। (शोर)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय सदन की परम्परा है कि जब कोई सदस्य किसी सवाल पर सप्लीमैंटरी पूछे तो उसका जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। श्री अतर सिंह जी ने नोटिस दिया है इसलिए हमारी जवाब देने की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जहां की ये बात कर रहे हैं वह इलाका हमारी छावनी का इलाका है और वहां सारा वातावरण दूषित हो रहा है। उन लोगों ने इस पर एतराज किया था।

Mr. Speaker : This does not relate to any Court proceedings.

श्री भजन लाल : इन्होंने जवाब में कहा है कि यह मामला सब जुडिस है। इन्होंने अपने जवाब में लिखा है "मै० ऐसोशियेटड डिस्टीलरी, हिसार के विरुद्ध जल (प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 और 44 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना न करने और जल अधिनियम की धारा 25/26 का उल्लंघन करने हेतु हिसार के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 33क के अंतर्गत इकाई को बंद करने का नोटिस दिया गया है।" इन्होंने अपने जवाब में माना है, यह रिकार्ड पर है इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठिए। मैंने होम मिनिस्टर साहब से पहले ही कहा है कि अगर यह मामला सबजुडिस है तो it should not be discussed. If it is not sub-judice, then he will reply. जो पार्ट सबजुडिस नहीं है, उसका जवाब दे सकते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, सबजुडिस मैटर हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता। लेकिन सब-जुडिस मैटर में कौन सा मामला डिस्कस नहीं होगा और कौन सा होगा। If there is an appeal pending in the court, then you cannot discuss the merits and demerits of the judgement. Secondly, if the case is pending in the trial court, you can not discuss certain things which can influence the evidence. Otherwise the Minister is competent to give reply to a matter which is so-called sub-judice. But these two conditions refrain him from making any comments on the matter.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह मामला हाउस के विचाराधीन है। यह मामला न केवल हाउस के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है जिससे सारा प्रदेश लाभान्वित होगा। मुद्दा बहुत अहम है। अब सवाल यह उठता है कि मामला सबजुडिस है एक कहता है कि

सबजुडिस नहीं है और दूसरा कहता है कि सबजुडिस है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। आज का विषय तो महत्वपूर्ण है ही इसलिए ये दोनों एफीडेविट दे दें ताकि एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज के लिए चर्चा का अवसर हाउस को मिल जाये।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटैक्शन चाहता हूं। मैंने आपसे अर्ज किया था जो मामला कोर्ट से संबंधित है उसको टेकअप नहीं करूंगा।

Mr. Speaker : All right, then go ahead.

Shri Mani Ram Godara : This is also general, not vague general but very particular general. It is a question of pollution. When we talk about pollution, it is not challenged in any court anywhere in India. It has never been challenged. तो मैं यह कह रहा था कि 1974 में पोल्यूशन एक्ट आया उसके बाद 10 साल बीत गए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इसे भाषण का रूप नहीं दूंगा। जो सप्लीमैंटरी आनरेबल मैम्बर ने पूछी है उसमें बहुत विस्तार तक पहुंचा जा सकता है। देश के डिफैंस परसोनल ने अपने प्रोटैक्शन के लिए कहां-कहां प्रक्रिया की, कहां-कहां इसकी फरियाद की, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। फिर देश के अंदर पोल्टिकल सिचुऐशन ने किन-किन हालात के अंदर क्या-मोड़ लिया। एक काम को एक्ट के रूप में पार्लियामैंट ने पास कर दिया और उसको ओवर लुक कर दिया। इस सारे पोल्टिकल कंसिडेशन के अंदर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिषय बन गया है और हमारे देश की पोल्टिकल सिचुएशन तक आ चुका है। इस सारी पोजीशन को बताकर सप्लीमैंटरी का जवाब आएगा। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker : I will not allow you to act in such a way. (Interrruptions) Please take your seats.

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही लम्बा मामला है। मैं अभी कह रहा था कि 1974 के अंदर यह एक्ट बना। (विघ्न) सारे हिन्दुस्तान के अंदर हर गवर्नमैंट के सामने यह एक्ट आ चुका है। उसके बाद हरियाणा के अंदर जो गवर्नमैंट थी उससे 1984 के अंदर मै० ऐसोसिएटिड डिस्टिलरी के नाम से शराब बनाने की फैक्टरी चलाने का लाईसैंस लेने के लिए नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट मांगा और उसे नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट मिल गया। उन्होंने मई में नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट के लिए अप्लाई किया और अगस्त के अंदर यह डिस्टिलरी चालू भी हो चुकी थी। पोल्यूशन के लिए नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट लेने के लिए लिख कर देना होता है कि पोल्यूशन एक्ट के मुताबिक जो शर्तें हैं वे मैंने पूरी कर दी हैं। अब सवाल इस चीज का आया कि क्या उन्होंने लिख कर दिया ? (विघ्न एवं शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (विघ्न एवं शोर) * * * * *

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, * * * * *

श्री अध्यक्ष : अगर आप लोगों ने यह सोच रखा है कि वाक आउट करना है तो यह दूसरी बात है (विघ्न) आप आराम से उन्हें सुनिए। उन्होंने भी आपको सुना है, आप उनकी बात सुनें और आप सभी लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपने वाले दिन भूल गए हैं कि क्या होता था। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे ब्रीफ में जवाब दें।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, यह इन्टरपटेशन की बात है। मुझे सैक्रेटरी ने कहा कि आप इस फाईल को स्टडी करके जाएं। I have studied the file thoroughly. If I have to reply, one thing is there. (Noise). I am going to reply to this question. (Noise). If I have to give the reply, I will give it in detail (Noise). अगर जवाब देना होगा that will be in detail. (noise). I will take sufficient time in giving the reply in detail (Noise).

श्री अध्यक्ष : जो अतर सिंह जी ने सप्लीमैंटरी की है आप उसका ब्रीफ में जवाब दें।

(शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 150 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सवाल सारी स्टेट से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके लिए आधे घंटे का समय दे दिया जाए।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, रूल न० 57 में लिखा हुआ है .....

Mr. Speaker : That cannot be allowed to read during the question hour.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 57 पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी अगर वे कोई नोटिस देते हैं तो यह हो सकता था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : रूल 57 में यह लिखा हुआ है कि —

(1) "The Speaker may allot half-an-hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a recent question...."

श्री अध्यक्ष : मैंने यह पढ़ लिया है। अभी जवाब चल रहा है। पहले होम मिनिस्टर जी को जवाब देने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर आप आधा घंटा देते हैं तो दूसरे प्रश्नों पर भी चर्चा हो सकती है। आप आधा घंटा चर्चा होने दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर जी ने जो कहा है कि he wants sufficient time to elaborate the entire things. But what can you do is that you can grant half an hour discussion or he can take time. The Minister will get sufficient time to elaborate this जो ये एक्सप्लेन करना चाहें कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो मामला सब- जुडिस हो, उस पर तो आधा घंटा भी डिस्क्शन नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप यहां पर मिनिस्टरी में रह चुके हैं, आप बैठ जाएं। मैंने पहले ही कह दिया है कि जो मामला सब-जुडिस है उस पर डिस्क्शन न करें। जो पार्ट सब-जुडिस नहीं है, उसका जवाब दे दें। It is now upto the Home Minister whether he wants to reply to the matter, which is not sub-judice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि रूल 84 के तहत डिस्कशन करवा लें।

श्री अध्यक्ष : मैं एक प्रोविजन बता देता हूँ। (Interruptions and Noise) There is a proviso to rule 57 which reads as under :–

"Provided further that the speaker may with the consent of the Minister concerned waive the requirement concerning the period of notice."

Demand for half an hour should come from the minister concerned.

Shri Birender Singh : That is your discretion, Sir.

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस होम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैं तो सोच रहा था कि यह बात पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर के स्तर की है। परन्तु अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अब आप मुझे इस मामले के लिए कुछ टाईम दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पहले क्वैश्चन आवर खत्म होने दें। उसके बाद जीरो आवर होता है और उसके बाद इस प्वायंट पर आधे घंटे के लिए डिसक्शन अलाउड है। (विघ्न) आप सभी बैठिए।

Capt. Ajay Singh Yadav : Mr. Speaker Sir, has he given in writing ?

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, I want to submit something. As far as half an hour discussion is concerned, a member who is asking a question, can raise his demand either in writing or orally for half an hour discussion. Shri Attar Singh Saini, M.L.A. has asked this question and he is demanding half an hour discussion.

आप जो कह रहे थे कि मंत्री की तरफ से नोटिस आना चाहिए तो एम०एल०ए० भी यह दे सकता है। Speaker Sir, he has requested your goodself for half an hour discussion on his question.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक अर्ज करनी है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये वाक आउट करना चाहते हैं क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have gone through the rules. अगर आप चाहते हैं तो मैं सारा पढ़कर सुना देता हूं। जीरो आवर के बाद आधे घंटे के लिए इस सब्जैक्ट पर डिसक्शन अलाउ की जाती है। इसलिए अब अगला क्वैश्चन होगा।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

UPGRADATION OF SCHOOLS

*153. **Shri Somvir Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state--

(a) whether it is a fact that some schools were upgraded in to High Schools and 10+2 system in the state during the period from April, 1991 to May, 1996, which are functioning without students ; and

(b) if so, the number of such High and Senior Secondary Schools together with the justification for their upgradation ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त "क" के दृष्टिगत प्रश्न के भाग (ख) के बारे में कोई आगामी सूचना आवश्यक नहीं है। स्पीकर सर, परन्तु 1991 से लेकर 1996 तक 400 विद्यालयों को अपग्रेड करने का प्रावधान था लेकिन पिछली सरकार ने सारे कानून कायदों को ताक पर रख कर 969 विद्यालयों का स्तर बढ़ाया जिसमें बहुत से तो ऐसे विद्यालय हैं जिनमें बहुत कम बच्चे हैं किसी में तीन हैं तो किसी में चार बच्चे हैं। इसके अलावा 12 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या दस से भी कम हैं और वे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि कोई बच्चा बिना अध्यापक के न रहे और कोई अध्यापक बिना बच्चे के नहीं रहे। प्रदेश के एक-एक पैसे का ठीक तरह से उपयोग हो, उस दृष्टि से हम इन विद्यालयों में तरमीम भी करने जा रहे हैं।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रामकली गांव में प्राइमरी स्कूल का दर्जा मिडिल स्कूल में जुबानी जमा खर्चे में ही बढ़ा दिया था। वहां स्टाफ भी भेज दिया गया था लेकिन रिकार्ड में वह अब भी मिडिल स्कूल नहीं हुआ है तो इसके बारे में मंत्री जी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

*148 **Shri Satpal Sangwan :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the number of cases of adulteration in Diesel and Petrol, if any, detected by the Government in the State, particularly in Bhiwani District during the period from March, 1991 to date together with the action taken and proposed to be taken thereon by the Government ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : वर्ष 1991 से अब तक राज्य में ऐसे 13 केस पकड़े गए, जिनमें से दो केस भिवानी जिले के हैं। दोषियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई और अग्रिम अनुगामी कार्यवाही की गई।

Line Losses

*95 **Sh. Balwant Singh :** Will the Chief MInister be pleased to state–

(a) the total annual income which is likely to be accrued to the Haryana State Electricity Board as a result of hike in the rates of power tariff from 1-7-96 ; and

(b) the details of line losses on account of theft and pilferage in the transmission of power occured in the State at present togrether with the steps taken or proposed to be taken to check the afore-said losses ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) दिनांक 1-7-1996 से की गई बिजली टैरिफ में वृद्धि से लगभग 212 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त अनुमानित वसूली होगी। अतिरिक्त राजस्व के श्रेणी अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

श्रेणी	अतिरिक्त राजस्व
औद्योगिक	122 करोड़ रुपये
घरेलू	60 करोड़ रुपये
गैर-घरेलू	15 करोड़ रुपये
अन्य	15 करोड़ रुपये
कुल :	212 करोड़ रुपये

(दिनांक 21-8-1996 से राज्य के कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवैल कनैक्शनों को दी गई विशेष रियायत को समाप्त करने के परिणामस्वरूप 12 करोड़ रुपये की वार्षिक अतिरिक्त अनुमानित राजस्व की भी वसूली होगी)।

(ख) जुलाई, 1996 की समाप्ति तक चालू वर्ष के दौरान प्रसार एवं वितरण लोसिज तथा बिजली की चोरी के कारण 30.75 प्रतिशत लाइन लोसिस का अनुमान लगाया गया है। लाइन लोसिस को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :--

1. बिजली की चोरी तथा हेरा फेरी को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के अहातों की चैकिंग करना।
2. और नये उपकेन्द्रों को चालू करना तथा वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करना।
3. उप केन्द्रों पर अतिरिक्त कपैसीटर्ज बैंक का संस्थापित करना।
4. फीडर अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा करना।
5. एनर्जी मीटरिंग में सुधार करना।

Construction of a Modern Grain Market at Narwana

*139. **Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the Minister for Agriculture be plessed to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a modern grain market at Narwana; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialised ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : हां, नरवाना में नई अनाज मंडी स्थापित करने हेतु भूमि अभिग्रहण करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। विकास कार्य भूमि अभिग्रहण करने के पश्चात् किये जायेंगे।

Distribution of Flood Relief

*129. **Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the disbursement of compensation for the loss caused to farmers due to flood during last year was discontinued due to the declaration of General Elections of the State Assembly ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to those farmers who could not get the same earlier together with the time by which it is likely to be disbursed to them ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : जी नहीं, पिछले वर्ष की बाढ़ से किसानों को हुई हानि के लिए मुआवजे का वितरण राज्य विधान सभा के आम चुनावों की घोषणा के कारण नहीं रोका गया था। वर्ष 1995 की बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Un-Employed persons registered with the Employment Exchanges

*125. **Shri Ashok Kumar :** Will the Ministrer for Cooperation be pleased to state the number of unemployed persons registered with Employment Exchangees in the State together with the date since they are registered ?

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : 30-9-1996 तक राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या 735275 है।

इन केसों में से प्रत्येक के संदर्भ में पंजीकरण की तिथि को ज्ञात करने में जो समय व श्रम लगेगा वह उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

Vacant posts in Transport Department

*162. **Smt. Krishna Gahlawat :** Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) the number of posts of drivers and other categories; if any, lying vacant in the Transport Department at present ; and

(b) the time by which the above said posts are likely to be filled up ?

परिवहन मंत्री (श्री नारायण सिंह) :

(क) महोदय, इस समय सभी कैटेगरीज़ के 465 पद रिक्त हैं।

(ख) ये पद आवश्यकता अनुसार भरे जायेंगे।

Repair of Damaged Roads

*159. **Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of Safidon Sub-Division :—

1. Safidon-Sarfabad Road;
2. Anchra Kalan Approach Road ;
3. Kalwa-Butani Road ;
4. Hati to Butani Road ;
5. Jamni-Bhambewa Road ; and
6. Jamni Safidon Road ;

if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 1997 तक पूरा होने की संभावना है।

Purchase of Power

*102. **Shri Satvinder Singh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Haryana State Electricity Board to purchase power from the Orissa and Himachal State Electricity Boards; and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क तथा ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से बिजली खरीदने का प्रस्ताव परिपक्व नहीं हो सका जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से 12 लाख यूनिटें बिजली प्रतिदिन खरीदने के लिए ठेका दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 को समाप्त हो गया। अगले वर्ष दिए जाने वाले ठेके को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Repair of Roads

*164. **Smt. Kartar Devi :** Will the Minister for Home be pleased to state the time by which the roads from Kalanaur to Pilana via Katesara and from Kalanaur to Nigana is likely to be repaired ?

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत धन की उपलब्धता पर मार्च, 1997 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।

Ravi-Beas Water

*3. **Capt. Ajay Singh**
Sh. Somvir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is fact that Ravi-Beas water to the tune of 1.8 m.a.f. is being supplied to the farmers of the State through Bhakra Main Canal ; and

(b) if so, whether the water of the aforesaid river is being supplied to the areas of Rohtak, Rewari, Mohindergarh, Bhiwani and Gurgaon districts as per their requirment, if not, the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी हां, पिछले दस सालों की औसत के आधार पर रावी ब्यास का 1.63 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा राज्य को मिल रहा है।

(ख) रोहतक, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी और गुड़गांव के जिलों को रावी ब्यास का पानी उनकी आवश्यकताओं अनुसार नहीं दिया जा रहा। इनमें से कुछ क्षेत्र यमुना के जल पर निर्भर हैं और शेष रावी-ब्यास के पानी पर इन जिलों की आवश्यकताओं के कुछ हिस्से की पूर्ति ही की जा रही है, जिसका कारण यह है कि हरियाणा अपना रावी ब्यास पानी का पूरा हिस्सा पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण नहीं ले पा रहा।

Kasan Drain

*12. **Shri Ram Pal Majra :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Kasan Drain is not discharging as per its capacity ; if so, the reasons thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the government to modify/remodelling the said drain; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialised ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) कसान ड्रेन की कार्य क्षमता कम है क्योंकि ड्रेन पर स्थित खेतों को जाने वाले पाईप लगे हुए 28 नं० रास्ते तथा क्षेत्र का स्थानिक भूगोल बहाव में बाधक है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान विश्व बैंक के अन्तर्गत हरियाणा जल संसाधन समुचीकरण परियोजना में ड्रेन की क्षमता पुनः प्राप्त करने का एक प्रस्ताव है।

Construction of 100-Bedded Hospital at Dabwali

*31. **Shri Mani Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to construct 100-bedded Hospital at Dabwali ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Hospital is likely to be constructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० कमला वर्मा) :

(क) 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे एक 60 बिस्तर का हस्पताल बनाया जा रहा है।

(ख) इस प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए धन उपलब्धी अनुसार सम्भवतः तीन वर्ष का समय लगेगा।

Appointment of Punjabi Teachers.

*133. **Shri Jasvinder Singh Sandhu :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any recruitment of Punjabi teachers has been made in the State since the declaration of Punjabi as second language in the State; if so,the number thereof togetherwith the names of schools in which the said teachers have been posted ?

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : 280 Punjabi Teachers have been recruited. A list of Schools where the teachers have been posted is laid on the Table of the House.

LIST

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
District Sonepat		
1.	Govt. Senior Secondary School, Sonepat (Girls)	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Sonepat	1
3.	Govt. Senior Secondary School, Gohana (Girls)	1
4.	Govt. Senior Secondary School, Ganaur	1
5.	Govt. High School, Kharkhoda	1
6.	Govt. High School, Gohana	1
		6

[Shri Ram Bilas Sharma]

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
District Gurgaon		
1.	Govt. Girls Senior Secondary School, Gurgaon (Girls)	1
2.	Govt. Girls Senior Secondary School, Sohna	1
3.	Govt. Girls High School, Bhim Nagar, Gurgaon	1
4.	Govt. High School, 4/8 Marla, Gurgaon	1
5.	Govt. Middle School, Khandsa	1
		5
District Jind		
1.	Govt. Senior Secondary/Hlgh School, Dhamtan Sahib.	1
		1
District Kurukshetra		
1.	Govt. Middle School, Diwana	1
2.	Govt. Middle School, Dhulgarh	1
3.	Govt. Middle School, Kakrala Gujran	1
4.	Govt. Middle School, Saina Saidan	1
5.	Govt. Middle School, Lohar Majra	1
6.	Govt. Middle School, Koulapur	1
7.	Govt. Middle School, Samalkhi	1
8.	Govt. Middle School, Barwa	1
9.	Govt. Middle School, Kalyana	1
10.	Govt. Middle School, Bir Amin	1
11.	Govt. Middle School, Udarsi	1
12.	Govt. Middle School, Palwal	1
13.	Govt. Middle School, Teora	1
14.	Govt. Middle School, Ajrawan	1
15.	Govt. Middle School, Shanti Nagar	1
16.	Govt. Middle School, Ban	1
17.	Govt. Middle School, Tatka-Tatki	1
18.	Govt. High School, Ajrana Kalan	1
19.	Govt. High School, Ladwa	1
20.	Govt. High School, Bir Mathana	1
21.	Govt. High School, Bani	1

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
22.	Govt. High School, Balahi	1
23.	Govt. Girls High School, Baraut	1
24.	Govt. High School, Mangoli Jattan	1
25.	Govt. High School, Padlu	1
26.	Govt. High School, Prahladpur	1
27.	Govt. High School, Nagla	1
28.	Govt. High School, Lukhi	1
29.	Govt. High School, Mehra	1
30.	Govt. High School, Khairat	1
31.	Govt. High School, Dhurala	1
32.	Govt. High School, Thol	1
33.	Govt. High School, Kamoda	1
34.	Govt. High School, Hathira	1
35.	Govt. High School, Tigri	1
36.	Govt. High School, Bhusthala	1
37.	Govt. High School, Bhat Majra	1
38.	Govt. High School, Bohar Saidan	1
39.	Govt. High School, Malikpur	1
40.	Govt. High School, Seonsar	1
41.	Govt. High School, Sandhauli	1
42.	Govt. High School, Thaska Miranji	1
43.	Govt. High School, Jalbehra	1
44.	Govt. High School, Amin	1
45.	Govt. Senior Secondary School, Mathana	1
46.	Govt. Senior Secondary School, Nalvi	1
47.	Govt. Senior Secondary School, Jhansa	1
		47

District Karnal

1.	Govt. Girls High School, Nissing	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Assandh	1
3.	Govt. Girls High School, Assandh	1
4.	Govt. High School, Subhri	1
5.	Govt. High School, Madhuban	1
6.	Govt. Senior Secondary School, Sambhli	1
7.	Govt. High School, Darar	1
8.	Govt. High School, Nangla Meghan	1

[Shri Ram Bilas Sharma]

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
9.	Govt. High School, Shyamgarh	1
10.	Govt. High School, Jamba	1
11.	Govt. Senior Secondary School, Nigdhu	1
12.	Govt. Senior Secondary School, Indri	1
13.	Govt. Senior Secondary School, Katelaheri	1
14.	Govt. High School, Ramana Ramani	1
15.	Govt. Middle School, Ranwar	1
16.	Govt. High School, Udana	1
17.	Govt. Senior Secondary School, Pundrak	1
18.	Govt. Middle School, Rugsana	1
19.	Govt. High School, Sambhi	1
20.	Govt. High School, Pangala	1
21.	Govt. Senior Secondary School, Rahra	1
22.	Govt. High School, Sonkra	1
23.	Govt. High School, Garhi Jattan	1
24.	Govt. High School, Uplana	1
25.	Govt. Middle School, Peont	1
26.	Govt. High School, Kurak Jagir	1
27.	Govt. Middle School, Baldi	1
28.	Govt. High School, Sultanpur	1
29.	Govt. Middle School, Ammupur	1
30.	Govt. Senior Secondary School, Padha	1
31.	Govt. High School, Sangoha	1
32.	Govt. Middle School, Bilona	1
33.	Govt. High School, Dachar	1
34.	Govt. Middle School, Alawla	1
35.	Govt. High School, Gheer	1
36.	Govt. High School, Bansa	1
37.	Govt. High School, Khanpur	1
38.	Govt. Senior Secondary School, Kheri Mansingh	1
39.	Govt. High School, Jalmana	1
		39

District Yamunanagar

1.	Govt. Senior Secondary School, Damla	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Nangal	1
3.	Govt. Senior Secondary School, Mandoli	1

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
4.	Govt. Senior Secondary School, Jathlana	1
5.	Govt. Senior Secondary School, Chhachhrauli	1
6.	Govt. Senior Secondary School, Buria	1
7.	Govt. High School, Habbatpur	1
8.	Govt. High School, Aurangabad	1
9.	Govt. High School, Talakaur	1
10.	Govt. High School, Bilaspur (Girls)	1
11.	Govt. High School, Bhambhol	1
12.	Govt. High School, Fatehpur	1
13.	Govt. High School, Attawa	1
14.	Govt. High School, Allahar	1
15.	Govt. High School, Bhadurpur	1
16.	Govt. High School, Fatehgarh	1
17.	Govt. High School, Gundhiana	1
18.	Govt. High School, Gumthala Rao	1
19.	Govt. High School, Karera Khurd	1
20.	Govt. High School, Pansara	1
21.	Govt. High School,Tejli	1
22.	Govt. High School, Amadalpur	1
23.	Govt. High School, Masana Rangran	1
24.	Govt. High School, Dhanaura	1
25.	Govt. High School, Haripur Kamboj	1
26.	Govt. High School, Bhatoli	1
27.	Govt. Middle School, Chhappar	1
28.	Govt. Middle School, Farakpur	1
29.	Govt. Middle School, Kanherikalan	1
30.	Govt. Middle School, Kotla	1
31.	Govt. Middle School, Ratoli	1
32.	Govt. Middle School, Naharpur	1
33.	Govt. Middle School, Mandhar (J)	1
34.	Govt. Middle School, Pabnikalan	1
35.	Govt. Middle School, Sasoli	1
36.	Govt. Middle School, Sadhaura	1
37.	Govt. Middle School, Shadipur	1
		37

[Shri Ram Bilas Sharma]

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
District Kaithal		
1.	Govt. High School, Kharak	1
2.	Govt. High School, Bhagal	1
3.	Govt. High School, Nawanch	1
4.	Govt. Senior Secondary School, Kangthali	1
5.	Govt. Senior Secondary School, Habri	1
		5
District Hissar		
1.	Govt. Girls High School, Barwala	1
2.	Govt. High School, M.P. Sottar	1
3.	Govt. Senior Secondary School, Baliyana	1
4.	Govt. Middle School, Hamzapur	1
5.	Govt. Middle School, Hanspur	1
6.	Govt. High School, Inda Chhui	1
7.	Govt. High School, Boswal	1
8.	Govt. Middle School, Kudni	1
9.	Govt. Middle School, Mamupur	1
10.	Govt. High School, Akanwali	1
11.	Govt. High School, Nathuwal	1
12.	Govt. High School, Hadoli	1
13.	Govt. High School, Kubla	1
14.	Govt. Middle School, Khunan	1
		14
District Faridabad		
1.	Govt. Senior Secondary School, Faridabad-3	1
		1
District Rewari		
	—Nil—	
District Bhiwani		
	—Nil—	
District Ambala		
1.	Govt. Girls High School, Mulana	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Jalbera	1

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
3.	Govt. Senior Secondary School, Adhoya	1
4.	Govt. Senior Secondary School, Pasiyala	1
5.	Govt. Senior Secondary School, Sambhalkha	1
6.	Govt. Senior Secondary School, Nohni	1
7.	Govt. High School, Nahra Dera	1
8.	Govt. High School, Pilkhani	1
9.	Govt. High School, Thakurpura	1
10.	Govt. High School, Saha (Girls)	1
11.	Govt. High School, Alipur	1
12.	Govt. High School, Kanwla	1
13.	Govt. High School, Kalpi	1
14.	Govt. High School, Khudakalan	1
15.	Govt. High School, Chhapra	1
16.	Govt. High School, Duliana	1
17.	Govt. High School, Durana	1
18.	Govt. High School, Thambar	1
19.	Govt. High School, Dhanora	1
20.	Govt. High School, Narpur Kokpur	1
21.	Govt. High School, Binjalpur	1
22.	Govt. High School, Mohra	1
23.	Govt. High School, Manka Manki	1
24.	Govt. High School, Materi Sekhan	1
25.	Govt. High School, Sounta	1
26.	Govt. High School, Holi	1
27.	Govt. High School, Pathrehri	1
28.	Govt. High School, Kaserla Khurd	1
29.	Govt. High School, Chormastpur	1
30.	Govt. High School, Tepla	1
31.	Govt. High School, Babyal	1
32.	Govt. High School, Manumajra	1
33.	Govt. High School, Rampur Chhapra	1
34.	Govt. High School, Sherpur Sulkhani	1
35.	Govt. High School, Kharan	1
36.	Govt. High School, Telhari Gujran	1
37.	Govt. High School, Bhareri Kalan	1
38.	Govt. High School, Gandholi	1

[Shri Ram Bilas Sharma]

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
39.	Govt. High School, Fatehgarh	1
40.	Govt. High School, Sherpur	1
41.	Govt. High School, Shahpur Narhad	1
42.	Govt. High School, Baribassi	1
43.	Govt. High School, Jansui	1
44.	Govt. High School, Ismailpur	1
45.	Govt. Middle School, Panjola	1
46.	Govt. Middle School, Manakpur	1
47.	Govt. Middle School, Bhurangpur	1
48.	Govt. Middle School, Siwan Majra	1
49.	Govt. Middle School, Dhanipur	1
50.	Govt. Middle School, Kalarheri	1
51.	Govt. Middle School, Dhanyora	1
52.	Govt. Middle School, Patwai	1
53.	Govt. Middle School, Kaleran	1
54.	Govt. Middle School, Sepera	1
55.	Govt. Middle School, Bant Rohan	1
56.	Govt. Middle School, Bhunni	1
57.	Govt. Middle School, Gola	1
58.	Govt. Middle School, Sohata	1
59.	Govt. Middle School, Ranjoli	1
60.	Govt. Senior Secondary School, Ugala	1
61.	Govt. Senior Secondary School, Badholi	1
62.	Govt. High School, Ugara Bara	1
63.	Govt. High School, Dairy Farm, Ambala Cantt.	1
64.	Govt. Middle School, Khatouli	1
		64

District Rohtak

—Nil—

District Narnaul

—Nil—

District Panchkula

1.	Govt. High School, Bhatogtra	1
2.	Govt. High School, Khatauli	1
3.	Govt. High School, Garhi Kotaha	1

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
4.	Govt. High School, Chicken	1
5.	Govt. High School, Morrawala	1
6.	Govt. High School, Burajkotia	1
7.	Govt. High School, Bitna	1
8.	Govt. Girls High School, Raipurrani	1
9.	Govt. Middle School, Surajpur	1
10.	Govt. Senior Secondary School, Nanakpur	1
11.	Govt. Senior Secondary School, Basaulan	1
12.	Govt. Senior Secondary School, Pinjore	1
13.	Govt. High School, Charnia	1
		13
District Panipat		
1.	Govt. High School, Samalkha	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Sewah	1
3.	Govt. Girls Senior Secondary School, Bapoli	1
4.	Govt. Senior Secondary School, Krishanpur	1
5.	Govt. Senior Secondary School, Urlana Kalan	1
6.	Govt. Middle School, Nizampur	1
7.	Govt. High School, Kabri	1
8.	Govt. High School, Noorwala	1
9.	Govt. High School, Akas Hera	1
10.	Govt. High School, Canal Camp	1
11.	Govt. High School, Bapoli	1
12.	Govt. High School, Tehsil Camp	1
13.	Govt. Girls Senior Secondary School, Model Town, Panipat	1
		13
District Sirsa		
1.	Govt. Senior Secondary School, Sirsa	1
2.	Govt. Senior Secondary School, Moujdeen	1
3.	Govt. Senior Secondary School, Darbi	1
4.	Govt. Senior Secondary School, Bharokhan	1
5.	Govt. Senior Secondary School, Mangala	1
6.	Govt. High School, Panihari	1
7.	Govt. High School, Phaggu	1

[Shri Ram Bilas Sharma]

Sr. No.	Name of School	No. of Trs. Posted
8.	Govt. High School, Lohgarh	1
9.	Govt. High School, Narang	1
10.	Govt. High School, Desujodhan	1
11.	Govt. High School, Kirarkot	1
12.	Govt. High School, Dhotar	1
13.	Govt. High School, Matdadu	1
14.	Govt. High School, Bhiwan	1
15.	Govt. High School, Mirzapur	1
16.	Govt. High School, Kussar	1
17.	Govt. High School, Talwara Khurd	1
18.	Govt. High School, Bapp	1
19.	Govt. High School, Malikpura	1
20.	Govt. Middle School, Alika	1
21.	Govt. Middle School, Bijuwali	1
22.	Govt. Middle School, Sanwat Khera	1
23.	Govt. Middle School, Lakarwali	1
24.	Govt. Middle School, Mattar	1
25.	Govt. Middle School, Surtia	1
26.	Govt. Middle School, Damdama	1
27.	Govt. Middle School, Habuana	1
28.	Govt. Middle School, Jogiwala	1
29.	Govt. Middle School, Bhamboor	1
30.	Govt. Middle School, Taruana	1
31.	Govt. Middle School, Gariwala (G)	1
32.	Govt. Middle School, Biruwala Gudha	1
33.	Govt. Middle School, Sultanpuria	1
34.	Govt. Middle School, Patlidabar	1
35.	Govt. Middle School, Amrisarkalan	1
		35
	G. Total	**280**

Gas Based Thermal Power Plant at Faridabad

*104. **Shri Birender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the present stage of the construction of the Thermal Power Plant (Gas Based), Faridabad ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : गैस पर आधारित इस 400 मैगावाट परियोजना का निर्माण केन्द्रीय क्षेत्र (सैन्ट्रल सैक्टर) में राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं और राष्ट्रीय थर्मल बिजली निगम, भारत सरकार से इस परियोजना के लिए अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। परियोजना के लिए 337 एकड़ भूमि का अभिग्रहण मार्च 1996 के दौरान पूर्ण कर लिया गया है जिनमें से 334 एकड भूमि का कब्जा अक्तूबर/नवम्बर, 1996 में दे दिया गया है। यह परियोजना शुरू होने के बाद 3 वर्ष के दौरान चालू होना सम्भावित है।

Panipat Thermal Power Plant

*34. **Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 6th power production unit of 210 M.W. in Panipat thermal plant; if so, the time by which the construction work of the said unit is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : हां श्रीमान जी। इस यूनिट का निर्माण कार्य अक्तूबर 1991 में शुरू होना था। इस यूनिट को यूनिट-5 की कोल हेन्डलिंग प्रणाली तथा चिमनी जैसी सामान्य पारस्परिक सुविधाएं मिलती हैं। यह कार्य 238 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 1994 में चालू करना निधारित था। परन्तु वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्यों को वांछित प्रगति कायम नहीं रखी जा सकी तथा यूनिट-6 का कार्य फरवरी 1995 में बन्द कर दिया गया । इस यूनिट की वर्तमान अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये है। सरकार अब इस बन्द पड़ी परियोजना को पुनः आरम्भ करना चाहती है। कार्य को नये सिरे से शुरू करने के बाद इस परियोजना को पूर्ण करने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

गन्ना उत्पादकों को 25 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करना

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हमने एक ऐडजर्नमैंट मोशन दी थी जिसे आपने काल अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया । इससे पहले कि मैं उस पर चर्चा करूं मैं एक अहम विषय आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपके पास काल अटैंशन मोशन की कापी पहुंच गई होगी।

This has been admitted.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मैं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप से अनुरोध करना चाह रहा था।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के समक्ष एक खास विषय है जो हरियाणा प्रदेश के सभी केन ग्रोवर्स से जुड़ा हुआ है। गन्ने की नये साल की पिराई शुरू हो चुकी है। किसान का गन्ना मिलों में जाना शुरू हो गया है और किसानों को अब तक पिछले साल की गन्ने की बकाया राशि नहीं मिल पाई है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received an adjournment motion given notice of by Shri Om Parkash Chautala and 17 other members of his party regarding payment of outstanding amount of Rs. 25 crores to the sugarcane growers. Hon'ble members, as I announced in the House yesterday, I have converted this adjournment motion into calling attention motion and have admitted it for today. Shri Om Parkash Chautala may read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

@ सर्वश्री ओम प्रकाश, धीर पाल सिंह, नफे सिंह, कृष्ण लाल, वीरेन्द्र पाल अहलावत, बलवन्त सिंह, रामफल कुंडु, सूरज मल, भागी राम, रामपाल माजरा, नफे सिंह राठी, रमेश खटक, अशोक कुमार, श्रीमती बिद्या बेनीवाल, रिसाल सिंह, बलबीर सिंह, बन्ता राम तथा रामजी लाल हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की कई चीनी मिलों द्वारा पिछले वर्ष पिराई के लिए खरीदे गए गन्ने की 25 करोड़ रुपये की बकाया राशि की अदायगी अभी तक नहीं की गई है। उक्त राशि में से 10 करोड़ रुपये की राशि केवल सहकारी चीनी मिल, पानीपत द्वारा अपने क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को देय है। इस कारण गन्ना उत्पादक किसानों में असन्तोष व्याप्त है।

यह एक अति लोकमहत्व का विषय है अतः वे सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

सहकारिता तथा श्रम मंत्री द्वारा, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी ।

Mr. Speaker : Now, the Co-operation Minister will give reply.

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हमारे विपक्ष के नेता सम्मानित सदस्य और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने किया है तथा जब परसों उन्हीं की पार्टी के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे तो मैं उनकी वेदना, कराह और पीड़ा के स्वर सुन रहा था। मुझ को लग रहा था कि हरियाणा सरकार की धरती के पुत्र के प्रति सम्मान की प्रतिबद्धता है और उसके अन्दर उनके स्वर के साथ हमारे स्वर मिल रहे हैं और उसी नाते मेरा मन करा कि मैं उनका सम्मान भी करूं, आभार भी व्यक्त करूं और अभिनन्दन और बधाई भी दूं। परन्तु विडम्बना कई बार यह होती है कि जहां इस प्रकार के स्वर उन्होंने हमारे स्वर में मिलाने के प्रयास किए हैं उसके साथ साथ मेहम को भी विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। बात गन्ने की हो रही है और ये मेहम की बात कर रहे हैं, यह कोई बात हुई। आखिर आपने इनको क्या छूट दे रखी है। बड़ी लच्छेदार हिन्दी बोलते हैं। बात गन्ने की हो रही है ये मेहम की बात कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह हाउस है इसे हाउस के तौर पर चलाया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, कृपया आप बैठिये। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप समय निर्धारित करें। (विघ्न)

@ Read by Shri Om Parkash Chautala

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब आप कौन सी सीमा में हैं। आप बैठिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे थोड़ा सा सब्जैक्ट के बाहर न जायें। मैं विपक्ष के नेता से खासतौर से चौधरी ओमप्रकाश चौटाला से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे हाउस की गरिमा बनाने के लिये थोड़ा सा सावधान रहें। कृपया आप बैठिये वरना अच्छा नहीं होगा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी प्रोटैक्शन चाहते हैं। बदकिस्मती से ये मिनिस्टर हैं लेकिन थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए कि किस विषय पर बात चल रही है और किस विषय पर कैसे बात की जाती है। (विघ्न) इनको खेत का ज्ञान नहीं है। यह तो मुख्य मंत्री जी की सोच थी कि इनको यह महकमा दे दिया इनको तो और महकमा देना चाहिए था क्योंकि ये बेचारे तो प्रोफैसर हैं और आपकी बिरादरी के हैं। अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर में यह हाउस को गुमराह कर रहे थे। किसानों को गन्ने के मूल्य पर ब्याज देने की क्या प्रथा नहीं है। ये कहते हैं कि ब्याज नहीं देंगे जबकि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने 1953 के एक्ट के अधिनियम 18 में किसानों को ब्याज देने की बात कही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इतने जिम्मेवार आदमी हैं कम से कम जब स्पीकर खड़ा होता है तो आपको बैठना चाहिये। यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप और भजन लाल जी अगर ऐसा करेंगे तो नये मैम्बर क्या करेंगे। (विघ्न) आप सब बैठिये, आपके लीडर खड़े हैं कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा का एतराम करते हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हाउस का डैकोरम बरकरार रखा जाये और निष्पक्ष होकर काम करें। हमें आपकी निष्पक्षता पर कोई उंगली नहीं उठानी है। लेकिन आपके एक्शन के बारे में आपका ध्यान जरूर दिलाना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह मैम्बर की जिम्मेवारी नहीं है कि इसको कैसे ठीक करना है। किस पर अंकुश लगाना है। आप बहुत पावरफुल हैं लेकिन पावर का इस्तेमाल करते वक्त आपको इस कुर्सी का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : पूरा ध्यान रखा जायेगा।

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, Point of order. Sir, neither you are guided by me nor by the leader of the Opposition.

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, भजन लाल जी और आप सभी बैठ जाइए तथा सुनिए।

Now I request the Cooperation Minister to answer as per the call attention motion and not to go beyond that. (Noise & Interruptions).

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्वायंट पर गन्ने के बारे में माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला ने हमारी पार्टी की तरफ से 17-11-96 को एक काल अटैंशन मोशन दी थी। मेरी प्रार्थना है कि या तो उसको भी इस के साथ क्लब कीजिए ताकि दोनों का जवाब साथ आए या दोनों को अलग-अलग एडमिट कीजिए। दोनों में से एक बात कीजिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : श्री सुर्जेवाला की काल अटैंशन मोशन आई हुई है। यह क्लब कर दी गई है। उनको भी चौटाला साहब के प्रश्न करने के बाद मौका दिया जाएगा। कृपया आप सभी बैठिए। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, इसमें हमारे भी नाम हैं। इस बारे में बात तो हमने भी करनी है।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब तो आने दीजिए, उसके बाद ही तो आप प्रश्न करेंगे। अब आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं उनको आप बोलने का अवसर देंगे। (विघ्न) जवाब तो मंत्री जी फिर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी कॉल अटैंशन मोशन दूसरे 17 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आई हुई है। इसलिए पहले जवाब आ जाने दें उसके बाद आप प्रश्न करिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या उसके बाद आप हमें समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, हम आपको अवश्य बोलने के लिए समय देंगे, लेकिन भाषण के लिए नहीं।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता और माननीय सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक मिनट जरूरत से ज्यादा ले रहा हूं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं बदकिस्मती से जीता हूं। बदकिस्मती उनकी थी या हमारी थी इसका फैसला सदन में करने का कोई कारण नहीं है। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, यह चेयर की अवहेलना है।

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, I want to say something. (Noise) यह कोई ऐसी बात नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सभी बैठिए। गणेशी लाल जी आप सीधे जवाब दें।

श्री गणेशी लाल : माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किया है मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। 17 तारीख की जो बात है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने बाकायदा लिखकर बताया कि 14 करोड़ 75 लाख रुपये हमें मिलों की बकाया राशि देनी है। 18 तारीख को जब हम सदन के अंदर मिले तो हमने पढ़कर बताया था कि पैसा चुकाते-चुकाते अब 14 करोड़ 24 लाख रुपये रह गया है। 51 लाख रुपये हमने सोनीपत और रोहतक की मिलों का चुकाया है। आज आपके सामने पूरा अनैक्श्चर है और यह जवाब संक्षेप में नहीं है। जो बात आपने पूछी हैं, वह मेरे सामने सारी बात लिखी हुई है। मुझे बराबर ध्यान में रहता है। गलत बोलने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। मुख्य मंत्री महोदय और मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम सदन को गुमराह करने का किंचित मात्र भी प्रयास नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमको 13 करोड़ 92 लाख रुपये देना है। 8 लाख और 24 लाख, कुल 32 लाख रुपया सोनीपत और रोहतक मिल का हम और दे चुके हैं। इस प्रकार से जो 25 करोड़ रुपये की बात थी, आज वह 13 करोड़ 92 लाख रुपये पर आकर ठहरी है। जहां तक प्रस्ताव के अंदर सम्मानित सदस्यों के द्वारा बताया गया कि पानीपत की मिल का 9 करोड़ 97 लाख रुपया बकाया है।इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि जवाब के साथ जो अनैक्श्चर लगाया हुआ है वह आपकी टेबल पर रखा हुआ है।स्पीकर साहब, 1976 से ले कर 1996 तक बीच के दो वर्षों को छोड़ कर पानीपत का शूगर मिल लगातार घाटे में रहा है। उसका कारण यह रहा है कि 1976 में उसकी कैपैसिटी 1250 टी०सी०डी० पर डे से बढ़ाकर 1800 टी०सी०डी०पर डे करने से उसमें जो मशीनरी लगी हुई थी उसके इक्विपमैंट के अन्दर जो शरारतें हुई उसके कारण उस मिल का सुधार नहीं हो पाया। स्पीकर साहब, 1990 के अन्दर जो भी उस समय की सरकार रही होगी उसने यह प्रयास किया था कि उस मिल का आधुनिकीकरण कर देंगे लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसका आधुनिकीकरण नहीं

हुआ है। मेरे सामने जितने भी सदस्य बैठे हैं और दाईं तरफ जितने भी सदस्य बैठे हैं जो सत्ता में रहे होंगे उनके समय में भी उस शुगर मिल का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। आज भी हमारे 10 सहकारी शुगर मिलों के अन्दर एक मात्र पानीपत का शुगर मिल ऐसा है जिसमें कार्बोनेशन है सल्फीटेशन नहीं है । स्पीकर साहब 6 वर्षों के लगातार प्रयासों के पश्चात भी उस मिल का हम आधुनिकीकरण नहीं कर पाए हैं। भूना का शुगर मिल तो एक विचित्र प्राणी है। उस मिल को लगे हुए पांच साल हो गए। मैं यह नहीं समझा कि भूना का शुगर मिल लगने का प्रयास किसने किया था, कब किया था क्यों किया था। भूना शुगर मिल में पिछले 6-7 सालों से लगातार इतना घाटा हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वह मिल करोड़ों रुपये के घाटे में है। भूना शुगर मिल का प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया गया। भूना शुगर मिल का प्राइवेटाइजेशन करने के लिये 1994 में एक कमेटी बनाई गई। उस समय उस सरकार के औफिसर्ज ने स्वयं यह कहा था कि आप इस मिल का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, आप इसकी लीज आउट नहीं कर सकते और न ही इसको बेच सकते हैं। वह बहुत सिक मिल है। हमारी यह सरकार किसानों की शुभचिन्तक सरकार है इसलिए इस धरती के पुत्र का सम्मान करते हुए इतनी रुग्ण अवस्थाओं के अन्दर हमने कैथल, मेहम, भूना और पानीपत के शुगर मिलों के अन्दर समय से पहले गन्ना क्रश करने का काम प्रारम्भ कर दिया है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सम्माननीय विपक्ष के नेता ने प्रश्न उठाया कि इस सरकार के मुख्य मंत्री और मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं जबकि ब्याज देने की प्रथा है लेकिन ये ब्याज नहीं दे रहे हैं। स्पीकर साहब, मेरे सामने विपक्ष के नेता और दूसरी पार्टी के सदस्य बैठे हैं मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की किसी भी शुगर मिल ने कभी भी किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया। स्पीकर साहब, जवाब के साथ जो अनैक्शचर लगाया हुआ है उसके अन्दर पानीपत, भूना और रोहतक शुगर मिलों का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। वह ब्यौरा इसलिये दिया है क्योंकि परसों जो भूना शुगर मिल के बारे में चर्चा हुई थी मनुष्य का स्वभाव है कि भूल न जाए उनके पास डाकुमैंटस उपस्थित रहे जब कोई बात वे देखना चाहें तो देख सकें उनको ठीक ध्यान में आ जाए कि भूना मिल की हालत कैसे खराब हुई । मैं उस अनेक्शचर के मुताबिक बताना चाहता हूं कि पानीपत शुगर मिल की तरफ 31-3-1995 को 398.09 लाख रुपया बैलेंस था, 30-4-95 को 370.65 लाख रुपया बकाया था 31-5-1995 को 366.53 लाख रुपया बकाया था, 30-6-95 को 270.70 लाख रुपया बकाया था, 31-7-95 को 261.10 लाख रुपया बकाया था, 31-8-95 को 242.35 लाख रुपया बकाया था, 30-9-95 को 115.05 लाख रुपया बकाया था, 31-10-95 को 115.05 लाख रुपया बकाया था, 30-11-95 को 67.97 लाख रुपया बकाया था और यह 31-12-95 को शून्य हो गया। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया जैसे जैसे हमारी शुगर लिफ्ट करती है और ज्यों ही पैसा हमारे पास आता है वह सारा पैसा चुकाने की हमारी प्रतिबद्धता है। इस समय 13 करोड़ 92 लाख रुपया बकाया है। कैथल, पलवल, शाहबाद, जींद और करनाल शुगर मिल की तरफ जितना पैसा बकाया था वह सारा चुका दिया गया है। भूना और रोहतक शुगर मिलों को 2 करोड़ 40 लाख रुपया चुकाना है वह पैसा एक हफ्ते के अन्दर चुका दिया जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रोहतक और सोनीपत शुगर मिलों की तरफ जो 83 लाख रुपया बकाया है वह भी चार पांच दिन के अन्दर चुका दिया जाएगा। केवल एक पानीपत का शूगर मिल है जो एक बहुत पुराना डिफाल्टर है। फिर भी इस सब के बावजूद सरकार पानीपत का शूगर मिल इस वर्ष चलाएगी। उस मिल को चलाना किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है ताकि उसके अड़ोस पड़ोस के असाईन्ड एरिया में, कैचमैंट एरिया में जो गन्ना खड़ा है वह गन्ना क्रैशिंग से न रह जाए।इसलिए उस गन्ने को पीरने के लिए पानीपत मिल को चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो विपक्ष के सदस्य ने पूछा है मैं उसका विस्तृत ब्यौरा दे रहा हूं और मैं जवाब को

[श्री गणेशी लाल]

क्रमवार पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इसमें गन्ने पर ब्याज देने की बात आई है। यह ब्याज का प्रश्न इसके साथ नहीं जुड़ा जबकि विपक्ष के सम्मानित सदस्य ने कहा कि शायद मैं या हमारी सरकार के मुख्य मंत्री हाउस को गुमराह करना चाहते हैं। इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ब्याज का मामला है इसका लिंक है It is linked with the S.M.P. 45 रुपये 90 पैसे गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने प्राईस निर्धारित की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हों तो ये बीच में ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनको अपना जवाब तो पूरा कर लेने दीजिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश जी का काल अटैंशन मोशन है। मंत्री जी उस पर जवाब दे रहे हैं और उनका अभी जवाब पूरा नहीं हो रहा। ये बीच में ही बोल रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मंत्री महोदय, काल अटैंशन मोशन पर जवाब दे रहे हैं। आपको सप्लीमैन्टरी पूछने का मौका दिया जायेगा। जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आपके 10 साथी और बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप इनको कहें कि जब आप खड़े हों तो ये बीच में न बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात हम मानते हैं और सप्लीमेंटरी पूछने का मेरा अधिकार सुरक्षित है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब मंत्री महोदय जवाब गलत दे रहे हों तो उसके बारे में आपको बताना मेरा फर्ज है और आपने मुझे बोलने के लिए एलाउ किया। ये सामने वाले बीच में ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये गल्त ब्यानी न करें। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बात तो वैसे ही मान लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आपने चौटाला साहब को प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए इजाजत दे दी तो फिर होम मिनिस्टर प्वायंट ऑफ आर्डर पर प्वायंट ऑफ आर्डर करने के लिए कैसे खड़े हो गए ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : धीर पाल जी आप बीच में न बोलें। आपके सम्मानित नेता खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए एलाउ किया है। जब ये गलत जवाब दे रहे हैं तो उसको रोकना हमारा फर्ज है और आपके नोटिस में लाना भी हमारा फर्ज है। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक अधिकार की बात करते हैं तो जब तक मंत्री जी जवाब नहीं दे देते तब तक आप बीच में नहीं बोल सकते। आप जवाब के बाद केवल दो क्वैश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक बात करने के लिए एलाउ किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं स्पेसिफिक बात ही करने के लिए खड़ा हूं। मैं कानून की बात करता हूं कि ये रूल्ज फ्रेम किए गए थे। In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Punjab Sugarcane (Regulation, Purchase and Supply) Act, 1953, अध्यक्ष महोदय, जब मुस्तरका पंजाब था, उस वक्त का यह एक्ट था । जब हरियाणा बन गया तो तब इसके रूल्ज बनाये गए। रूल 18 में लिखा है —

"The occupying agent or purchasing agent unless otherwise permitted by the Cane Commissioner shall make payment every week on a fixed day to all cane growers of society or the cane producers at each purchasing centre in such a manner that payment for purchase of a particular....."

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये, यह बात अगर आपको करनी है तो जब आपको टाईम मिलेगा उस वक्त आप कर लें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) I would not allow you to utter any unparliamentary word. Nothing is to be recorded without my permission. You cannot make a statement.

श्री गणेशी लाल : महोदय, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि माननीय साथी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है।सदस्य सदन के बीच गलत बोलने से पाप का भागीदार बनता है जो कि हम नहीं है। जब उधर से बात आई थी तो हमने परसों भी सदन में कहा था कि हमारी सरकार ने इन्ट्रैस्ट नहीं दिया है। अगर किसी सम्मानित सदस्य ने इसे ठीक फोलो न किया हो तो मैं सदन में बताना चाहूंगा कि जो कानून 1953 का है वह पंजाब तथा हरियाणा से सम्बन्धित है। ब्याज एस०एम०पी० से सम्बन्धित है। माननीय विपक्ष के नेता को मैं साफ साफ बताना चाहता हूं आज की तारीख तक किसी भी को-आप्रेटिव शूगर मिल ने हरियाणा के किसान को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया है। यहां तक कि पंजाब की सरकार ने भी कोई इन्ट्रैस्ट नहीं दिया है। If this is proved wrong, I will not enter the House. अगर यह बात गलत प्रमाणित हो जाए कि किसी ने ब्याज दिया है तो मैं हाउस में प्रवेश नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी आथैंटिसिटी के साथ, इतनी परिपक्वता के साथ और इतनी मैच्योरिटी से अपनी बात कह रहा हूं उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता यह कहें कि मंत्री गलत बोल रहे हैं, मंत्री सत्य नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपना रिकार्ड दोबारा चैक करने की आवश्यकता है। ब्याज देने की परम्परा कभी भी नहीं रही है। ब्याज देने का कानून है लेकिन वह स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस के साथ लिंकड है। गवर्मैंट ऑफ इण्डिया ने गन्ने का भाव 45.90 रुपये तय किया है लेकिन हमने अपने किसानों को उससे कहीं ज्यादा हायर प्राईस दिया। हमने किसानों को 70, 72 रुपये तक का रेट दिया है उसके पश्चात अगर ब्याज देने की बात कही जाए तो वह जस्टिफाइड नहीं है। अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रेट 45.90 प्रति क्विंटल का रेट दिया होता तो इस पर विचार हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान हरियाणा सरकार पूरे हिन्दुस्तान में किसानों की हितैषी सरकार है। हरियाणा की वर्तमान सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है इसलिए किसान का गन्ना केन्द्रीय सरकार द्वारा तय रेट से अधिक रेट पर गन्ना खरीदा जा रहा है। ब्याज देने की परम्परा पहले कभी नहीं थी और न आज ही यह परम्परा है। परसों भी मैंने यह बात कही थी लेकिन सदन में

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री गणेशी लाल]

माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो बात मैंने परसों कही थी मैं आज भी उसी भाषा और उसी वक्तव्य पर अडिग हूं। हरियाणा की किसी भी को-आपरेटिव शूगर मिल ने कभी भी कोई ब्याज नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने सम्मानित सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उनकी सन्तुष्टि हो इसलिए मैं समझता हूं कि ब्याज वाली जो बात उठाई गई है उसका समुचित उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप यह बताईये कि क्या हरियाणा बनने के बाद किसी भी सरकार ने कभी भी किसान को ब्याज दिया है।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 10 शूगर को-आप्रेटिव मिलें हैं। आज की तारीख तक किसी भी को-आप्रेटिव शूगर मिल ने किसान को कोई भी ब्याज नहीं दिया है। (Interruptions)

Mr. Speaker : Chautala sahib, only two questions can be asked. Either you can ask or some other member of your party can ask.

11.00 बजे

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कल अपनी की हुई भूल को सुधार लिया है। इन्होंने माना है कि ब्याज देने का रूल है। अभी मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि किसी सरकार ने ब्याज नहीं दिया। स्पीकर साहब, आपने यह सवाल दोबारा भी पूछा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी सरकार की तरफ इतने लम्बे समय तक किसान का पैसा नहीं रहा। 14-14 महीने तक किसान को पेमैंट नहीं हुई। इससे पहले कभी इतने लम्बे समय तक कोई बकाया ही नहीं था तो फिर ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं था। 14-14 महीने का किसान का बकाया पड़ा है इसलिए ब्याज देना पड़ेगा। जहां तक यह बताया गया है कि इसका फैसला बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज़ ने करना है, इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने बीच में इन्टरवीन करके कहा था कि यह काम बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज़ का है। मुख्य मंत्री जी भी इस कानून को पढ़ लें। यह बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज़ की नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। को-आप्रेटिव शूगर मिलें किसानों की देनदार हैं और पैसा ब्याज समेत देना पड़ेगा, अन्यथा लोग अदालतों में जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को मजबूरन मुलजिमों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। यह कह कर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि पहले ब्याज नहीं दिया गया। पहले तो किसानों का कुछ बकाया ही नहीं रहा था। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब के अपने हाथ ही खून के रंगे हुए हैं और आज ये हमारी सरकार के बारे में कहते हैं कि मुलजिम है। (विघ्न) स्पीकर साहब, इन्होंने अपने राज में किस तरीके से मेहम में खून खराबा किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल इन के एक साथी ने कहा था कि चौधरी देवी लाल के वक्त में ब्याज दिया गया था। क्या आज भी ये वही बात रिपीट करते हैं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल के वक्त में किसानों को गन्ने की पेमैंट गेट पर मिल जाती थी और किसानों का कोई पैसा बकाया नहीं था। आप चाहें तो रिकार्ड देख लें। अगर रिकार्ड में साबित हो जाए कि हमने नहीं दिया है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये ऐसी बात कहकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम विलास शर्मा : आप यह कहते हैं कि आप ब्याज देते थे और हम यह कहते हैं कि आप ब्याज नहीं देते थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसानों के गन्ने की पेमैंट गेट पर होती थी। कोई बकाया नहीं था। आज किसान को 14 महीने का पैसा देना बकाया पड़ा है। (विघ्न) ये उस राज में वजीर थे और यह बात रिकार्ड में भी दर्ज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां पर * * * * जैसे हालात पैदा कर रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वे कार्यवाही से निकाल दिये जाएं। (शोर एवं व्यवधान) धीरपाल जी आप बिना इजाजत के न बोलें। आप बैठ जाएं।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता इस बारे में विचार करके देख लें कि वास्तव में हमारी सरकार ने पेमैंट खेतों में जाकर दी है या नहीं दी। मैं अगर सोनीपत मिल की चर्चा करूं तो अप्रैल 1989 में 1.10 करोड़ रुपया किसानों का खड़ा था, वह जुलाई तक 5.21 लाख रह गया और अगस्त में निल हो गया। 1990 के अन्दर 93.66 लाख था, वह जुलाई के अन्दर घटकर 54 हजार रह गया और अगस्त में निल हो गया। 1991 में 1.21 करोड़ रुपया किसानों का बकाया खड़ा था जो जुलाई में निल हो गया। अगर मैं शाहबाद का जिक्र करूंगा तो * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बाद भी ये कहेंगे कि गेट पर पेमैंट होती थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे टाईम में शाहबाद वाली मिल में बहुत ज्यादा मुनाफा था और आज वही मिल घाटे में चल रही है।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह भी ये गलत बोल रहे हैं और बेबुनियाद बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हर सरकार के वक्त में गन्ने की पेमैंट लेट होती रही है। यह कहना कि गेट पर पेमैंट होती थी यह सरासर असत्य है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन भाईयों से यह पूछें कि चौधरी देवी लाल के वक्त में गन्ना खेतों में जलाया था या नहीं जलाया था। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकार्ड में आई कि चौधरी देवी लाल जी के वक्त में गन्ना खेतों में जलाया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप थोड़ा पैशेंस रखें क्योंकि पैशेंज लूज करने से कुछ नहीं होगा। आप बैठिए। यह कोई बोलने का तरीका थोड़े ही है। पहले आप प्वायंट ऑफ आर्डर करें और तब बोलें। आपके नेता ने अपनी बात अभी कह दी है। आपके नेता ने अपनी एक सप्लीमैंट्री पूछ ली है और इन्होंने अब भी कहा है कि हमारे राज में कोई गन्ने की पेमैंट नहीं रुकी जिसके बारे में मंत्री महोदय भी बता रहे हैं इसलिए आप बैठें।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं भी अपनी बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी हाउस को गुमराह किया है कि हमारे राज में गन्ना जलाया गया है। हमारे राज में कोई गन्ना नहीं जलाया गया (शोर एवं व्यवधान) मुख्य मंत्री जी इस बात को प्रमाणित करें कि चौधरी देवी लाल के शासनकाल में एक भी गन्ना जलाया गया हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब पहले गणेशी लाल जी अपनी बात पूरी करें और उसके बाद चौटाला साहब अपनी एक और सप्लीमेंट्री पूछेंगे।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। अभी मुख्य मंत्री जी ने इस हाउस को गुमराह किया है कि देवीलाल के राज में गन्ना जलाया गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। राजकुमार जी, आप भी बैठें। आप सभी पहले चौटाला साहब को आराम से सुनें और उसके बाद चौधरी बीरेन्द्र सिंह की बात सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि देवी लाल के शासन काल में गन्ना जलाया गया था लेकिन उनके शासनकाल में एक गन्ना भी नहीं जलाया गया। (विघ्न)

श्री राजकुमार सैनी : स्पीकर सर, सात एकड़ में तो गन्ना उस समय मैंने जलाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल के शासनकाल में गन्ना पैदा करने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था। चौधरी बंसी लाल जब मुख्य मंत्री थे तो जब किसान गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए आन्दोलन किया करते थे तब ये उन किसानों पर घोड़े दुड़बाया करते थे और ठंडे पानी के फव्वारे फेंकने का काम किया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, चौटाला साहब के राज में तो कोई गन्ना नहीं जलाया गया क्योंकि ये तो रहे ही 4-5 महीने थे। गन्ना जलाने की फुर्सत कहां थी। (हंसी) उन 5 महीने के टाइम में भी यह बात प्रचलित थी कि चौटाला साहब को किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि आप तीन बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये फटाफट तीन बार बन लिये। (शोर एवं व्यवधान) जो चौधरी देवी लाल जी के समय में गन्ना जलाने की बात है (विघ्न) उससे पहले मैं अपना एक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। (विघ्न)

(ii) मुख्य मंत्री द्वारा

श्री बंसी लाल : आन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे पहले के शासनकाल में गन्ने के भाव के लिये जब किसान ऐजीटेशन करते थे तो उन पर पानी के फव्वारे या पानी की बौछार की जाती थी। स्पीकर सर, मेरे 1975 के शासन काल में गन्ने के भाव का ऐजीटेशन हुआ ही नहीं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : 1986 में यमुनानगर में ऐजीटेशन हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप मिनट में खड़े हो जाते हो। आप बैठ जाइए और धीर पाल जी आप भी बैठ जाइए। आपका क्वैश्चन हो लिया है। Now I allow Shri Randeep Singh Surjewala to ask question.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाइए आपको भी टाइम देंगे।

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह कहा कि हालांकि कोई प्रथा ब्याज देने की नहीं है और पिछली सरकारों ने भी शायद नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब एक मंत्री की मर्यादाओं को लांघ रहे हैं इस बात की जिम्मेदारी आपकी है (विघ्न) मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब शूगर केन ऐक्ट के तहत बने रूल-18 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर 14 दिन तक गन्ने की पेमैंट न हो तो यह सरकार की जम्मेदारी है। स्टैच्युटरी औब्लीगेशन है कि ब्याज देना पड़ेगा। इसमें सवाल यह नहीं कि पिछली सरकारों ने ब्याज नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्ने की कीमत चुकाने का सवाल है, हमारे दो पड़ौसी प्रदेश केन ग्रोइंग हैं। वे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश। उन दोनों से अच्छी पेमैंट हमने की है। आज भी उन के मुकाबले में हमने अच्छी पेमैंट की है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मेरा सवाल यह था कि (विघ्न)

Mr. Speaker : You only ask question on the calling attention motion.

Shri Randeep Singh Surjewala : I am only framing my question.

Mr. Speaker : Please ask question.

Shri Randeep Singh Surjewala : Let me frame my question, sir.

Mr. Speaker : You should have framed your question earlier.

Shri Randeep Singh Surjewala : I am asking the question if the Members of the House allow me to speak, subject to your permission.

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am asking question. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 14 दिन के अन्दर किसान को गन्ने की पेमैंट नहीं होती है तो किसानों को ब्याज दिया जायेगा। क्या इस स्टेच्युटरी आबलिगेशन को यह मौजूदा हरियाणा-भाजपा सरकार निभायेगी; अगर नहीं निभायेगी तो क्या इस कानून को खत्म करने जा रही है ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने यह कोई नया प्रश्न नहीं पूछा है। जिस बात का जिक्र सम्मानित विपक्ष के नेता ने बाकायदा पढ़कर रेजौल्यूशन किया था, वही जिक्र हमारे सम्मानित कांग्रेस (इ) के सदस्य रणदीप जी ने किया है। मैं उस प्रश्न का उत्तर रिपीट कर रहा हूं। (विघ्न) अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने के 275 करोड़ रुपये बकाया हैं और पंजाब में 40 करोड़ रुपये बकाया हैं। हरियाणा में तो सिर्फ 13 करोड़ रुपया ही हमने एरियर का देना

[श्री गणेशी लाल]

है। इसके साथ किसी भी प्रदेश या हरियाणा प्रदेश के को-आप्रेटिव शूगर मिल ने आज तक किसानों के गन्ने की बकाया रकम पर ब्याज नहीं दिया है। सम्मानित विपक्ष के नेता ने कहा कि हमने खेतों में जाकर किसानों को पेमैंट की है। उसके बारे में मिल वाईज आपको ब्यौरा दे सकता हूं। हमने सोनीपत और पानीपत की को-आप्रेटिव शूगर मिल के करोड़ों रुपये के जो पैंडिंग बिल थे वे बगैर ब्याज नवम्बर और दिसम्बर में क्लीयर किये हैं। जिस कानून की बात सम्मानित सदस्य कर रहे हैं उसको मैं रिपीट करना चाहता हूं। यह स्टेच्युटरी मिनिमम प्राईस से रिलेटिड है गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने गन्ने का 45.90 रुपये मूल्य निर्धारित किया है और यह इससे कनैक्टिड है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : रिकवरी कितने मिलों की है।

श्री गणेशी लाल : इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं। जहां तक ब्याज देने का संबंध है हमने पहले से ही हाई प्राईस गन्ने की 70, 72 और 75 रुपये के हिसाब से किसानों को दी है। इसलिये ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप पहले मेरी बात सुनिए। फिर क्लैरिफिकेशन दीजिए। परसों मंत्री जी ने यह कहा था कि क्रशिंग सीजन 180 दिन का है और अगर उसके बाद पिराई होती है तो उसकी रिकवरी के हिसाब से पेमैंट करेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि रिकवरी कम होगी तो आप कम पेमैंट करेंगे।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्टेच्युटरी मिनिमम प्राईस से नीचे तो जा ही नहीं सकती । (विघ्न) यह प्राइस 45.90 रुपये प्रति क्विंटल है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : इसका मतलब है कि 180 दिन के बाद आप 45.90 रुपये का भाव देंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं कि गन्ने का भाव 45.90 रुपये किसानों को मिलेगा। हमारी कमिटमैंट तो यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में, जिसका भी गन्ने का भाव ज्यादा होगा हम अपने किसानों को वही भाव देंगे। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे कृषि विभाग में 1977 से 1980 का रिकार्ड है। जब चौधरी देवी लाल जी का राज था तब 28-29 लाख क्विंटल गन्ना खेतों में खड़ा रह गया था और बाद में कई किसानों को गन्ना खेत में ही जलाना पड़ा था। हमारे विभाग में यह दर्ज है। अगले वर्षों में इन्होंने किसानों को उस गन्ने की भरपाई करने की कोशिश की थी। तब ये वह भरपाई भी नहीं कर सके और आज ये कौन से मुंह से कहते हैं कि हरियाणा की यह सरकार किसानों के हित में नहीं है। अपने काल में इन्होंने किसानों के साथ और खासकर उन किसानों के साथ जो गन्ना बोते थे क्या कोई खास इंतजाम किया था ?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मंत्री जी ने हाऊस में इस ढंग से जानकारी दी और यह दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे समय में गन्ना जलाया गया (विघ्न) आप इस कैबिनेट में मंत्री हैं। आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे।मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं 1978 में तो इनके यहां ब्याहा गया था।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए।

श्री धीरपाल सिंह : 1986 में बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय सहकारी मिलों में 30 करोड़ रुपये का घाटा चल रहा था । उस समय गन्ने का भाव 22 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी का भाव 13 रुपये प्रति किलो था। मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। उसके बाद हमारी सरकार आई तथा सहकारी मिलें जो घाटे में चल रही थीं उनको प्रोफिट में लाने की कोशिश की गई । इस बारे में रिकार्ड भी दर्शाता है। इन्होंने गन्ने को जलाने का आरोप लगाया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में 7 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनकी आज भी क्रशिंग कैपेसिटी सारे उत्तरी जोन में नम्बर एक पर है। (थंपिंग) जहां पहले जो मिलें 70-80 प्रतिशत क्रशिंग करती थीं वे हमारे समय में जींद में 120 और शाहबाद में 135 प्रतिशत क्रशिंग करने लग गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्ना कहां बचा होगा।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी अपनी बात पूरी करें।

श्री धीरपाल सिंह : दूसरी यहां पर बात गन्ने की पेमैंट की आई। हमारे समय में शाहबाद शूगर मिल में इतना मुनाफा हो गया था कि पैसा टैक्स में जाने लगा था जो कि रिकार्ड की बात है। इस प्रकार से जब इंकम टैक्स में पैसा गया तो सरकार ने यह फैसला किया कि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उस किसान को आर्थिक सहायता दी जाए। इस प्रकार से हमारी सरकार के समय में शाहबाद शूगर मिल में बीस रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस के रूप में अदा किया गया। यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात पूरी कर लेता हूं। रिकार्ड के आधार पर सभी सहकारी मिलें जो घाटे में थीं, उनमें जो ब्रेक हो रहा था, कर्मचारियों के सहयोग से व किसानों के सहयोग से हम उन मिलों को मुनाफे में ले आए थे यह रिकार्ड की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। धीरपाल जी को शायद याद नहीं है कि इनके शासनकाल में कैथल की शूगर मिल लगी थी। उसको बड़ी बेरहमी और बड़ी लापरवाही से इन्होंने लगवाया था जो कि आज तक अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ी नहीं हो सकी है। ये कहते हैं कि इन्होंने किसानों का हित किया है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, अब आप बैठिए, आपको बाद में समय दिया जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1990 से 1996 के बीच गन्ने का क्या भाव था ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जो प्राइवेट शूगर मिल हैं जैसे कि यमुना नगर में शूगर मिल है, अगर ये शूगर मिल 14 दिन से ज्यादा गन्ने की कीमत किसान को अदा नहीं कर सकते हैं तो क्या वे उस राशि पर कोई ब्याज की राशि देते हैं अथवा नहीं ?

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर) हाऊस के मैम्बर का यह अधिकार है कि वह प्वायंट आफ आर्डर पर बोल सकता है। (शोर) आप सभी पार्टीज के स्पीकर हैं केवल रूलिंग पार्टी के स्पीकर नहीं हैं लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि रूलिंग पार्टी के लोग जब मर्जी आए बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग पार्टी के एम०एल०एज़० से रिक्वैस्ट करूंगा कि when the Speaker is on his legs, they should not stand. एक बात चौधरी भजन लाल जी ने मेरे बारे में कही कि आप सभी पार्टीज़ के स्पीकर हैं किसी एक पार्टी के नहीं हैं। इसका जवाब मैं इनको यहां पर नहीं देना

[श्री अध्यक्ष]

चाहूंगा ये मेरे चैम्बर में आ जाएं मैं इस बात का जवाब इनको वहां पर दे दूंगा। मैंने सभी पार्टीज के सदस्यों को बड़ा लिबरली बोलने का टाईम दिया है। चौधरी भजन लाल जी आप अपना चार महीने पहले का टाईम याद करें।

श्री भजन लाल : चार महीने पहले मैं स्पीकर तो नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आप स्पीकर तो नहीं थे लेकिन आपकी पर्चियां चलती थीं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने चौधरी भजन लाल जी की एक बात के जवाब में यह कहा कि चौधरी भजन लाल चार महीने पहले स्पीकर तो नहीं थे लेकिन इनकी पर्चियां चलती थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्चियों से इस स्पीकर की चेयर को अपमानित किया जा सकता है ?क्या यह प्रथा आप ने देखी थी। यदि देखी थी तो क्या आपने उस वक्त इसका एतराज किया ? क्या यह प्रथा आगे के लिए नहीं होगी ? यह अध्यक्ष की गरिमा का प्रश्न है। आप स्वयं यह बात कहते हैं कि चौधरी भजन लाल स्पीकर तो नहीं थे लेकिन इनकी पर्चियां चलती थीं। यदि आपने उस समय इनकी पर्चियां चलती देखीं और आपने उसका एतराज नहीं किया तो मैं समझता हूं कि उस समय इस पद की गरिमा का मलियामेट किया गया था। स्पीकर साहब, यह बात आपके मुंह से कही गई है इसलिये आप इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : मैं कोआप्रेशन मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे कृपया रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी के सवाल का जवाब दें।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है किसी सहकारी शूगर मिल ने आज तक कोई ब्याज नहीं दिया।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, बीच में इन्टरवीन करते हुए कृषि मंत्री जी ने अपनी एक लम्बी चौड़ी बात कहने की कोशिश की थी। कृषि मंत्री जी भूल गये कि हमारी उस समय की सरकार ने किसी भी शूगर मिल को घाटे में नहीं जाने दिया। आप इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। कृषि मंत्री जी मैं यह औफर देता हूं कि आप उस बारे में इन्कवायरी करने के लिए हाउस के सदस्यों की एक कमेटी बना दें क्योंकि मैं उस समय की सरकार में सहकारी मंत्री था। यदि कैथल शूगर मिल में उस समय मेरे से संबंधित कोई अनियमितता हो तो आप उसकी इन्कवायरी करवा लें। जब तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी मैं हाऊस में प्रवेश नहीं करूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि मुझे तो इस बात का पता नहीं कि उस वक्त आप इस महकमे के वजीर थे। मैंने आपका नाम नहीं लिया लेकिन हरियाणा के लोग जानते हैं कि उसमें गड़बड़ हुई। ये इस बात से मुकर नहीं सकते कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसलिए हम इस सारे मामले की जांच करके सारे तथ्य सामने लाएंगे। सुर्जेवाला जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये भजन लाल जी से पूछें कि इनके वक्त में क्या-क्या हुआ था। शाहबाद शूगर मिल की एक्सपैंशन पर 35 करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन उसकी एक्सपैंशन कहां गई ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे नोटिस में शाहबाद शूगर मिल में गड़बड़ के बारे में शिकायत आई तो मैंने उसकी जांच के आदेश दिये थे। जांच पूरी नहीं हो पाई थी कि बीच में चुनाव आ गये। हमने आदेश दिये थे कि शूगर मिल में जो पैसा

खर्च हुआ है उसकी जांच करवाई जाये। अब ये उसकी जांच करवा लें और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले सीजन में और उससे पहले सीजन में शाहबाद शूगर मिल में 12 करोड़ रुपया मुनाफा था। फिर इस शूगर मिल की एक्सपैंशन हुई मुझे नहीं मालूम कि कितना पैसा इस काम पर खर्च हुआ लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपैंशन के बाद जो 12 करोड़ रुपया मुनाफा था वह तो खत्म हुआ ही और साथ ही पिछले साल डेढ़ पौने दो करोड़ रुपये का नुक्सान इस मिल में ओर हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैंने किये थे, उनके जवाब नहीं आये। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।(शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। केवल एस सप्लीमैंटरी आपकी तरफ से कोई पूछ सकता है।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए अलाउ किया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम ब्याज इसलिये नहीं दे सकते क्योंकि इसमें मिनिमम स्टेच्युटरी प्राइस देखते हुए हम पहले ही बहुत पैसा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नो नो । आप बैठिये। चौटाला साहब, आपकी तरफ से केवल एक सप्लीमैंटरी पूछी जानी है, कोई भी पूछ ले। आप बताएं कि किसने सवाल पूछना है?

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : आप मेरी बात तो सुनिये। मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। राम पाल माजरा जी आप पूछिये।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों का जब गन्ना बौंड करते हैं तो कई बार किसान किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं। जैसे पिछले साल बाढ़ के कारण किसानों पर यह आपदा आ पड़ी थी। जब ऐसी आपदा के कारण वे पूरा गन्ना बौंड किया हुआ सप्लाई नहीं कर पाते तो उन पर पैनेल्टी डाल दी जाती है। इस प्रकार की पैनेल्टी जीन्द में किसानों पर साढ़े ग्यारह लाख और कैथल में साढ़े बारह लाख लगाई गई। इसी प्रकार से दूसरे शूगर मिलों ने भी पैनेल्टी लगाई है। मैं जानना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की आपदा आती हो तो क्या उस पैनेल्टी को जो लगाई जा चुकी है, माफ करेंगे और भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा ? दूसरा सवाल यह है कि किसान जब गन्ना मिल के गेट पर लाता है या सैन्टर पर लाता है तो कई शूगर मिलों द्वारा प्रति क्विंटल सवा रुपया शेयरमनी का काटा जाता है। इसी प्रकार से शाहबाद में 50 पैसे प्रति क्विंटल कटौती की जाती है और जीन्द में भी 50 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो पैनेल्टी लगाई गई है क्या उसको माफ करने बारे सरकार विचार करेगी ? (विघ्न)

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फल्डज़ के कारण शूगर की रिकवरी 9.01 से घटकर 8.18 रह गई है। स्टेच्युटरी मिनिमम प्राईस रिकवरी

[श्री गणेशी लाल]

के साथ कनैक्टिड है। शूगर की रिकवरी कम होने के बावजूद भी किसानों को 70-72 तथा 75 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया गया। इसके साथ ही साथ पैनेल्टी के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। पिछली सरकार के समय भी यह बात इसी प्रकार से रही है। हमारे सम्मानित साथी को अच्छी प्रकार से मालूम होगा कि किसान बाउण्ड तो भरते थे, 150 क्विंटल गन्ना देने का लेकिन उनके पास 50 क्विंटल गन्ना भी नहीं होता था। वे ऐसा करते थे कि कम रेट पर गन्ना बाहर से ला कर यहां पर बेचते थे। इस में कोई शक नहीं कि फ्लड्ज की वजह से भी गन्ने का नुकसान हुआ है। पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसे ही कम रेट पर गन्ना ला कर बेचा जाता है। इस कारण स्टेट में गन्ने की क्रशिंग कैपेसिटी काफी कम होने से मिलों को घाटा हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि मिल और फार्मर एक दूसरे पर निर्भर हैं। मिल के बगैर किसान जिन्दा नहीं रह सकता और किसान के बिना मिल जिन्दा नहीं रह सकता है। आज मिल और किसान 100 प्रतिशत एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान का पालन पोषण और उसके परिवार का भरण पोषण मिल के कारण होता है। एक प्रकार से ये मिलें गवर्नमैंट की एजैंसीज़ हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे किसान जिन्होंने मिल के साथ एक प्रकार से बगावत की हुई है, उस बारे सरकार चिन्तित है। (विघ्न)

श्री बलाहके माइजन क्लाउडे, फ्रांस के राजदूत का अभिनन्दन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I want to make an announcement that Mr. Blahchemaijon Claud, French Ambassador is present in the V.I.P. Gallery. We welcome him.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की तरफ से श्री बलाहकेमाइजन का डिस्टिंग्विशड गैलरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। वे हमारे सदन के बीच आए हैं और उन्होंने हमारी हौसला अफ़जाई की है।

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करने जा रहा हूं कि ऐसे किसान जिन्होंने मिल के साथ बाउंड भरा था लेकिन फ्लड के कारण वे बाउंड पूरा नहीं कर पाए ऐसे किसानों को सर्च किया जा सकता है। शूगर केन कण्ट्रोल बोर्ड इस बारे में जो भी निर्णय लेगा स्वाभाविक रूप से सभी को स्वीकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने सवाल पूछना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैंने दोनों तरफ से यह चाहा था कि इस बारे में दो-दो क्वैश्चन पूछे जाने हैं। आपकी ओर से दो पूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। (विघ्न एवं शोर) जैसे कि पहले ही डिसाइड हुआ था अब तारांकित प्रश्न 150 पर आधे घंटे की चर्चा होगी।

तारांकित प्रश्न 150 पर आधे घंटे की चर्चा

श्री अत्तर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए कहें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी कालिंग अटैंशन मोशन का क्या हुआ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, अब ज़ीरो आवर नहीं है, इसलिए आप बैठे (विघ्न) मुझे बड़े दुःख के साथ दोहराना पड़ता है कि भूतपूर्व मंत्री भी बिना इजाजत के खड़े रहते हैं, यह ठीक नहीं है। (शोर

एवं व्यवधान) Now, there is no zero hour. Please take your seats. (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, ये वाक आउट करना चाहते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Khurshid Ahmed : Sir, with your permission, I want to raise the point of order on the same matter. (Noise & Interruptions). Sir the question which has been debated in this House today relates to a matter which is under adjudication by a court. I bring to your notice some of the provisions of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative assembly which might have not been brought to your notice or you might have lost sight of them. They have been missed somehow or otherwise. But it is my duty to bring it to your kind notice before the discussion starts on this matter. I bring to your notice Rule 46 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

श्री अध्यक्ष : चौधरी खुर्शीद अहमद जी आप बैठें। मैंने पहले भी होम मिनिस्टर जी को कह दिया था कि जो मामला सब-जुडिस है उस पर डिस्कशन न करें और जो सब-जुडिस नहीं है उस पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान) मुझे नहीं पता है कि क्या मामला है। If it is in the knowledge of the Home Minister, I would request him to make statement on the point which has not been raised in the court.

Shri Khurshid Ahmed : Exactly, Sir, Now I read Rule 46 (10) because it has been missed right from the beginning. It reads as under :-

'it shall not ask for information on any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.'

Sir, it is a question which relates to a matter which is wholly under adjudication by a court of law. In view of the situation, I expect a ruling from your side. Mr. Speaker, Sir in such a situation can there be any discussion on such a question. I want your ruling on this matter and then the Hon'ble Home Minister may say anything whatever he likes. I only wanted it to bring to your kind notice, Sir.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मामला अन्डर एडजुडिकेशन है। बोर्ड ने 11-10-96 से सैम्पल लिए थे जिसमें हिसार ऐसोशिएट डिस्टिलरी का सैम्पल भी लिया। जो बी०ओ०डी० का पैरामीटर है उसके हिसाब से पानी में पोल्यूशन 30 मिली ग्राम तक होना चाहिए लेकिन हिसार ऐसोशिएट डिस्टिलरी का 1350 मिलीग्राम निकला इसलिए यह मामला अंडर एडजुडिकेशन है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं कहा था। आप बिना इजाजत के ही बोलने लग गये थे। इसलिये मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष : प्वायंट ऑफ आर्डर तो आपने बाद में कहा है।

श्री भजन लाल : मैं अब कह रहा हूं कि मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हूं। आपके द्वारा मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए समय न देना अच्छी बात नहीं है, यह बात आपकी मुनासिब नहीं है। अगर हम आपको कुछ कहें तो यह हमें शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, आप बैठिए और अब गोदारा साहब अपनी बात कहेंगे।

श्री मनीराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी हाउस को विश्वास दिलाया था कि मैं जो भी शब्द कहूंगा .... (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। Sir, under Rule 99 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, a member may speak on any question before the Assembly or raise a point of order. How can you disallow his point of order.

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह, आप बैठिए और अपने लीडर को समझाएं कि बोलने से पहले इनको प्वायंट ऑफ आर्डर के लिए तो कहना चाहिए। आप इनको समझाएं। अब मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपनी बात पूरी करें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बार फिर प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि खुर्शीद अहमद साहब ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं तथा सरकार ने भी अपने जवाब में कहा है कि यह मामला सब जुडिस है। अगर आप इस मामले पर बहस कराएंगे तो यह कोर्ट की तौहीन होगी क्योंकि इस मामले से संबंधित जो बातें यहां आएंगी, उनका असर कोर्ट पर भी और इस डिस्टिलरी पर भी पड़ेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि चूंकि यह मामला सब जुडिस है इसलिए यह मामला बहस में नहीं आना चाहिए। अगर आप इस पर बहस कराते हैं तो यह आपकी और सरकार की जिम्मेदारी होगी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया था कि सब जुडिस केवल एक प्वायंट है। एक पार्टीकुलर दिन में उस डिस्टिलरी का नमूना लिया गया और वह नमूना फालतू मिला इसलिए केवल वह प्वायंट ही सब जुडिस है। इस डिस्टिलरी के आगे पीछे वाली जनता को नींद नहीं आती। मिलिट्री वालों ने मुझे हिसार में मिलकर इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया था अब भी मिलिट्री वालों ने मुझे इसी बारे में लैटर लिखा है कि इस डिस्टलरी की वजह से लोगों की नींद हराम हो रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, वह सब जुडिस नहीं है बल्कि सब जुडिस तो एक ही प्वायंट है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बार फिर प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये गलत कहते हैं कि सारा मामला सब जुडिस नही है मै कहता हूं कि सारा मामला सब जुडिस है केवल एक मामला ही सब जुडिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए। एक बात को आप अपने मांईड में मेकअप कर लें कि जब भी आप बोलने के लिए खड़े हों तो पहले प्वायंट ऑफ आर्डर कहें और फिर अपनी बात

कहें। Ch. Bhajan Lal Ji, please don't make it a Panchayat Ghar. I would not allow you to speak like this. मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार कहा है कि अगर कोई भी प्वायंट सब जुडिस है तो that should not be discussed in the House. (Noise & Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर काफी चर्चा चली और कई कानून दिखाए गए। कई लोगों ने स्पष्टीकरण देने की भी कोशिश की लेकिन मुझे तो एक ही बात का अंदेशा है, यह मामला सब जुडिस है या नहीं यह तो अलग बात है लेकिन अगर यह मामला बाद में सब जुडिस साबित हो गया कहीं कंटैम्पट ऑफ कोर्ट में हम न आ जाएं क्योंकि हम भी हाउस का पार्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, करे तो कोई और भरे कोई। यह इन दोनों रिश्तेदारों का आपस का मामला है लेकिन कहीं इसके बीच में हम न आ जाएं, मुझे यही चिन्ता है।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको हाउस के अंदर कहा था कि यहां असत्य बोलना पाप है और आज भी मैं अपने उन्हीं शब्दों पर कायम हूं। आज जो तथ्य है वह मैं आपके सामने रखूंगा उसमें एक भी प्वायंट असत्य नहीं होगा। जो वाक्यात हैं, जो इस सारे सिलसिले का रूप हैं उसमें मैं असत्य नहीं बोलूंगा। जो बातें मैं आपसे कह रहा था उस मामले के अंदर मुझे खुशी है कि मुझे और ज्यादा कहने का समय मिल गया। हो सकता है कि उस सवाल का जवाब देते हुए मुझे 5-7 मिनट लगते। जैसा मैंने कहा था कि पौलिटिकल कंसीडेशन, पौलिटिकल आदमियों की मतलब परस्ती के कारण आज हमारे हरियाणा के अंदर सारा सिस्टम बिगड़ गया। उस बात को लेकर अगर आज हम यह न सोचें तो गलत होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अदालत वाली कोई बात नहीं लाऊंगा जिससे अदालत के बारे में कोई मानहानि की बात आए। इसलिए मैंने इस मामले के अंदर पूरी तसल्ली कर ली और तसल्ली करने के बाद आपको यह विश्वास दिलाया था कि कोई भी सब-जुडिस बात नहीं कहूंगा। सवाल इस बात का है कि माननीय मैंबर श्री अतर सिंह सैनी ने पूछा कि ऐसोशिएट डिसटीलरी जो हिसार के अंदर लगी हुई है जिसके मालिक हमारे पुराने मुख्यंत्री चौधरी भजन लाल या उनके रिश्तेदार हैं, उसके बाबत क्या कोई शिकायत जनता की तरफ से या आर्मी की तरफ से आई है या नहीं। क्या इस मामले में कानून की उल्लघंना हुई है या नहीं हुई। इसे घलाते हुए उल्लंघना हुई कि नहीं ? उन सारी बातों का जब मैं जवाब दे रहा हूं तो विस्तार से हालात भी आपके सामने रखने पड़ेंगे। सन् 1974 में जनता के स्वास्थ्य को, नयी पीढ़ी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण ऐक्ट बनाया गया। उसके पीछे मुद्दा यह था कि सारे देश के अंदर आज जो पोल्यूशन हो रहा है, जो कारखानों के कारण हो रहा है उस पोल्यूशन के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस बारे देश को सोचना चाहिए। उसके लिए कायदे-कानून और ऐसे रास्ते अपनाने चाहिएं जिससे देश की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। इसलिए 1974 में पौल्यूशन ऐक्ट बनाया और उसके लिए जो पार्लियामैंट में पौल्यूशन कमेटी बनाई गई, उसका मैं मैम्बर था। उस कमेटी का मैम्बर होने के नाते हमने सारे भारत के अन्दर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का दौरा किया यह देखने के लिए कि पौल्यूशन किस किस कारण से होता है और इस पौल्यूशन को किस तरफ से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ट्रीट कर सकते हैं। उस कमेटी ने सोचा कि बातावरण को ठीक करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनायें और बातावरण को ठीक रखने के लिए किस तरह की हिदायत दी जायें। स्टेट लेवल पर भी पौल्यूशन बोर्ड बनाये गये और इस एक्ट के तहत जिन फैक्ट्रियों से स्टेट और देश को खतरा हो सकता था उसका ध्यान रखा गया। उस समय इन्दिरा जी देश की नेता थीं और इस एक्ट के खिलाफ बोलने वाले भी इन्दिरा जी के सेवक थे। वे कहते थे कि

[श्री मनी राम गोदारा]

इन्दिरा गांधी की पार्टी का निशान जो हाथ का पंजा है वह खूनी पंजा है। उन्होंने यह हालात पैदा किये कि हरियाणा के अन्दर एक फैक्ट्री की बात नहीं बल्कि समालखा, सोनीपत और हथीन के अन्दर शराब की फैक्ट्रियां खोल दी जबकि हरियाणा के अन्दर तो दूध, घी और मक्खन की फैक्ट्री या प्लांट लगने चाहियें थे ऐसा करके हरियाणा प्रदेश के सामाजिक सिस्टम को धोखा दिया गया। हरियाणा की जनता को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज हरियाणा की जनता को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। आज हमें शराब को हरियाणा में बिल्कुल बन्द करना पड़ा। उस वक्त पौल्यूशन एक्ट की अवहेलना करके हरियाणा में एक नहीं बल्कि चार चार फैक्ट्रियां लगा दीं । पता नहीं हरियाणा को ये क्या बनाना चाहते थे। किंग आफ बाईन इन इण्डिया, उसका नाम और क्या हो सकता है। किंग आफ बाईन ही मैं कहूंगा। 1984 से लेकर 1996 तक 12 साल तक अदालत के नाम पर या मामले को सब जुडिस कहकर पौल्यूशन एक्ट का मिस यूज किया गया है। 12 साल तक ये सारी की सारी फैक्ट्रियां खुलती चली गई। शराब बिकती चली गई। हरियाणा की जनता को हर साल तीन हजार करोड़ रुपया शराब पर खर्च करना पड़ा जिसके कारण हर साल लोगों के खेत बिक जाते थे। मेरी कांस्टीच्यूंसी में हर साल 60 गांवों के लोगों की जमीन बिक जाती थी। उस जमीन को बेचकर लोग शराब पीते थे और शराब की फैक्ट्री वाले रत्न बने हुए हैं। इस तरह से हरियाणा में जो सारे का सारा एफलुएशन हुआ उस की जिम्मेवारी मैं किसी एक आदमी पर नहीं ठहराता बल्कि हमारे अपोजीशन के लीडर श्री ओम प्रकाश चौटाला साहब और ये सारे यहां से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहां तक जो बैठे हुए हैं, मैं इस सबकी जिम्मेवारी ठहराता हूं। (विघ्न) मैंने पीने की बात नहीं कही। (विघ्न एवं शोर) मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हरियाणा के सामाजिक रूप को बदलने में 1984 से लेकर 1996 तक 12 सालों में किस-किस का हिस्सा रहा है। मैं पीने की बात कहां कह रहा हूं। आप यह कहें कि हमारा क्या वास्ता है। चौटाला जी कह सकते हैं कि हमारा पीने से क्या वास्ता हैं। (विघ्न) मैं आपको वह भी बताऊंगा कि हमने क्या काम करने की कोशिश की और आपने क्या काम करने की कोशिश की। कृपया आप सुनिए। Why are you so much disturbed and perturbed ? मैंने पहले ही कहा है कि मैं बिल्कुल सत्य ही कहूंगा और झूठ नहीं कहूंगा। मैं आपसे यही कह रहा था कि मई, 1984 में शराब की फैक्टरी लगाने के लिए एन०ओ०सी० के लिए एप्लाई किया गया और अगस्त में एन०ओ०सी० मिल गया। भट्ठे वाले, छोटी भट्ठी वाले लुहार, खाती या छोटी-छोटी फैक्टरी लगाने वाले को कई-कई साल तक चक्कर लगाने के बाद भी एन०ओ०सी० नहीं मिलती। इसके कारण पौल्यूशन बोर्डज़ को अपनी अपनी स्टेटों के अंदर उन छोटी छोटी आइटम्ज़ को निकालना पड़ा। अब उनको एन०ओ०सी० लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी शराब की फैक्टरी हरियाणा के अंदर शुरू हुई। मई में एन०ओ०सी० के लिए दरख्वास्त की गई तथा अगस्त में एन०ओ०सी० मिल गया। मैं कहता हूं किस बात के लिए एन०ओ०सी० मिला और किस बात को पूरा करते हुए एप्लाई किया गया था। पौल्यूशन बोर्ड की शर्तें हैं कि एफलुएशन को ट्रीट करने का कार्य पूर्ण हो। There are three stages of the effluent system. इन तीनों स्टेजिज़ में पानी को साफ किया जाता है। इस पूरे सिस्टम के बाद ही पानी साफ करके बाहर निकाला जा सकता है लेकिन इन्होंने 1984 से लेकर उस सारे सिस्टम को, जिसकी 3 स्टेजिज़ हैं, आज तक नहीं लगाया । ऐसा इसलिए किया गया कि पानी को ट्रीट करने के लिए जो एफलुएंट ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाता है, उसकी कीमत 2-3 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार से जिस फैक्टरी को ये तीनों सिस्टम एफलुएशन के लगाने पड़ते हैं, उसको 3 करोड़ रुपये लगाने पड़ते हैं। अब आप यह सोचिए कि 1984 से लेकर 1996 तक, 12 साल से जिसने 3 करोड़ रुपये बचाए हों तो वीरेन्द्र सिंह जी आप बताइए कि

12.00 बजे

उसका कितना ब्याज बनेगा। (विघ्न) एक करोड़ पर एक लाख और 3 करोड़ पर 3 लाख रुपये तथा 12 साल में यह राशि 4 साढ़े 4 करोड़ रुपये बन जाएगी। हरियाणा की जनता को उस साढ़े चार करोड़ रुपये का नुक्सान हो गया और इन्होंने वह साढ़े चार करोड़ रुपया कमा लिया। यह एसोसिएटिड डिस्टलरी हिसार की 12 साल की कहानी है।

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं और हम उनकी बातों को बड़ी शांति के साथ सुन रहे हैं। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वे हाउस को गुमराह न करें। इन्होंने कह दिया कि उस फैक्टरी में वाटर ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगाया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि उस फैक्टरी में 2 करोड़ रुपये की लागत से ट्रीटमैंट प्लांट लगाया हुआ है। वह ट्रीटमैंट प्लांट आज से 6-7 साल पहले का लगाया हुआ है। उस पानी के बारे में वाटर पौल्यूशन बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी हुई है कि उस फैक्टरी का ट्रीट किया हुआ पानी खेतों में लगाने के लायक है।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर साहब, हाउस में बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं चौधरी भजन लाल जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उस फैक्टरी के साथ जुड़े हुए हैं। स्पीकर साहब, सदन में जिस विषय पर बहस होती है उस विषय पर बहस करने में हमारे माननीय सदस्य कुछ परहेज करते हैं। उस मुद्दे पर बात नहीं करते जिस विषय में बहस होती है। शराब बनाना एक घिनौना काम है। मैं चौधरी भजन लाल जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस फैक्टरी के साथ जुड़े हुए हैं ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, यह तो डिपार्टमैंट की रिपोर्ट है। उस पानी के बारे में आर्मी वालों ने जो रिपोर्ट दी है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं।

श्री भजन लाल : पहले आप यह बताएं कि उस फैक्टरी में ट्रीटमैंट प्लांट लगा हुआ है या नहीं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने बताया कि उस पानी के बारे में किसी एक्सपर्ट ने यह रिपोर्ट दी है कि वह पानी खेती के लिए फिट है । तो मेरी दोनों हाथ जोड़ कर चौधरी भजन लाल जी से प्रार्थना है कि मेहरबानी करके उस पानी को आप वहां से उठा कर ले आएं और अपने घर में भर कर रख लें। उसको बेच देना वह खाद का काम देगा।

श्री भजन लाल : यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि वह पानी खेती के लिए सूटेबल है। इन्होंने कह दिया कि वह मेरे रिश्तेदार की फैक्टरी है। किसी का भी कोई रिश्तेदार या किसान का बेटा कहीं कोई फैक्टरी लगाए तो इनको तकलीफ होती है। यमुनानगर में जो डिस्टलरी लगाई वह चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में लगाई । जो पानीपत में डिस्टलरी लगाई वह चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में लगाई । क्या आपको उसकी तकलीफ नहीं है।

श्री बंसी लाल : मैंने यमुनानगर में कोई डिस्टलरी नहीं लगाई और न ही पानीपत में लगाई। पानीपत में जो डिस्टलरी लगी वह कोआप्रेटिव सोसाइटी की है, वह भी शायद मेरे से पहले की लगी है। मेरे वक्त में हरियाणा प्रान्त के अन्दर कोई डिस्टलरी नहीं लगी। चौधरी भजन लाल जी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर उस एसोसिएटिड डिस्टलरी का पानी बहुत बढ़िया है तो उसके घड़े भर पर अपने घर ले जाओ। उसको बेच लेना वह खाद का काम देगा।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, जैसा इन्होंने कहा कि उस डिस्टिलरी में ट्रीटमैंट प्लांट लगा रखा है। हिसार डिपो के आर्मी का कमांडेंट जो लिखता है वह मैं आपको बता देता हूं। वे लिखते हैं कि

[श्री मनी राम गोदारा]

इस फैक्टरी की बदबू से हमारा सांस लेना दूभर हो गया है। उस पानी को नहर में डाला जाता है इसलिए हमारे को पीने का पानी दुर्लभ हो गया है। सात रोड के लोग यह कहने लगे कि हमें तो शाम को दवा पीने की जरूरत नहीं क्योंकि जोर जोर से सांस लेते हुए हमें पव्वे का तो नशा ऐसे ही हो जाता है। महाजन साहब भी कहते हैं कि मुलतान नगर के लोग कह रहे हैं कि इस बीमारी से साई सानूं मार दित्ता, सानूं बचाओं। इस बारे में आर्मी का कमांडर भी लिखता है और सात रोड व मुलतान नगर का डैपूटेशन भी मिलता है। एक डी०ओ०लैटर 3-8-1990 को श्रीमती मेनका गांधी जी लिखती हैं। जो एन्वायरनमैंट के मामलों में काम कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस के समक्ष बता देना चाहता हूं कि a member having a personal, pecuniary or direct interest in a matter before the House is required while taking part in the proceedings on that matter, to declare the nature of that interest. It is expected of him, as a matter of propriety, to decide for himself whether by casting his vote in a division in the House on that matter, his judgement is likely to be deflected from the straight line of public policy by that interest. मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिस विषय पर अब डिस्कशन चल रही है, उस पर यदि वोटिंग की नौबत आ जाए तो कोई आनरेबल मैम्बर उसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा वह पहले अपना नाम डिकलेयर कर दे। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो इनको दिखता नहीं था, अब सुनना भी बंद हो गया।

श्री भजन लाल : मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आपने जोर लगा लिया। भजन लाल का बाल भी बांका नहीं कर पाये। मेरे पास भी आपका पूरा पोथा है, लेकिन मैं आपकी तरह घटिया बात नहीं करता।

Mr. Speaker : As a speaker, I was duty bound and now it is upto the House. With the permission of the House, the time for half an hour discussion is extended by 15 minutes more.

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब मैं यह कह रहा था कि वहां पर ट्रीटमैंट का प्लांट लगना चाहिए था। वहां पर 1992 में जो ट्रीटमैंट प्लांट लगाया वह तो प्राइमरी प्लांट लगाया था। उसके बाद सैकेण्डरी और थर्ड प्लांट जो लगाया जाना होता है वह नहीं लगाया। मैं हाऊस में झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहें तो इसके लिए हाउस की प्रिविलेज कमेटी बैठा लें कि मैं झूठ बोलता हूं या ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने 1984 में फैक्टरी लगाई और प्राईमरी प्लांट 1992 में लगाया । उसके बाद सैकेण्डरी और थर्ड प्लांट नहीं लगाया। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मैं एसोशियेट डिस्टिलरी की बात पोल्यूशन की बाबत कर रहा हूं मैंने किसी का नाम नहीं लिया (विघ्न) मैं यह कह रहा था कि सारे के सारे सिस्टम को और इन साथियों को चौधरी भजन लाल जी, ब्लेम कर रहा था कि 1984 के बाद 1992 में केवल प्रिलिमिनरी प्लांट ही लगाया। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये बार-बार 1984 से 1992 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन 1986 में जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने इस बारे में क्या किया ?

श्री मनी राम गोदारा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इन्होंने बीच में इंट्रप्ट कर दिया था। एक

बात मुझे याद आती है, मेरे ख्याल से चौटाला साहब भी इसको महसूस करते होंगे, पता नहीं वह बात कैसे इनसे निकल गई। वर्ष 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 और 1991 तक लगातार यह चलता रहा (विघ्न) शीरा डबल क्यों किया था ? (विघ्न)

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1988-89 में शराब के ठेकेदारों को उस वक्त की सरकार ने यह कहा था कि गोल्डी शराब की डिलिवरी शराब के ठेकेदारों को उठानी पड़ेगी। (विघ्न एवं शोर)

श्री मनी राम गोदारा : 1988-89 में यह वाक्या ही सही बात है। इन्होंने यह कहा था कि शीरा जबरदस्ती उठाना पड़ेगा और ठेकेदारों की शराब जबरदस्ती उठानी पड़ी थी। इस मामले के अन्दर भी हम लोग खुले रूप से कहते रहे हैं कि भजन लाल शराब बनवाता है और ओम प्रकाश चौटाला उसे बिकवाता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि आज शराब कौन बिकवा रहा है। आज शराब पर पाबन्दी है लेकिन फिर भी होम डिलिवरी हो रही है। यह सब कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैंने आपको अलाउ नहीं किया, आप मेहरबानी करके अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोल रहा हूँ। हमें कोई कुछ बात कहेगा तो हम उसका स्पष्टीकरण तो देंगे।

Mr. Speaker : But the permission of the Chair must be sought. (Noice & Interruptions)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इन्होंने अभी कहा कि भजन लाल बनाता है और चौटाला बेचता है या बिकवाता है। स्पीकर साहब, अब ये यह बता दें कि कौन बनाता है और कौन बिकवाता है। हम दोनों एक ही गांव में ब्याहे हुए हैं। अब बता दें कि कौन बेचता है और कौन बिकवाता है।

श्री मनी राम गोदारा : यह बात तो ठीक है कि हम दोनों एक ही गांव में ब्याहे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है।

Mr. Speaker : Mr. Ajay Singh, please take your seat. (Interruptions).

You are not allowed to speak.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, I want to quote rule 57 regarding halt an hour discussion which reads as under–

"The Speaker may allot half an hour for raising discussion...."

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh, You are not allowed to speak. Please take your seat.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, I want to complete the Rule 57.

Mr. Speaker : No please. You are not allowed. (Interruptions) कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। मुझे पता था कि आप बुद्धिजीवी हैं और यह प्वायंट उठाएंगे। आपकी बात जायज है और मैंने इसका प्रबन्ध भी कर रखा है।

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, you can extend the period of notice. It is your discretion. It is very much provided in the rules.

Mr. Speaker : This is a book of Kaul and Shekhdhar wherein it has been written that the time can be extended. Now the question comes to an end. (Interruptions). Capt. Ajay Singh, please listen to me. This is a book of Kaul & Shekhdhar. At page 430 of this book there is a provision that the time can be extended during the half an hour discussion. Now the things comes to an end.

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, it is the discretion of the chair. It is provided in the rules.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, I want to speak on this matter.

Mr. Speaker : Please sit down. I have already stated that there is a provision that the time can be extended. Now the matter ends.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे सबमिशन यह है कि आप हाउस का टाईम तो बढ़ा सकते हैं एक घण्टे के लिए या दो घंटे के लिए लेकिन जब आपने पहले ही इस मामले पर आधे घंटे के लिए टाईम फिक्स कर दिया था तो अब मेरे ख्याल में इस मामले पर आप के द्वारा टाईम बढ़ाना ठीक नहीं है।

Mr. Speaker : As per rule, the discussion for half an hour can be extended. I have extended it.

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि जैसा इन्होंने कहा है कि वहां हमारी सुसराल है और हमारे लोगों को शराब अफीम बेचने के लिए ट्रेनिंग मिली हुई है। क्या मेरे आदमी 6 महीने में ही यह काम सीख गए, क्या इतने दिनों में उनको ट्रेनिंग मिल गयी। आप लोगों को, आपके साले को और सुसरे को तो यह काम करते हुए बीस साल हो गये।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय ये कम से कम मर्यादा में रह कर तो बोलें। मैं इनको आप कहता हूं और यह तेरा कहते हैं। ये कहते हैं तेरा सुसरा तेरा साला। (विघ्न) मेरे ससुर की 48 साल पहले डैथ हो चुकी है और मेरे साले को मरे दस साल हो गये हैं। इनको यह बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। इनको तहजीब से बात करनी चाहिए। मैं इनकी इज्जत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिसके जवान बेटे को मरवा दिया गया हो और जिसका दामाद जेल में पड़ा हो, वे दूसरों को ऐसी बातें कहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बहुत ही पुराने मैम्बर हैं। अगर आपने तेरा शब्द महसूस किया तो यह भी उसी तरह का शब्द है इसलिए इन दोनों का सबस्टीच्यूट कर दिया जाए। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहकर जल्दी ही खत्म करूंगा। मैं यह कह रहा था कि जिन लोगों को इन कामों की ट्रेनिंग लेते हुए 1947 से लेकर 1997 आने वाला है यानी

पचास साल हो गये। इन पचास सालों में इन्होंने अफीम बेचने, शराब बेचने * * * * * * अलावा कुछ नहीं किया और ये आज मुझे कहते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय यह बात ये किसको कहते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो यह बोल रहे हैं, वह ठीक नहीं है। ये किसको कहते हैं (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल को ऐसी बात आज तक दुनिया में कोई नहीं कह सकता। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : हमारे पास तो इस मामले में रिकार्ड भी हैं और मैं वह रिकार्ड यहां पेश भी कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी पार्टियों के सदस्यों से, रूलिंग साईड से भी, चौटाला साहब की पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी प्रार्थना है कि जब आपकी पार्टी के लीडर खड़े हों तो आप सबको पहले उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और है। (विघ्न) हम तो आपकी बात को मान लेंगे परन्तु जब आप खुले आम कहते हैं कि मैं तो अपनी पार्टी का आदमी हूं तो कम से कम आप इनको भी कंट्रोल में रखें। मगर आप तो हमें ही निशाना बनाते रहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैंने तो यह कहा था कि रूलिंग पार्टी, आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जब लीडर खड़े हों तो कम से कम उनके मैम्बरों को तो नहीं खड़े होना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय आप सबको एक समान नजर से देखें। गृहमंत्री महोदय ने उत्तेजना में आकर नारी जाति का अपमान किया है। * * * उन्होंने नारी जाति का अपमान किया है। आपकी प्रिविलेज कमेटी तो अभी बनी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो कुछ कहा था उस पर अमल नहीं हो रहा है।

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के लिए आपने 15 मिनट का समय बढ़ाया था वह समय समाप्त हो गया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि और भी बिजनैस हैं इसलिए इस विषय को एक-दो मिनट डिस्कस करके खत्म करें।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर 10 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी अपनी सारी मर्यादाएं लांघ गए हैं। केवल ऐक्सपंज करने से भी बात बनने वाली नहीं है, यह नारी जाति के अपमान की बात है। इस बारे मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय मैं इसके लिए माफी मांगता हूं लेकिन जितनी नारियां यहां बैठी हैं मैं उन सबको बहन कहकर बुलाता हूं। भजन लाल उन्हें क्या कहते हैं , यह उनसे पूछें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि चौधरी मनी राम और भजन लाल एक दूसरे को साढू कहते हैं क्योंकि ये एक गांव में ब्याहे हैं यह

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

तो माना जा सकता है लेकिन कल राम बिलास शर्मा जी ने धीरपाल को साढू कहा यह स्पष्ट कर दें कि यह कैसे हुआ ? (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अतर सिंह सैनी जी ने इतने महत्व का सवाल पूछा और गृह मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शराब बंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। अगर पक्ष में हैं तो इतनी पीड़ा इनको क्यों हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत थी लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ यह याद दिलाना चाहता था कि आज भारत के अंदर जो सामाजिक तौर से और राजनैतिक तौर से, लोग काम कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनका फंक्शन क्या है और उनका तरीका क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं और उन बातों को लेकर आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा था, वह मैंने बता दिया है कि इस कारण हुआ है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जवाब नहीं आया केवल भाषण सुना है (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : केन्द्र ने यह लिखा था कि प्लांट लगाने के बाद भी गन्दे पानी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। यही मेरा जवाब है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी कंवल सिंह जी आप बोलिए (विघ्न)

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितना भी पोल्यूशन इस फैक्ट्री से हो रहा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थी तो मैं हूं या श्री ओम प्रकाश महाजन हैं। फिर भी हमें अभी तक बोलने का टाईम नहीं मिला था। मेरे हल्के के 13-14 गांवों की पंचायतों ने पिछली 12 तारीख को मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि पिछले 15 सालों से हम बहुत दुःखी हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी कीजिए। आपके सिर्फ तीन मिनट बोलने के लिए हैं।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बिशनोई समाज में एक प्रथा है कि 15 ऊंटों की लाइन हो और उन पर शराब टेगी हो। अगर पिछले ऊंट पर बिशनोई का हाथ लग जाये तो वह घर जाकर स्नान करता है। बिशनोई तो शराब से इतनी घृणा करता है। शराब अगर इतनी बढ़िया चीज है तो मेहरबानी करके भजन लाल जी इस डिस्टिलरी को आदमपुर में ले जायें। इतने सालों से हमारे 13-14 गांव नर्क में जीने लग रहे हैं। हमने तो चुनाव से पहले आज के मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया था और उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया था कि मुख्य मंत्री बनते ही इस काम को करेंगे। अब पता नहीं मुख्य मंत्री जी इतनी ढील क्यों दे रहे हैं। हमारे लोग बहुत दुःखी हैं (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री है। मैं आपके द्वारा गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितनी डिस्टिलरियां हैं। दूसरे, क्या इनकी जानकारी में कोई ऐसी शिकायत आई है कि पोल्यूशन की वजह से कोई नमूना लिया गया हो, अगर हां, तो क्या उन नमूनों के आंकड़े इनके पास हैं ? (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : चौटाला साहब, आपके मैम्बर ने पूछा है इसलिए जवाब दूँगा। हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर, पानीपत कोआप्रेटिव शूगर मिल, डिस्टिलरी यूनिट पानीपत, हरियाणा आरगेनिक

समालखा, एक यूनिट सोनीपत में तथा अशोका यूनिट हथीन, ये सब भजन लाल जी की हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सूरजमल जी आप पूछिये।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक घण्टे से पोल्यूशन पर बहस चल रही है। क्या केवल शराब की फैक्ट्रियों से ही पोल्यूशन होता है ? दूसरी फैक्ट्रियों का पोल्यूशन भी लोगों को तंग करता है, उनके बारे में क्या कदम उठाये हैं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपकी यह बात भी डिस्कस करवा देंगे (विघ्न)

बिल्ज़

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं इसी विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं इससे आपको भी लाभ होगा। कृपया आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी आप बैठिए।

Finance Minister (Seth Siri Kishan Dass) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1996.

Sir, I also move–

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : बिल इंट्रोड्यूज हो गया है मैंने इसको मूव भी कर दिया है। अगर कोई सदस्य इस पर बोलना चाहे तो बोले।

सदन की कार्यवाही में परिवर्तन

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं काल अटैंशन मोशन के वक्त भी कह रहा था कि बोलने का अवसर दिया जाए, तो आपने कहा था कि आपको बाद में अवसर देंगे। लेकिन मुझे अब भी अवसर नहीं दिया गया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो बिजनैस आज किया जाए उस बिल की प्रतियां हमें एक दिन पहले मिल जानी चाहिए लेकिन बिलों की प्रतियां रात दस बजे तक हमारे

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विधायकों के पास पहुंची हैं। इसलिए इस पर कैसे तैयारी की जाए। यह कोई तरीका तो नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से दख भी नहीं पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दबाजी भी क्या थी। कल भी मैंने इस बारे में हाऊस में बात की थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि रात को दस बजे इन बिलों की प्रतियां हमें मिली और हो सकता है कईयों को तो आज सुबह ही मिली हों। अध्यक्ष महोदय, यह मामला आपके आफिस से जुड़ा हुआ है आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी थी। यह कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए कि एक अहम बिल तो ऐसे ही पास कर दिया जाए तथा दूसरी अन्य बातों पर ज्यादा से ज्यादा समय दे दें जो अहम नहीं होती हैं। यह अहम बिल हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ है, इसको विधायकों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला है। यह परम्परा गलत है। मैंने कल भी यही कहा था कि जो भी अमेंडिंग बिल इंट्रोडियूस किया जाए, उसकी मंशा क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अंदेशा व्यक्त किया था। कल कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी से संबंधित जब बिल आया तो मैंने कहा था कि सरकार अपनी मंशा व्यक्त करे। अब शिक्षा मंत्री इस समय बैठे नहीं हैं। कल हाऊस में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि वे इस बिल से चांसलर के अधिकार क्षेत्र पर कोई आक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा विद् हैं। आप तो जानते हैं कि जो नया बिल अमैंडमैंट के लिए लाया जा रहा है, इसमें चांसलर के अधिकार क्षेत्र पर मलियामेट किया जा रहा है। इस जल्दबाजी में अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र का निरंतर हनन होता जा रहा है। आप बोलने के लिए समय भी नहीं दे रहे हैं। बड़ी जल्दबाजी में ही इसे इंट्रोडियूज कर दिया गया।

Mr. Speaker : This has been the convention of this House from the very beginning. This is no new thing. (Noise) ये ऐसी चीजें होती रही हैं। चौ० भजन लाल जी, चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी आप कृपया बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी तो नहीं है कि पुरानी चीजें ही कायम रहें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपोजिशन के लीडर ने जो बात कही है कि बिल की प्रतियां रात देरी से सर्कुलेट की गई हैं, यह बात सही है। मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकार से कोई भी विधायक तैयारी करके नहीं आ पाएगा। I want to submit, Sir, that we cannot contribute to the proceedings of the House. That is quite unfortunate. दूसरी बात यह है कि यह छोटी-छोटी अमैंडमैंटस हैं, इनकी तो कोई खास बात नहीं है लेकिन इसका भी एक तरीका है, जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं। Today Minister is to move the Bill for its consideration. Let there be discussion on consideration stage today and after that he may defer it on the last day and on that day we may discuss the Bill clause by clause. Otherwise there is no use of sitting here.

श्री अध्यक्ष : मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से दरखास्त करूंगा कि भविष्य में बिल इस टाईम आने चाहिएं। Kindly make it a point for future.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आज बिल में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आज एक बिल तो मूव हो चुका है। It is on record.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी कोई बिल मूव नही हुआ है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कह दिया है कि मोशन मूवड। It is on record.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल नम्बर 3 मूव हो चुका लेकिन उन बिल्ज के मुत्तलिक क्या होगा जो हमें कल रात 10.00 बजे के बाद सप्लाई किए गए हैं। उन बिल्ज को मूव करने के आदेश तो आपने नहीं दिए हैं। उन बिल्ज के बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको डैफर कर दिया जाए ताकि उन पर पूरी तरह से हम तैयारी कर सकें। जो हमें रात के 10.00 बजे के बाद सर्कुलेट हुए हैं उनके बारे में हम तैयारी नहीं कर पाए हैं। बे बड़े अहम् बिल हैं स्टेट के हैड के अधिकारों को एक बड़ी भारी चुनौती दी जा रही है।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो 7 बिल पहले सर्कुलेट हो चुके हैं उन पर आज कंसिडेशन हो जाए तथा उनको आज पास कर दिया जाए। जो बिल रात को सर्कुलेट हुए हैं, उन पर कल डिस्कशन कर लेंगे।

Shri Khurshid Ahmed : Sir, this should be identified as to which bills are to be taken up today.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो 7 बिल हमें पहले सर्कुलेट हो चुके हैं बे कौन-कौन से बिल हैं।

श्री अध्यक्ष : वह मैं आपको बता देता हूं, आप सुन लें।

(1) The Haryana Apropriation (No. 3) Bill, 1996,
(2) The Haryana Apropriation (No. 4) Bill, 1996,
(3) Guru Jambheshwar University, Hissar (Second Amendment), Bill 1996,
(4) The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1996,
(5) The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1996,
(6) The Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996,
(7) The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, ये सब बिल हमें आज ही मिले हैं।

श्री बंसी लाल : ये सातों बिल तो कल दिन में आपके पास जा चुके थे।

श्री अध्यक्ष : यह बात सही नहीं है कि ये 7 बिल आपको आज ही मिले हैं।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996 (पुनरास्थ)

कैप्टन अजय सिंह (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले डिमांड नं० 3 पर बोलना चाहूंगा। यह डिमांड होम डिपार्टमैंट से संबंधित है। इस डिमांड में जो पैसा खर्च किया है, उसको यह सरकार पास करवाना चाहती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि गृह विभाग की स्थिति बहुत खराब रही है। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्ष : यह एप्रोप्रिएशन बिल 1990-91 का है। You please speak on the Bill. You are not clear about the Bill.

Capt. Ajay Singh Yadav : I am very much clear. It is my right to speak in the context of the Bill. हम इस पर बोल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी में शराब माफिया का गिरोह बहुत बढ़ रहा है। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि राजस्थान और दिल्ली से वहां पर शराब जिस तरीके से आ रही है, उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हो चुके हैं। आपने शराब बंदी की बात कही अच्छी बात है लेकिन जो रवैन्यू सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वह अब पुलिस के संरक्षण में माफिया लोगों की जेबों में जा रहा है। पुलिस उनको पूरा संरक्षण दे रही है। सूरजपाल जी वहां पर प्रिवेलिज कमेटी में गए थे। उस वक्त उनके नोटिस में बात लाई गई थी। गणेशी लाल जी जो इस महकमे में मंत्री हैं इनके नोटिस में भी यह बात लाई गई थी तो इन्होंने माना था कि वहां की पुलिस निकम्मी है क्योंकि वह सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मैं गृह मंत्री जी के नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि इन्होंने शराबबंदी के लिए जो नाका बंदी कर रखी है वे पुलिस वालों की जेबों में पैसा डालकर साफ निकल जाते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 26-10-96 को वहां पर सरदार दलीप सिंह की लड़की को तलवार की नोक पर 15-20 लोग उठा कर ले गए। वहां पर तलवार चली। पुलिस ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा। इसी प्रकार से 13-10-96 को मेरे हल्के के एक थाने के अन्तर्गत 15-20 बदमाश आये और 14 साल के लड़के को उठा कर ले गए और उसका कत्ल कर दिया गया। वहां पर बनवारी लाल बहुत अच्छा इन्स्पैक्टर था, वह ठीक काम कर रहा था, उसको वहां से बदल दिया गया। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर इन सब बातों की तरफ ध्यान दें ताकि इन पर काबू पाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर गांव के कुछ लोगों ने 14-15 गायें पकड़ी जिनको कहीं पर काटने के लिए ले जाया जा रहा था। जब यह बात एस०पी के नोटिस में लाई गई तो उन्होंने उन किसानों के खिलाफ जिन्होंने यह गाय पकड़ी थीं केस बनाने की धमकी दी। जब मैंने इस बारे में बात की तो मुझे भी टैलीफोन पर धमकी दी कि मैं इस केस में आपको भी शामिल कर दूंगा। यह बात मैं ओन ओथ कह रहा हूं। क्या यह ठीक बात है कि एक एस०पी० एक एम०एल०ए० के साथ ऐसे पेश आये। जब तक पुलिस ऐसे केसों में गलत काम करने वालों को शह देती रहेगी तो शराब बंदी पर काबू नहीं पाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 17 जो कृषि से सम्बन्धित है, पर बोलना चाहता हूं। महेन्द्रगढ़, भिवानी और रिवाड़ी में जो पानी है। . . . . . .

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आप डिमांडज़ पर बोल रहे हैं। डिमांडज़ कल थीं, तब तो आप बोले नहीं। अब आप बैठ जाएं।

Capt. Ajay Singh Yadav : I am speaking on the Appropriation Bill.

Mr. Speaker : You are mentioning the demands and there is no discussion on demands today. Please take your seat.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के मामले पर बोलना चाहता हूं लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं यह ठीक बात नही है (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh ji, you please take your seat. आप बैठिए और मेरी बात सुनिये। आपने बोलने के लिए टाईम मांगा मैंने टाईम दे दिया है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं आपने डिमांड का नाम लिया है जब कि डिमांडज़ पर आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस वक्त कोई डिमांड नहीं है।(विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरी बात की तरफ तवज्जो दीजिए। ऐसा है कि यह एप्रोप्रिएशन बिल है और इस पर सारी बात कही जा सकती है। इसलिए आप इनको अलाउ कीजिए ताकि ये बोल सकें (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, ये खुद मन्त्री रहे हैं और सारे कायदे कानून से वाकिफ हैं। ये डिमांड पर बोलना चाहते हैं today there is no demand. Hence he is not allowed to speak. श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, आपकी पार्टी से कोई मैम्बर बोलना चाहे तो बोल सकता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह इस बिल पर बोलना चाहते हैं परन्तु आपने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया है। वे एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलना चाहते हैं उनको आपने अलाउ किया था लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको बोलने का मौका दिया लेकिन वे डिमांडज पर बोलना चाहते हैं जब कि कोई डिमांड पर इस वक्त चर्चा नहीं है। Now the matter comes to an end, please take your seat. (Interruption)

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE - 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE - 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE - 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

13.00 बजे

TITLE

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास): अध्यक्ष महोदय, यह बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इस सदन में कंशीडेशन के लिए रखा गया है मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। इसमें गृह विभाग का मामला है उससे सम्बन्धित मैं कुछ कहना चाहता हूँ।अध्यक्ष महोदय, पिछले 27 अप्रैल से यह जो हविपा और भाजपा गठबन्धन की सरकार हरियाणा में बनी है तब से हरियाणा में ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत गिर गई है। हरियाणा का आज कोई भी जिला हो वहां पर तस्करी के लिए एक माफिया चल रहा है। आज की सरकार के आदमी उनको संरक्षण दिए हुए हैं। (विघ्न) कर्ण सिंह जी आप कृपया बैठ जाएं आप बिना इजाजत के न बोलें।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आप वही बात बोलें जो इस बिल से सम्बन्धित हो।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ । (विघ्न)

Mr. Speaker : To be very clear, this Bill relates to the year 1991. If you want to speak on the law and order situation, you may please speak for the period it relates to.

Shri Birender Singh : We must put the record straight. Actually, Sir, there is no such rule in this regard. (Noise and interruptions). Let me explain, Sir. Normal practice is that when a Bill is introduced for consideration, at that stage a member is at liberty to speak regarding the Bill, and Sir, when it is to be discussed clause by clause then he is bound that he can not go out of the clause. The discussion would confine only to that clause itself and when it is at final stage for passing of the Bill then he is again at liberty to speak and whatever he wants to speak he can speak. This is my submission.

Mr. Speaker : This may be the practice but that is not rule. As far as rule is concerned, I have pointed out. Mr. Surjewala, if you want to speak for the year 1990-91 for which this bill is concerned, then you can speak.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं तो मौजूदा हालात पर ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज यह ऐप्रोप्रिएशन बिल आया है।

श्री अध्यक्ष : आप मौजूदा हालात पर न बोलें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं केवल आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि वह समय कब आएगा क्योंकि हमारे बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप हमें बोलने का समय नहीं देते। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये तो 1991 की बात को ही रैफर कर रहे थे लेकिन अब नई सिचुएशन खड़ी हो गई है, इसलिए वे उसको ऐक्सपलेन करना चाहते हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, this Bill relates to the period 1990-91, so if you want to speak on it, then you can speak on that situation (Noise and Interruptions) otherwise you are not allowed. (Noise and Interruption) Please don't waste the time of the House. Moreover, wrong precedents never make the rule.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं तो आज के मौजूदा हालात पर बोलना चाहता हूँ। यह रेलेवैन्ट है क्योंकि सरकार एप्रोप्रिएशन बिल आज लेकर आ रही है। यह बिल इस महकमें से भी सम्बन्धित है और इस महकमें की मौजूदा हालत इस हाउस को आपके माध्यम से बताने का मेरा जायज हक है।

Mr. Speaker : Surjewala Sahib, I again request you, if you want to speak for the period 1990-91, you are at liberty to speak, otherwise you would not be allowed to speak for the persent time. Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री भजन लाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ठीक है इस तरह का रूल नहीं है लेकिन हमेशा यह प्रथा रही है कि ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर जनरल डिसकशन में हर प्वायंट के ऊपर मैम्बर बोल सकता है। अगर वह अब नहीं बोलेगा तो आप बताएं कि मैम्बर को अपनी बात कहने का मौका कब मिलेगा। आप अभी आठ महीने पहले ही इधर बैठते थे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और आप भी ऐसे बिल पर बोलते थे। हमें आपकी स्पीच निकलवानी पड़ेगी। आपने उस समय कहा था कि मैं भी ऐसे बिल पर बोल सकता हूँ तब हमने कहा था कि ठीक है इनको बोलने दें। यह रिकार्ड पर है। अगर पहले गलत था तब तो ठीक है लेकिन अगर पहले ठीक था तो अब भी ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि यह ठीक है कि मैं बोलता रहा हूँ तथा और भी बोलते रहे हैं। मैं यह मानता हूं लेकिन wrong precedents never make a rule. अगर आपके उस समय के स्पीकर महोदय ने मुझे ऐसा हुक्म दिया होता तो I would have been the last man to speak on that.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, यह रोंग प्रैसीडेन्ट नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें कहा गया हो कि 1991 के बारे में ही बोलें। जब यह बिल ऐप्रोप्रिएशन बिल आज हाऊस में पास होने के लिए आया है तो मैम्बर आज के हालात पर ही बोलेंगे, 1991 की हालात पर कैसे बोल सकते हैं। यह तो एक किस्म का पोस्टमार्टम है। स्पीकर सर, दुनिया तो आज दुःखी है और यदि 1991 की हालत पर बोलें तो फिर इस असैम्बली का क्या फायदा है। आज जो हालात हैं वे उन्हीं पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आप तो बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन रहे हैं। अगर आप पी०ए०सी० के मैम्बर हैं और यदि आपके पास पुरानी रिपोर्ट आए और आप यह कहें कि मैं तो आज के हालात पर बात करना चाहता हूं तो फिर आपको कौन अलाऊ करेगा ?

Shri Birender Singh : Exactly, Sir, while examining the departmental representatives in the P.A.C., though the questions relate to the previous years yet they are to rectify certain things which consist of the present situation. They cannot rectify those things which happened six or seven years ago.

Mr. Speaker : Ch. Sahib, only those things could be rectified which happened during that period.

श्री बीरेन्द्र सिंह : आज हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर तो इनको यह कहना चाहिए कि 1990-91 में ये बातें थीं और मैं इस बारे में बताना चाहता हूं तब मैं इनको अलाऊ करूंगा। (विघ्न)

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, ऐसा नहीं है आप पहले का रिकार्ड निकलवा कर देखें। 1968 से मैं भी इस विधान सभा का मैम्बर हूं लगातार 28-29 साल हो गए हैं। हमेशा ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जनरल डिसक्शन होती रही है। आप रिकार्ड निकलवा कर देखें। सैक्रेटरी साहब आपके पास बैठे हुए हैं आप इनसे पूछें कि ऐसे बिल पर जनरल डिसक्शन होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो आप अलाऊ करें और अगर नहीं होती है तो न अलाऊ करें।

श्री अध्यक्ष : यह बिल तो 1990-91 के ऐक्सेस ऐक्सपैंडीचर को रेगुलेट करने के बारे में है।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, मैम्बर उन बातों पर डिसक्शन कर सकता है जिनमें गड़बड़ी हुई हो। वह डिसकस इसलिए करता है कि जो गलती 1990-91 में हुई है तो वह गलती आज की सरकार न करे। तो इस प्रकार की वार्निंग आज की हालात में भी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी भजन लाल भी बैठे हैं और चौटाला साहब भी बैठे हैं, आप अपनी बात कहने का और कोई मैथड अपना लीजिए। But I would not allow to go beyond the Rules. I am in favour that the opposition members must be given time as much as possible. I have tried to give them time and am ready.

Shri Birender Singh : We are thankful.

श्री अध्यक्ष : आप कोई चीज लाइए जिस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको मौका दूंगा। But I would not allow to go beyond the Rules.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : रूल के अंदर कहीं भी यह प्रैस्क्राइब नहीं है कि आज के मौजूदा हालात पर मैम्बर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नहीं दिला सकता। ऐसी रूलिंग आप देंगे तो यह प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध होगा।

वाक आउट

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, इस बात पर आप हमें वाक आउट करने पर मजबूर मत करिए। आप चौधरी बंसी लाल जी से पूछिए कि ऐप्रोप्रिएशन बिल के क्या मायने हैं, क्या उस पर जनरल डिस्कशन होती है या नहीं। ऐसी जनरल डिसक्शन पहले होती रही है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि

जनरल डिसक्शन इस पर हो सकती है। आप हमें इसके लिए अलाऊ नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें वाकाउट करना पड़ेगा। अगर आप हमें इस पर नहीं बोलने देते हैं तो हम ऐज ए प्रौटैस्ट वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1996 (पुनरास्थ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर। स्पीकर सर, आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। आप कह भी रहे हैं कि आप रूलज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लीडर आफ दि हाऊस भी बैठे हैं, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जनरल डिसकशन होती रही है आप किसी मैम्बर के अधिकारों पर अंकुश क्यों लगा रहे हो। यह ठीक है कि आप एक बार डिसअलाऊ कह बैठे हो लेकिन यह भी सोच रहे हैं कि वे बापस कैसे आएं परन्तु भूल तो इंसान से होती रहती है। अब आप उसे सुधार लो। इस बात के लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप यहां बैठते थे अब आप उस चेयर पर बैठते हैं। पहले आप अनुरोध किया करते थे अब आप हुक्म देते हैं। आप प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन न करें और हमें इस एप्रोप्रिएशन बिल पर जनरल डिसक्शन के लिए अलाऊ कीजिए बरना हमें भी वाक आउट के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह मैम्बर्ज के अधिकारों का हनन है। (शोर एवं व्यवधान) एप्रोप्रिएशन बिल पर जनरल डिसक्शन करने का मैम्बर का अधिकार है या नहीं, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। इसके लिए आप हमें अलाऊ करते हैं या नहीं, हम इस बारे आपकी रूलिंग चाहते हैं।

Mr. Speaker : I have categorically said that you can discuss for the period it is meant for.

Shri Birender Singh : No, Sir, this is no where.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात बताएं कि एप्रोप्रिएशन बिल पर डिसकस करना हाउस में अलाउ है या नहीं, हम आपकी रूलिंग चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कंवल सिंह जी आप बोलिए।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल 203 के सब रूल (5) में यह दिया हुआ है कि जिस सदस्य की डिमाण्ड पर पहले डिबेट हो चुकी है यदि वह कुछ और बोलना चाहता है तो इसके लिए रूल 203(5) है जो इस प्रकार है —

> "(5) The Speaker may in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, ..."

अगर इनको डिसकशन करनी थी तो नोटिस देना चाहिए था। यह डिबेट प्वायंट वाईज हो चुकी है। यदि डिबेट करना चाहते हैं तो एडवांस में इंटीमेशन देनी चाहिए थी।

Mr. Speaker : Now, the matter comes to an end. (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह प्रथा गलत पड़ रही है।

Mr Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996

Mr Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (सं० 4) विधेयक 1996 प्रस्तुत करता हूँ। ..... (विघ्न) मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग (सं० 4) बिल पर तुरन्त विचार किया जाऐ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken in to consideration at once.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आप एक रूलिंग दें। आप एक निर्णय तो करें ताकि हम इक्ट्ठे दो बात तो कर सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह डिसक्शन डिसअलाऊ कर दी है। माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं वे तो वाक आउट कर गए अगर आपने भी वाक आउट कर दिया तो यह बिल पास हो जाएगा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप अलाऊ या डिसअलाऊ करें, लेकिन आप अपनी रूलिंग तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर और डिसक्शन नहीं होगी, जितना रूल्ज में टाईम दिया हुआ है, उतनी ही डिसक्शन हो सकती है। (विघ्न)

श्री खुर्शीद अहमद : विधान सभा यह पैसा दे रही है। आज पैसा सैंक्शन किया जा रहा है, इसलिए डिसकशन तो होनी ही चाहिए (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमें विधान सभा में डिसकशन करने का अधिकार है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं आपसे सबमिशन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल हमारे वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। आपने चौटाला साहब को कहा कि आप में से कोई बोलना चाहता है तो उसकी इजाजत आप देंगे तथा कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी बोलने के लिए खड़े हुए तो आपने अनुमति दी। यह रूल में प्रोवाईड है। दूसरे एप्रोप्रिएशन बिल में गृह, पी०डब्ल्यू०डी० और शिक्षा विभाग की डिमाण्डज़ शामिल हैं। इन विभागों के संबंध में ये कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें बतायें, हम उसका जबाब देंगे। आपने अनुमति तो सबको दी है।

Mr. Speaker : I may read the article 205(b) of the Constitution of India which reads as under :–

> "if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that services and for that year,
>
> cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislature of the State a demand for such excess, as the case may be".
>
> In the light of this, rules have been framed.

Sh. Khurshid Ahmed : Sir, I may quote rule 200 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, which reads as under :–

> "Supplementary, Additional, Excess and Exceptional grants and Votes of Credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptions, whether by way of modification, addition or omission as the Speaker may deem to be necessary or expedient".

It is within your discretion that you can allow the discussion on this matter as in the manner as the Appropriation Bill of this year.

Shri Ram Bilas Sharma : It is your discretion Sir. You can allow the discussion. But as far as rules are concerned, constitutional provision is concerned, you may examine it.

Shri Khurshid Ahmed : Sir, you cannot prohibit us from discussion. (Noise & Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप एम०एल०एज० के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तथा गलत परम्परा को कायम कर रहे हैं। जो ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार चेयर पर एस्पर्सन कर जाते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम किसी सदस्य के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। (शोर) स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो एप्रोप्रिएशन बिल हाऊस में प्रस्तुत किया है मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, चेयर को यह अधिकार है कि वह हमें बोलने का मोका दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चेयर को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को बोलने का अधिकार दे। यह तो आपका कांस्टीच्यूशनल अधिकार है। I have to regulate it.

Shri Randeep Singh Surjewala : This is my right to speak, Sir. I am very much obliged Sir. You are the custodian of the House and we have great expectations from you, Sir.

स्पीकर साहब, मैं होम डिपार्टमैंट की डिमांड के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, मैंने पहले आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि हविपा-भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में ला एंड आर्डर की सिचुएशन में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। बलात्कार और चोरियों की वारदातें बहुत हुई हैं। हरिजनों और गरीब लोगों पर बहुत जुल्म हुए हैं। (शोर)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

आपने भी देखा होगा कि तमाम अखबारों और मैगजीन्ज ने हविपा-भाजपा गठबंधन सरकार और चौधरी बंसी लाल जी की शराबबंदी के बारे में बहुत प्रंशसा की। जब से हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई है और जब से हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसी लाल जी का राज कायम हुआ है तब से हरियाणा प्रदेश के अन्दर पहले से लोगों पर जो जुल्म होते थे उनमें 30 परसैंट से भी ज्यादा कमी हुई है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, मैं हाऊस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 महीने के अन्दर हविपा-भाजपा गठबंधन सरकार बनने के बाद क्रिमिनेलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स का एक नया उदाहरण हुआ है। विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश में शराब की तस्करी की वारदातें बहुत हुई हैं जिसको चैक करने में पुलिस डिपार्टमैंट विफल रहा है। स्पीकर साहब, मैं एक ताजा इन्सीडैंट की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शराब की तस्करी का एक ताजा इन्सीडैंट भिवानी जिले के बाढ़ड़ा गांव में हुआ है। भिवानी जिला जो मुख्य मंत्री जी का अपना जिला है।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, you are given five minutes only, please आप पांच मिनट में अपनी स्पीच कनकल्यूड करें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, अगर इस तरह से बीच में प्वायंट आफ आर्डर होते रहे तो मैं 5 मिनट में अपनी स्पीच कैसे कनकल्यूड कर सकता हूँ। स्पीकर साहब, बाढ़ड़ा गांव के पास एक जीप में ऐसे व्यक्ति थे जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वे शराब की तस्करी में मशगुल थे। जब उनको इन्फोर्समैंट डायरेक्टोरेट वालो ने पकड़ा तो उन्होंने उन सरकारी कर्मचारियों को पीटा और उन्होंने इन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट वालों की जीप को जलाया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आज तक उन लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार किया है। आज तक बाढ़ड़ा गांव के उस इन्सीडैंट में लिप्त किसी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जबकि स्पैसिफिकली कारों के नम्बर, जीपों के नम्बर और ट्रकों के नम्बर इनके पास हैं। उन व्यक्तियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसलिए आज वे हरियाणा के अन्दर 100 करोड़ रुपये महीने का शराब का माफिया चला रहे हैं। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, सुरजेवाला जी खुद वहां जाकर वैरीफाई करें कि वे व्यक्ति पकड़े गए हैं या नहीं। इनको यह पता ही नहीं है कि वे पकड़े गए हैं या नहीं। वे आदमी पकड़े जा चुके हैं। वे खुद वहां जाकर देखें कि जो आदमी पकड़े गए हैं वे किस आदमी के हैं। स्पीकर साहब, इस बारे में जांच करने के लिए आप चाहे हाऊस की कमेटी बना दें। हाउस में इस तरह से गलत बोलना शोभा नहीं देता। बाढ़ड़ा गांव मेरे गांव के नजदीक है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के साथ लगता हुआ गांव है। वे लोग बाढ़ड़ा गांव में पकड़े गए। मैं उस नेता का नाम नहीं लेता जिस के वे आदमी है। मैं माननीय सदस्य सुर्जेवाला को अलाऊ करता हूं कि ये इस बारे में पता करके हाऊस में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि वे किस पार्टी के और कौन-कौन लोग हैं। इस तरह बेकार में किसी सरकार को बदनाम करना शोभा नहीं देता। स्पीकर साहब, इन्होंने खुद स्टूडैंटस को पिटवाया और खुद वहां से भाग गए।

बैठक का समय बढ़ाना

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन नाथ) : स्पीकर साहब, सदन का समय 1.30 बजे तक था तो 1.30 बजने वाले हैं और हाऊस के सामने अभी काफी बिजनैस है, इसलिए आप हाऊस का टाईम एक घंटा और बढ़ा दें।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House, that the time of the sitting be extended by one hour ?

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by one hour.

दि हरियाणा एग्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों में छपी एक और खबर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। स्पीकर सर, मेरे पास अजीत समाचार की एक प्रति है जो 17 नवम्बर, 1996 की है। अगर सरकार के माननीय सदस्यों ने फैसला कर लिया है कि वे कोई बात सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है। (शोर) स्पीकर साहब, आपकी जिम्मेवारी है।

श्री अध्यक्ष : रूलिंग पार्टी के मैम्बरों से मेरी दरख्वास्त है कि जो कोई मैम्बर बोलना चाहता है उसको बोलने दें। जो आपत्तिजनक बात है वह भी आराम से कहें। उनको भी बोलने का अधिकार है। उनको बोलने दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों में काफी तफसील से छपी खबर की तरफ दिलाना चाहूंगा। भिवानी जिले के बारे में एक समाचार छपा है। मेरे पास अजीत समाचार और जे०बी०जी० टाईमस की 17 नवम्बर की प्रतियां हैं जिसमें साफ लिखा है कि हविपा नेता की मौजूदगी में जाम से जाम टकराये। इसी प्रकार से नगर परिषद अध्यक्षा को हटाने का मामला। भिवानी के पार्षदों को शराब परोसने का मामला। (शोर)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। मैं आपकी मार्फत भाई सुरजेवाला जी से पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने इस सरकार के बारे में कुछ बातें कहीं। क्या ये अपने नेता से पूछेंगे कि उनकी सरकार के समय में करनाल का द्रोपदी काण्ड कैसे हुआ था ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : मैं आपका ध्यान भिवानी जिले के बारे में दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह आपका जिला भी है। आपकी इजाजत से मैं इन पेपर्ज को सदन की पटल पर रखना चाहूंगा, आप प्रोपर इन्क्वायरी करवा लें।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आप अपनी बात कहें आपका टाईम होने वाला है। अब आप अपनी बात खत्म करिये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ये बीच में बार बार प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। मुझे तो बोलने का समय ही नहीं मिल पा रहा। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से एक अखबार में भिवानी के पार्षदों को शराब परोसने व भद्दी फिल्म दिखाने की तीखी टिप्पणी की है। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब स्वयं मुख्यमंत्री जी के जिले में उनकी नाक के नीचे हरियाणा विकास पार्टी के आदमी शराब की तस्करी में इस प्रकार से गैर कानूनी हरकतें करने में मशगूल हैं तो इस सरकार से फिर हरियाणा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है।

श्री बंसी लाल : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, ये गलत ब्यानी कर रहे हैं। अखबार में लिखा हुआ कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हो गया। यह तो अपने हल्के में धन्धे करवाता है।

[श्री बंसी लाल]

यह मैं थोड़े दिनों में खोल दूंगा कि ये क्या क्या करते हैं। थाने में तो माफी मांग कर भाग करके आया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि—

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आपका समय खत्म हो चुका है। (शोर) कृपया बैठ जाएं।

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अपने सम्मानित सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि कान्स्टीच्यूशन के आर्टिकल 39 के मुताबिक शराब पीना मैन्डेटरी या फण्डामेंटल राईट नहीं है। बाईडिंग है कान्स्टीच्यूशन में कि नौजवानों के चरित्र की सरकार रक्षा करे। आज हरियाणा की सरकार को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज के तहत शराबबंदी का अभियान चलाया। उसका परिणाम आज हम यह देख रहे हैं कि इका दुक्का आंकड़ा कोई अखबार में से लेकर हाईलाईट करना चाहें कि मद्यनिषेध कामयाब नहीं या कोई अमुक पार्टी का कोई आदमी उसमें संलग्न है। मैं अगर यह कहूं कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस पर राय जाननी चाही है कि क्या पूरे देश के अन्दर मद्यनिषेध लागू कर सकते हैं। हरियाणा को उसका गौरव प्राप्त हुआ है।इसके साथ साथ मैं यह जोड़ना चाहूंगा और सम्मानित सदस्य को कहना चाहूंगा कि हमको एक आधी रिपोर्ट जहां पर मिल रही है हम उससे इंकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा राज्य ज्योग्राफिकली ऐसा है कि हमारा हरेक जिला किसी न किसी दूसरे प्रांत से जुड़ा हुआ है जहां से शराब की समगलिंग आसानी से हो सकती है। इसको मैं मानता हूं।लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास लगातार रिपोर्टस आ रही हैं। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। मंत्री जी क्या प्वांयट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। जो बात उन्होंने कही है उसका जवाब इन्होंने देना है लेकिन इन्होंने तो बीच ही में स्पीच शुरू कर दी जो कि ठीक नहीं है। अगर इन्होंने कोई बात कहनी है कोई प्वांयट क्लीयर करना हो तो दूसरी बात है लेकिन ये बीच में स्पीच देने लग गये हैं। (विघ्न एंव शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात सदन के पटल पर मानी है कि हरियाणा के अन्दर शराब का माफिया जोर शोर से काम कर रहा है।(विघ्न एंव शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, माफिया तो ये लोग रखते थे लेकिन हमने वह माफिया स्पैश कर दिया है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला साहब, यदि आपको बोलना है तो स्ट्रिक्टली सब्जैक्ट पर ही बोलें, कोई कण्ट्रोवर्शियल बात न कहें (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान शराब की तस्करी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस सरकार के लोग संलिप्त हैं। इस तस्करी में राजनीति से जुड़े हुए कई लोग शामिल हैं। स्पीकर सर, हरियाणा विकास युवा मंच के कर्मसिंह को पुलिस ने पकड़ा जिसके घर में शराब थी। भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा क्योंकि वह भी शराब की तस्करी में संलिप्त था।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये ऐडवोकेट हैं और इन्होंने बात को घुमा कर कह दिया कि मंत्री जी ने माना कि माफिया काम कर रहा है। ये शायद उनकी बात जो डिस्टोर्ट करके कह रहे हैं

जो कि गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है। शराबबन्दी के लिए यह सरकार वचनबद्ध है और इस वचन को यह सरकार पूरा करेगी। आज शराब बंदी एक जन आन्दोलन बन गया है और आज यह शराबबन्दी का आन्दोलन पूरे देश में चलाने के बारे में विचार चल रहा है। प्रधान मंत्री महोदय ने यह जानकारी चाही है कि क्या पूरे देश में हरियाणा जैसी शराबबन्दी लागू की जा सकती है। अभी हम सभी लोगों ने दीवाली का त्यौहार मनाया है। दीवाली पर गांव-गांव में लोगों ने कहा कि ऐसी अच्छी दीपावली पहली बार ही आई है जब कि लोगों ने बिना शराब के बड़े अच्छे ढंग से दीपावली मनाई है। अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने कहा कुछ शहरों में हेरा-फेरी से शराब की कुछ तस्करी हो रही है। हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार ऐसी तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी, आपकी पार्टी को 10 मिनट का समय दिया जाता है, आप चाहें तो इस पर बोलिये (विघ्न एवं शोर) I have allowed ten minutes time for Shri Om Prakash Chautala and his party. Now, he may speak.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हो रही है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी हुई है कि आपने इस पर जनरल डिस्कशन अलाऊ कर दी। जनरल डिस्कशन में लॉ एंड आर्डर की बात चली।

श्री अध्यक्ष : यह बिल 1996 का है, इसलिए अलाऊ कर दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री राम बिलास शर्मा जी ने बहुत ही लम्बा चौड़ा भाषण दिया। सरकार ने जब शराबबन्दी का निर्णय लिया हम तब से इनके पक्षधर थे और आज भी हैं। लेकिन आज शंका यह जाहिर की गई है कि यह शराब पूरी तरह से बन्द नहीं हुई है। पहले ठेकों पर बिकती थी और अब घरों से सप्लाई होती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबरें छपीं हैं और वे सरकार से जुड़ी हुई हैं कि आई०पी०एस० और आई०ए०एस० अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी का ब्यान छपा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। राम बिलास जी का दर्द था कि बी०जे०पी० के आदमी को उसमें क्यों जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं उनका नाम नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी ने जो नाम लिये हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फैक्स मैसिज है वह मुख्यमंत्री जी और डी०जी०पी० के पास भी आया था। वे लोग दिल्ली से आ रहे थे। मैं आपको पुलिस की कार्यवाही के बारे में बताता हूं। वे शरीफ आदमी थे और उनको चैक किया गया। उनके सारे कागजात ठीक थे और कम्पलीट थे। उनको कहा गया कि हमें यह कागज नहीं चाहिएं, दूसरे कागज चाहिए। उन्होंने पूछा कैसे कागज चाहिएं तो पुलिस वालों ने नोटों वाले कागज के बारे में कहा। वे उनसे पांच हजार रुपये मांग रहे थे लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उस लड़के ने और उसने अपने किसी साथी से पैसे इक्ट्ठे करके 2000 रुपये उनको दिये। उनके घर वालों ने कम्पलेंट नहीं करी ताकि बदनामी न हो। उन्होंने हमें फैक्स किया और यह बात गणेशी लाल जी के नोटिस में भी लाई गई। उन्होंने एक महीने बाद उस आफिसर्ज को ससपैंड किया। मैं यह आप पर कटाक्ष करने के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपकी नौलेज में बात

*चेयर के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

ला रहा हूं कि पुलिस वालों के क्या हालात हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पाबन्दी लगाए। पुलिस वालों में 99 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं तो शराब कैसे बन्द होगी। आज धूले दिन में डकैतियां पड़ रही हैं। तीन आदमी मोटर साइकिल पर आए। बस स्टैण्ड पर एक आदमी खड़ा था। वे सैंकड़ों लोगों के बीच में उस आदमी से पैसे छीनने लगे। वह आदमी उनसे मुकाबला करता रहा और मारा गया। आज तक उनका कोई पता नहीं है कि वे कहां गये। पब्लिक प्लेस पर आज कत्ल हो रहे हैं। सवाल यह है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति आज बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अगर यही बात रही तो मैं आपके द्वारा गृहमंत्री से कहूंगा कि अनारकी फैल जाएगी और किसी की जानमाल या इज्जत महफूज नहीं रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। अगर इस प्रकार से ऐंटी सोशल ऐलीमेन्ट को छूट दी जाएगी या अगर इस प्रकार से पुलिस को बेलगाम कर दिया जाएगा तो बहुत गल्त हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पुलिस की यूनियन बनाने के पक्षधर थे और चुनाव में भी इस बात को लेकर यह प्रचार किया करते थे। ये उनकी यूनियन इसलिए बनवाना चाहते थे ताकि अपने विरोधियों को पुलिस के द्वारा दबाया जा सके लेकिन ये इस बात को भूल गये, इसलिये अब वह इनको भी भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे बिनम्र निवेदन कर सकते हैं। क्या इन विधायकों को इस बात का ज्ञान नहीं कि आज प्रदेश में क्या हालत हो रहे हैं। रोज अखबारों में किस प्रकार के समाचार छप रहे हैं ? आज किसी की भी जानमाल महफूज नहीं है और चारों तरफ लूटपाट मची हुई है। शराब के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से पहले भी कहा था जब उन्होंने कहा था कि हम ईनाम देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी इस हाउस में कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर कायम रहें और मेरे साथ ये अपने पुलिस दस्ते भेजें। हम इनको सत्ता पक्ष से जुड़े हुये लोगों के ट्रक के ट्रक शराब के न पकड़वाएं तो हम इनके देनदार होंगे। आप शराब बंद करें हम भी इस बात के पक्षधर हैं लेकिन यदि उन लोगों को छूट दी जाएगी या अगर शराब का माफिया खड़ा हो गया तो इस माफिया को कत्ल को अगर कोई छूट भी देना चाहे तो वह दे नहीं पाएगा। अध्यक्ष महोदय, शराब अमरीका में भी बंद की गयी थी लेकिन वहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माफिया खड़ा हो गया था। इसी तरह शराब गुजरात में भी बंद की गयी थी लेकिन गुजरात का माफिया आज किस तरह से दनदना रहा है यह सबको पता है। अगर शराब को संजीदगी से बंद करने की बजाए इसको छूट देने का काम होगा और अगर माफिया खड़ा हो गया तो फिर क्या हालत होगी। आज तो हम सब केवल यही मानकर चल रहे हैं कि हमें रैवेन्यू का नुक्सान होगा और हमने शराब बंद करके स्टेट के विकास के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम आपकी बात को मान सकते हैं लेकिन मनीराम जी कह रहे थे कि तीन हजार करोड़ रुपये की बचत हो गयी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि तीन हजार करोड़ रुपये की बचत कैसे हो गयी ? क्योंकि पहले वे एक गुने कीमत पर शराब लेते थे और आज उन्हें चार गुना या पांच गुने पर शराब पड़ रही है। तो फिर पैसा तो आज ज्यादा जा रहा है और यह पैसा पड़ोसी स्टेट में जा रहा है। जो रैवेन्यू आपको मिलना चाहिए था वह आज दूसरी स्टेट्स जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या हिमाचल में जा रहा है या फिर लोगों की जेबों का पैसा पुलिस की जेबों में या माफिया की जेबों में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप और हम इस बात के पक्षधर हैं कि शराब बंद हो और मैं आपको सबकी तरफ से आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम सब इसके पक्षधर हैं । हम इस मामले में सरकार को पूरा सहयोग और समर्थन देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि यह बंद हो लेकिन यह काम सरकार का है कि वह इसे सख्ती से बंद करे। अगर सरकार से जुड़े हुए लोग शराब बेचेंगे और यदि उनको छूट देने की बात आप करेंगे तो फिर आप दूसरों को कैसे रोक पाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले में आपसे यही कहना था। अभी मेरे दो और साथी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का बोलने का समय केवल दो मिनट बचा है। इस दो मिनट में कोई भी बोल ले।

श्री करतार सिंह भडाना (सम्मालखा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से अपोजीशन के लीडर से जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहना चाहूंगा कि वे शराबबंदी में पूरा सहयोग दें। वे भी चाहते थे कि शराब बंद हो लेकिन वे इसको बंद कर नहीं पाए इसलिए अब शायद उनको जलन हो रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अन्दर शराब बंद करके एक गौरव हासिल किया है। हमारे आदरणीय मैम्बर्ज भी इसको बंद करना चाहते हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शराब बंद करने की हिम्मत की है यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है। ये जो बार-बार टैक्स की बात करते हैं कि इतना टैक्स चोरी हो रहा है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि जहर बेचकर हमें जो रायल्टी मिलेगी तो क्या हम उसको इन्कम गिनेंगे ? मैं इस हाउस के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस काम के लिए हिम्मत की है और कोई कार्य एकदम से खत्म नहीं होता। आप अगर उसे खुलवाना चाहते हैं तो वह खुलेगी नहीं। आप भी बंद करना चाहते थे लेकिन फेल हो गए।

श्री राजकुमार सैनी (नारायणगढ़) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से लीडर आफ दि अपोजीशन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ लगे गांवों में जो ठेके खुले हुए थे उन्हें बंद कराने में मैं भी सरकार के साथ गया था। चौटाला साहब और उनकी पार्टी के सदस्यों ने ऐसा घटिया जुलूस निकाला और नारायणगढ़ जाकर कहा कि नारायणगढ़ के विधायक ने वहां पर शराब रोकने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कई लोगों की जानबूझ कर पिटाई की। जिन लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने 5-6 मुकदमें दायर किए उन लोगों को प्रोटैक्शन देने के लिए ये गए। यह लोग आज कहते हैं कि हम शराबबंदी के पक्षधर हैं। मुझे अफसोस है कि सढौरा हल्के के विधायक ने भी उस जुलूस की रहनुमाई की। (शोर एवं व्यवधान) घटिया प्रवृति से ये लोग पेश आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम जी लाल (सढौरा एस०सी०) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक ने खुद बैरियर पर जाकर दारू पी है और दारू बिकवाई है। (शोर एवं व्यवधान) और ये यहां आकर कहते हैं कि दारू बंद है। इनके भाई खुद दारू पीते हैं और लोगों को देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राज कुमार सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के का कोई आदमी कह दे कि मैंने कभी दारू पी है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके बोलने से ही कोई बात ठीक ढंग से आ सकेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, राजकुमार सैनी जी का ऐक्शन ऐसा लगता है कि जैसे ये हैं वैसा ही काम इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सैंकड़ों लोगों की मौजूदगी में इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक लाख रुपये पेश किए और मुख्यमंत्री जी ने इनको भरी सभा में धमकाया। ऐसा काम कोई शराबी ही कर सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है कि मैंने राज कुमार को धमकाया था। यह बात ये अपने आप ही कह रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह (नारनौंद) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त में (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसे आपस में बातचीत न करें। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें कृपा करके सुनें।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हरियाणा प्रान्त में कानून व्यवस्था में पिछले 6 महीनों में काफी सुधार हुआ है, उसके दो कारण हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सुनने की हिम्मत करिये मैं कानून के बारे में ही आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि चौधरी भजनलाल के राज में लोग किस तरह कानून की अवहेलना करते थे। मैं 5 मिनट ही बोलूंगा आप सुनने की हिम्मत तो करिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बन्द करने का काम कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये और जसवंत सिंह जी को बोलने दीजिए क्योंकि इन्होंने बोलने के लिए दो मिनट ही मांगे हैं।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच मिनट बोलना है। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में कानून की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारी सरकार की कार्य कुशलता की वजह से हरियाणा में कानून एवं व्यवस्था में पहले की सरकार की अपेक्षा कई गुणा सुधार हुआ है। भारत के कई अखबारों ने भी यह खबर लिखी है कि शराबबंदी होने की वजह से हरियाणा में क्राईम में 45% की कमी हुई है। श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी अखबार की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1990-91 और 1991-92 में उनके पिता जी उस समय की सरकार में मंत्री थे। जब उप चुनाव हुआ तो उस समय की सरकार की कार्यकुशलता की बात हुई तो रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी के हल्के की बात अखबारों में आई। तब इन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की गल्तियों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। मैं यह अखबार की बात बता रहा हूं और ऐसा मैंने अखबार में ही पढ़ा है। (विघ्न) आज ये कह रहे हैं कि शासन कमजोर हो गया, सरकार की कार्यकुशलता कम हो गई है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : जसवंत सिंह जी उस समय आप चौधरी भजन लाल के रहमो कर्म पर चेयरमैन रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास सुनने की हिम्मत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप टू दि प्वायंट बात कीजिए।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने ही प्वायंट पर बोल रहा हूं। मैंने कोई भी बाहर की बात नहीं की है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है, उसी पर बोलिए।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सैंटीमीटर भी अपने भाषण से बाहर नहीं जाऊंगा। आप जब भी कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कीजिए। (शोर)

14.00 बजे **श्री जसवंत सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, अगर पहले की बात की जाए तो बताने के लिए 1990-91 और 1991-92 की बातें भी की जा सकती हैं। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस समय किस तरह के क्राइम इनकी सरकार ने किए यह सब जानते हैं। मेहम हल्के में मोखरा गांव में किस तरह इन्होंने पुलिस से मिलकर बेगुनाह लोगों को गोलियों से छलनी किया था। आज ये महिलाओं की बात करते हैं कि हम उनकी इज्जत करते हैं। महिलाओं की हम भी इज्जत करते हैं लेकिन इन बातों के पीछे मैं नहीं जाना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमारी शराबबंदी की पॉलिसी फेल हो गई है। मैं इनको बताना

चाहता हूं कि यह पॉलिसी 85% कामयाब है। हमारा प्रान्त चारों तरफ से ऐसे प्रान्तों से घिरा हुआ है जहां पर शराब बिकती है। बड़ी मुश्किल से यह सरकार शराबबंदी को कायम रख रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून था कि प्रदूषण को रोकने के नजरिये से कोई शराब की या अन्य फैक्टरी नहीं लगेगी। लेकिन चौधरी भजन लाल जी ने शराब की फैक्टरी हिसार के अंदर लगवाई जो दुर्गन्ध फैलाए जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे सफर करने वालों में से मैं भी हूं। जब हवा चलती थी तो बहुत ज्यादा बदबू उधर से आती थी।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं श्री जसवंत सिंह जी की इज्जत करता हूं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम वे ठीक बात तो करें। मेरी कोई फैक्टरी नहीं है। हां, किसी रिश्तेदार की फैक्टरी होना कोई गुनाह नहीं है। मेरा इतना ही कहना था और कुछ नहीं। अगर प्रदूषण है तो उसको रोकें, कौन कहता है कि न रोकें।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भूल को सुधारता हूं। जो मैंने कहा कि वह फैक्टरी इनकी है, वह फैक्टरी इनके रिश्तेदार की है। (विघ्न) मुझे यह भी मालूम है कि वह इनके दामाद की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस फैक्टरी की बदबू से हिसार के हजारों लोग परेशान थे तथा साथ में लगते हुए 15-20 गांव भी इसकी बदबू से सड़ते रहे हैं। मुझ से मेरे रिश्तेदार, दोस्त तथा हिसार के लोग पूछते थे कि इस फैक्टरी को क्यों बंद नहीं कराते ? (विघ्न) मेरी एक भी बात झूठी नहीं होगी। आपके बिश्नोई धर्म में शराब पीना, पिलाना एलाउड है। आपके ही आदमी कानून का उल्लंघन करते हैं और आप मुझे कानून की बात सिखाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आमतौर पर फौजी आफिसर्ज पूछते थे कि इस बदबू से कब मुक्त कराओगे। (विघ्न) मैं सभी को फैज़ साहब का शेर सुनाता हूं।

"अजनबी गुमनाम हाथों का सितम
आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहेंगे।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने इनके गलत कामों की वजह से इनको इधर बिठा दिया। अगर कोई पार्टी चलती है तो वह अपनी कार्यकुशलता व ईमानदारी की वजह से ही चलती है तथा अगर कोई आदमी गिरता है तो वह अपनी गल्तियों की वजह से ही गिरता है। इसलिए इनको वहां पर बिठा दिया गया और आप के साथ ऐसे साथियों को बिठा दिया गया कि मजे लेते रहो। (विघ्न) मैं पहले कहता था कि समय आने दो, हम बता देंगे कि कैसे बदबू फैलती है और आज वह बदबू भी हमने बंद कर दी है तथा वह फैक्टरी भी बंद कर दी है। इनको इधर से उठाकर उधर बिठा दिया है। (थंपिंग) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजनैतिक नशे में चूर चौधरी भजन लाल जी, जब मुख्य मंत्री थे तो पुलिस इनके पास थी। एस०पी० इनका था। ये धर्म से कहें कि जो लोग दिल्ली से आ रहे थे उनको चौधरी भजन लाल जी ने गाड़ी में अपहरण कराया। एक टैक्सी के अन्दर कुछ वकील, कुछ लोग आ रहे थे। कलकत्ता की वह एक पार्टी थी जिसने 20-22 लोगों से रिकवरी करनी थी। फिर ये कहेंगे रिकवरी इनके रिश्तेदारों से करने गए थे। ये कह दें कि नहीं करने गए थे। एस०पी० ने उनका अपहरण करवाया उनमें एक सियाना आदमी भी था जो उसमें कोई निशानी कर गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मुझे चौधरी जसवंत सिंह जी पर बड़ा रहम आता है। इन जैसे आदमी को मैंने एम०आई०टी०सी० का चेयरमैन बना कर गलती की।

[श्री भजन लाल]

इलैक्शन से 15 दिन पहले ये टिकट के लिए मेरे तलवे चाटते थे। आज ये भजन लाल की बुराई कर रहे हैं। इनमें जरा सी भी शर्म नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि भजन लाल के दामाद का इसमें कोई दोष नहीं है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी हरद्वारी लाल ने पिछले दिनों एक किताब निकाली थी उस किताब में चौधरी भजन लाल जी का असली हुलिया बताया है। (शोर)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री जसवंत सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी कहते हैं कि इन्होंने मुझे एम०आई०टी०सी० का चेयरमैन बना दिया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब आप अपनी स्पीच को कनकल्यूड करें।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे केवल तीन चार मिनट और बोलने दें। चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि इन्होंने मुझे एम०आई०टी०सी० का चेयरमैन बना दिया। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैम्बर था तो उस समय चौधरी भजन लाल जी ने मेरे से वोट मांगा था। इन्होंने मुझे कहा था कि आप कांग्रेस कमेटी के मैम्बर हैं इसलिए आप अपना वोट मुझे दें। मैंने उस वक्त इनको अपना वोट दिया था। मेरी पत्नी हिसार जिला परिषद की मैम्बर बनी तो इन्होंने मेरे से मेरी पत्नी का जिला परिषद का वोट मांगा। मैंने अपनी पत्नी का वोट भी इनको दिलवाया। मेरे यहां दो जलसे हुए। एक जलसे में मैंने इनको एक लाख रुपये की थैली दी और दूसरे जलसे में 51 हजार रुपये की थैली दी। ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे कभी भी कोई प्लाट या एक गज जमीन भी नहीं मांगी। मैंने इनकी सरकार के समय में इनसे कोई भी फायदा नहीं लिया। इनकी सरकार के समय में यदि मैंने इनसे कोई फायदा लिया हो तो ये साबित कर दें मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा और आप मुझे अपने सामने खड़ा करके गोली मार देना। मैं कभी भी चौधरी भजन लाल के पास कोई पर्सनल फायदा लेने के लिए नहीं गया। मुझे इन्होंने एम०आई०टी०सी० का चेयरमैन बनाया तो मैंने उस कार्पोरेशन में बहुत बढ़िया काम किया था। मैंने अपनी चेयरमैनशिप में उस समय 36 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खाले बनवाए थे। इस बारे में आप एम०आई०टी०सी० के अधिकारियों से पूछ सकते हैं। अब मैं इनके भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर ही बोलें जो अन्डर डिस्कशन है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। दिल्ली के अन्दर कांग्रेस पार्टी का एक सेमीनार हुआ था। उस सेमीनार के अन्दर कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने अपने-अपने रैजोल्यूशन रखे लेकिन सेमीनार के अन्दर जब भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में बात आई तो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिम्मा चौधरी भजन लाल को दे दिया। तो इस बात पर सारा सेमीनार हँसने लगा। यह बात अखबारों में भी आई थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी है। धन्यवाद।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : स्पीकर साहब, सहकारिता मंत्री ने कहा था कि हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि कहीं न कहीं से यहां शराब समगलिंग होकर आती है । लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काबू पाया जा सके। ये क्या कोशिश कर रहे हैं वह मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रदेश के जिला मुख्यालय पर एक वकील साथी शराब पीकर निकल रहा था। कहीं रास्ते में

वह एक दुकान पर पान लेने के लिए खड़ा हो गया। पान वाले को पान लगाने में कुछ वक्त लग गया तो वे वकील महोदय कहने लगे कि भाई जल्दी पान लगाओ क्यों नशा ढीला कर रहे हो। उस दुकान के पास जो लोग खड़े थे उनमें एक ए०एस०आई० भी खड़ा था। यह बात सुन कर उसने पूछा कि क्यों भाई तूने शराब पी है। तो उसने ए०एस०आई० को कहा कि मैं तो डी०सी० के साथ शराब पी कर आया हूं। जब वह ए०एस०आई० डी० सी० के आवास पर गया तो वहां पर खड़े गार्द वालों को कहने लगा कि मैंने डी०सी० से मिलना है। जब वह डी०सी० से मिला तो डी०सी० भी लॉन में शराब पी रहे थे। उस ए०एस०आई० ने कहा कि मैं इस वकील के साथ तुम्हें भी पकड़ूंगा तो उसने एस०पी० को फोन किया। एस०पी० की तरफ से जवाब आया कि मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि उसने भी शराब पी हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के माध्यम से ये शराब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही शराब पी रहे हों तो फिर शराब बंदी कैसे लागू होगी। यह बात 'हरिभूमि' एक दैनिक अखबार है, उसमें छपी है। पीछे रोहतक में प्रिवैन्सीज कमेटी की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री महोदय से कहा गया था कि महराना गांव में रक्षा बंधन वाले दिन एक लड़की और उसका हसबैंड स्कूटर से गांव आ रहे थे। रास्ते में एक वैन में सवार लोगों ने स्कूटर को रोका और उनसे सामान छीना और उस लड़के की पिटाई की। वह लड़का दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। उसने उस वैन का नं० नोट कर लिया था। जब एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई तो उसके बाद से लेकर आज तक उनको पकड़ा नहीं जा सका यानी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यह आपके कानून व्यवस्था की स्थिति है। इसी प्रकार से 10-11-96 को बरवाला मेले में से 8 किसान 18 बैल लेकर जा रहे थे। जब वे बहादुरगढ़ पहुंचे तो पुलिस ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई की और उनसे 1800 रुपया छीना। स्थानीय विधायक ने जब एस०डी०एम० को बताया तो उसने डी०एस०पी० को कहा और उस डी०एस०पी० ने वे 1800 रुपये वापिस भिजवाये। जिस डी०एस०पी० ने ये पैसे वापिस भिजवाये वह मुख्यमंत्री का रिश्तेदार था।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी पर बात होते होते कानून व्यवस्था तक पहुंच गई। मैं पहले भी निवेदन कर रहा था कि अगर हम पिछले तीन महिनों के आंकड़े 1-7-1996 से लेकर 31-10-1996 तक के देखे तो हम पायेंगे कि थानों में जो झगड़े के केस पहुंचते थे शराबबंदी के कारण उनमें काफी कमी आयी है। आज शराबबंदी की वजह से शाम को सड़कें और थाने सुनसान से नजर आते हैं। इस बार दीपावली लोगों ने बड़े शांत वातावरण में मनाई है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट मुझे भी बोलना है। लॉ एण्ड आर्डर तथा शराब बन्दी पर मुझे भी अपनी बात कहनी है। इसलिए मुझे भी थोड़ा समय चाहिए (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़ी पार्टी को भी हमने 13 मिनट का समय दिया है (विघ्न एवं शोर)

श्री बीरपाल सिंह : हमने भी अपनी बात कहनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न)

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर को खराब करने वाला चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य ने जिस इंसिडैंट का जिक्र किया है यह बात उनके ध्यान में होगी कि सम्मानित विपक्ष के नेता ने भी उसका जिक्र किया था सिरसा का इंसिडैंट इन्होंने दोहराया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर को रोकने वाला और कानून को तोड़ने वाला चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो उसके ऊपर एक्शन होगा। सम्मानित विपक्ष के नेता ने सिरसा के इंसिडैंस का जिक्र किया है। जैसे ही हमारे बड़े भाई बाबू राम गोयल

[श्री गणेशी लाल]

जो समाजवादी जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ने मुझे फोन पर इस बारे में कहा तो मैंने तुरन्त इस बात को होम मिनिस्टर को कहा। इन्क्वायरी के पश्चात् उन दोनों अफसरों को जिन्होंने इस प्रकार का काम किया था हमने उनको सस्पैंड कर दिया। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वह मन्त्री हो, चाहे एम०एल०ए० हो, चाहे सैंट्रल गवर्नमैंट या स्टेट गवर्नमैंट का कोई अधिकारी हो, जो हरियाणा सरकार के लॉ एण्ड आर्डर को परिज़र्व करने तथा जान और माल की रक्षा करने में आड़े आता है उसके ऊपर एक्शन लेने से सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। इस मामले में लगभग 95 लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा चुका है और उनको सस्पैंड भी किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ मैंने जो यह बात कही थी जिसका सम्मानित सदस्य ने भी जिक्र किया कि मन्त्री ने माना है कि शराब समगल हो रही है। मेरा इस पर निवेदन है कि 1970-71 के अन्दर 17 लाख पल्स लिटर शराब बिकती थी और 1995-96 में यह बढ़ कर लगभग 16 करोड़ पल्स लिटर हो गई। 1-7-1996 से शराब एकदम बन्द करने के बाद जयोग्राफीकल कण्डीशन इस प्रकार की होने के कारण भी मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो मैसेज हम शराबबन्दी के बारे में देना चाहते थे तथा जिस सैक्शन में देना चाहते थे उसमें हम 85% कामयाब हुए हैं। ब्रीथ एनालाईज़र्ज के माध्यम से डॉस स्कवेयर के माध्यम से भी हम पूरी कोशिश करेंगे।। मैं सम्मानित विपक्ष के नेता का स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने यह कहा कि हम इस के लिए सरकार का समर्थन और सहयोग करने वाले हैं। वे ईमानदारी से चाहते हैं कि शराब बन्द हो और हमारे पास रिपोर्टस आ रही हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यह भी रिपोर्टस आ रही हैं कि पहले जो शराब पीते थे अब पोस्ट ऑफिस और बैंकस में उनके अकांउट्स खुलने शुरू हो गये हैं। स्पीकर महोदय, इसी प्रकार से प्राईम मिनिस्टर महोदय द्वारा मीटिंग बुलाने का ताल्लुक है या एक्सीडैंट्स में कटौती की बात है, वह शराबबन्दी के कारण हुई है। यह बात केवल पुलिस के माध्यम से नहीं हो सकती। यहां पर जिक्र किया गया कि कैसे शराब बन्द करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसे जन आन्दोलन बनाया है। हमने 16-17 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 हज़ार लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किए गये हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों को केवल पुलिस नहीं पकड़ सकती और न ही सरकार का डी०ई०टी०सी०, प्रोहिब्शन डिपार्टमैंट पकड़ सकता है। यह पूरे का पूरा हरियाणा की जनता का आन्दोलन है और उन्हीं के सहयोग से इस प्रकार का अभियान सफल होने जा रहा है। उसके लिए हरियाणा सरकार गौरव और बधाई के पात्र हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय एक बात जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही थी कि भिवानी के बाढड़ा हल्के के एक गांव में पुलिस वालों की और शराब बेचने वाले लोगों की लड़ाई हुई और पुलिस की जीप जला दी गई। इतनी बात तो सही है कि लड़ाई हुई और उसका केस रजिस्टर हुआ है। दो जीपें शराब लाने वालों की पकड़ी गई हैं पुलिस की कोई गाड़ी नहीं जलाई गई। उन्होंने और भी कई बातें कहीं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। चौधरी भजन लाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और चौधरी चौटाला साहब भी बैठे हैं। चौटाला साहब, जब नरवाना से जीत कर आए थे और हम वहां पर बुरी तरह से हारे थे तो इन दोनों बापू-बेटों ने जलसा किया और चौधरी भजन लाल का कलमा पढ़ा। शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि यह चौधरी भजन लाल का कैंडीडेट था। रणदीप सिंह सुर्जेवाला ने कहा था कि मेरे बाप की गल्तियों की सज़ा मुझे न दो। जब हार गये तो कह दिया कि चौधरी भजन लाल, चीफ मिनिस्टर ने हरा दिया। हमारे विपक्ष के एक और साथी ने कह दिया कि डी०सी०, एस०पी० और थानेदार पीए हुए थे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि पीने वालों को सब पीए हुए ही नजर आते हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है कि मैंने आज तक शराब नहीं पी है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि शराब इस प्रदेश में नहीं आती है। हमने 10-12 पुलिस वालों को पकड़ा भी है। अब ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि मुझे पुलिस वाले दो। मैं ऑन दि फलोर आफ दि हाउस यह कहता हूँ कि चाहे वह चौटाला जी की पार्टी का इलाका हो, चाहे भजन लाल जी की पार्टी का इलाका हो और चाहे खुर्शीद जी की पार्टी का कोई इलाका हो और ये कहें कि मुझे पुलिस दो तो उन्हें उसी वक्त पुलिस दी जाएगी। यह मेरा आप सबके साथ वायदा है। अगर कोई पुलिस वाला या कोई और शराब के मामले में पकड़ा गया है और छूट गया तो हमें बताएं। चौटाला साहब के वक्त में पुलिस की भर्ती का रेट 40 हज़ार रुपए था और भजन लाल जी के वक्त उसका रेट बढ़कर 80 हज़ार हो गया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। बंसी लाल जी बे-बुनियाद बात कह रहे हैं। एक भी आदमी एफिडैविट दे दे कि मैंने पैसे देकर भर्ती करवाई है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला कभी भी ऐफिडैविट नहीं देगा। यह तो जग जाहिर है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो आफर दी है मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में वे शराब को बन्द करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, आप में इसको बंद करने की बिल पावर है तो आज जो शराब बेच रहे हैं, उन पर पाबन्दी लगाएं। जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि हम इस काम में आपका साथ देंगे तो मैं भी यही कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि मेरा हल्का बौर्डर पर है और वहां पर रोज शाम को आपकी पार्टी का झण्डा लगा कर गाड़ी बौर्डर से आती है और जिस तरह से दूध बांटते हैं उस तरह से शराब बंटती है। अगर यह बात आपकी पार्टी के लोग आपकी नौलेज में न लाएं तो अलग बात है लेकिन हमारा यह फर्ज है कि हम यह बात आपकी नौलेज में लाएं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर इनके हल्के के बोर्डर पर ऐसा होता है तो मैंने इनको पहले ही आश्वासन दे दिया कि ये पुलिस वालों को लेकर उस गाड़ी को पकड़वा दें और तब यह भी पता चल जाएगा कि वह किस की गाड़ी है और वे कौन हैं।

श्री धीरपाल सिंह : मैं तो आप पर भरोसा करता हूँ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये पकड़वा दें हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि स्टेट में अनडिजायरेबल ऐलीमेन्ट अभी भी हैं जो यह धंधा करते हैं। मैंने यह कहा है कि हम 85 परसैंट शराब बंद करने में कामयाब हो गये हैं और 15 परसैंट अभी हम नहीं हो पाए हैं। यह 15 परसैंट में ही इस तरह के लोग है जो यह धंधा करते हैं और इनको रोकने का भी हमारा इरादा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने इस बारे में असैस किया है और जहां तक मुझे ज्ञान है कि शराब या तो थोड़ी बहुत वहां आती है जहां शहर हैं या शराब वहां आती है जहां पर बोर्डर के साथ-साथ पांच-पांच किलोमीटर तक गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं सड़क के ऊपर चलता हूँ तो रास्ते में मुझे जहां कहीं भी औरतें नजर

[श्री बंसी लाल]

आती हैं तो मैं उनसे गाड़ी रोककर पूछता हूँ कि क्या आपके यहां अब भी कोई शराब पीता है, तो वे कहती हैं कि अब कोई नहीं पीता और जो पीता था उसे पुलिस पकड़कर ले गयी। ये औरतें तो इकट्ठी चार-चार या पांच-पांच चलती हैं। कोई जंगल से घास लेकर आती है और कोई दूसरे काम करके जंगल से आती है, इसलिए मैंने उनसे पूछा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूँ कि 100 परसैंट शराब बंद हो गयी है। 85 परसैंट बंद हुई है और 15 परसैंट अभी बंद नहीं हुई है। हम इसमें इन सब भाईयों का भी सहयोग लेना चाहते हैं। कल ही इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी हो जाएगा। अगर यह किसी को पकड़वाने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो हम इनका सहयोग जरूर लेंगे क्योंकि पूरी तरह से शराब बंद करने का हमारा पक्का इरादा है। हमारी पूरी विल है और हम मुस्तैदी के साथ इसे पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम ने पुलिस के ही दस बारह लोग पकड़ लिए तो फिर हम और किसी का क्यों लिहाज करेंगे। (विघ्न) हम हर तरह से शराबबंदी करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अगर एस०पी० खुद ही शराब पियेगा तब फिर वह किसे पकड़ेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। यह मैंटली डिस्टर्ब हो गया है इसलिए हम क्या करें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांइट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मैंटली केस वाली बात कही है वह अच्छी बात नहीं। अजय सिंह तो एम०एल०ए० पहले भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। ये आज भी एम०एल०ए० है फिर ये कैसे मैंटली डिस्टर्ब हो गये। इनकी ये बात हाउस की कार्यवाही से निकलवायी जानी चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन जिस प्रकार से ये ब्यानबाजी कर रहे हैं वह बड़े अफसोस की बात है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो डिमांडज़ आयी हैं ये आज की नहीं हैं बल्कि जब इनकी सरकार थी या जब ये मंत्री थे उस समय की हैं, हमारे वक्त की नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि अगर हमारे ये साथी शराब बंदी में हमारा सहयोग देंगे तो हम इनसे सहयोग अवश्य लेंगे और शराब को पूरी तरह से बंद करेंगे। अभी जो हमें 15 परसैंट कामयाबी नहीं मिली है उसको भी बंद करने में हम कामयाब होंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वह मैंटली डिस्टर्ब वाली बात तो हाउस की कार्यवाही से निकाली जानी चाहिए। (विघ्न) अगर हम इनको ऐसे ही कहें तो क्या यह अच्छी बात है। (शोर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce Guru Jambheshwar University, Hisar (Second Amendment) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (द्वितीय संशोधन) बिल, 1996 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 के विधेयक के तहत हुई थी। उस समय इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था वह एक टैक्नीकल, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का स्वरूप रखा गया था। परन्तु उस समय की सरकार ने कुछ महीने बाद एक और संशोधन इसमें कर लिया और इसके साथ कुछ डिग्री कॉलेज हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र और जींद जिलों के जोड़ कर के एक मैडीकल कॉलेज को भी इसके साथ जोड़ दिया। जिस सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिस कानून के तहत इसकी स्थापना की थी, उसके प्रिऐम्बल में दर्शाया गया था that it will be a technical University. कुरुक्षेत्र का इंजीनियरिंग कॉलेज और हिसार, सिरसा, जींद के डिग्री कॉलेज और मेडीकल एजूकेशन को इसके साथ जोड़ने से यहां के लोगों की स्वाभाविक रूप से मांग आई। खास कर कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज ने कहा कि क्योंकि हमारा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है और हम कुरूक्षेत्र यूनीवर्सिटी के कैम्पस में हैं और हमें वहां से हटाकर हिसार के साथ जोड़ना हमारे साथ सरासर अन्याय है। यह छात्रों की मांग थी। उनकी इस समस्या को दूर करके हमने इस यूनिवर्सिटी के स्वरूप को, जो इसकी स्थापना के समय तय किया गया था, उसे बरकरार रखा है। इसके साथ टैक्नीकल, इंजीनियरिंग से संबंधित जैसे आई०टी०आई० और फार्मेसी को साथ जोड़कर हमने इसका विस्तार किया है। शिक्षा के संबंध में पहले 11 कोर्सिज थे उनको बढ़ाकर 62 की संख्या तक हम लाये हैं। इस संशोधन में मूल परिवर्तन तो हमने यही किया है। एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में भी इस संशोधन में हमने प्रावधान किया है। पीछे 1988 में सरकार ने परिवर्तन किया था और उस समय महामहिम राज्यपाल की तरफ से वायस चान्सलर की नियुक्ति के बारे एक एडवाईस आई थी that Vice Chancellor will be appointed by the Chancellor on the advice of the Government. उसी को ध्यान में रखकर हमने यह संशोधन किया है। इन शब्दों के साथ मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved —

That Guru Jambheshwar University, Hisar (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बिल भी आते हैं, अमेंडमेंट भी आते हैं, सुझाव भी आते हैं, अगर कोई गलती हो तो उनको सुधारने का प्रयास भी किया

जाता है। लेकिन उनकी मंशा क्या है और उस मंशा के दृष्टिगत संशय और संदेह पैदा हो जाना स्वाभाविक है। जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी। जब उसके बिल की ड्राफ्टिंग हो रही थी तब उस वक्त की सरकार की मंशा इसको टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बनाने की और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने की थी। जो ड्राफ्टिंग करने वाले लोग थे उन्होंने अपने जाति स्वार्थ को दृष्टिगत रखते हुए उसको इस ढंग से बनाया कि वायस चांसलर की टैन्योर भी तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने की कोशिश की और फिर दूसरी मर्तबा भी अगर आवश्यक हो तो उसे दस साल तक भी रखा जा सकता है। जैसा कि मेरी नॉलेज और नोटिस में आया है, ऐसी मंशा थी उन लोगों की जिन्होंने इस बिल की ड्राफ्टिंग बनाई थी। मगर जिस शक्ल में भी यह यूनिवर्सिटी वजूद में आई तो उस समय भी इस बात पर मन में संदेह व्यक्त किया था और राम बिलास जी ने भी उसका स्पष्टीकरण दिया था कि हम कहीं चांसलर के अधिकारों पर तो आक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। आज जो अमेंडमेंट आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार चांसलर या राज्यपाल महोदय को दिया है। राज्यपाल महोदय, वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे और सरकार की सिफारिश पर करेंगे। सरकार की सिफारिश पर वाइस चांसलर को हटाया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के अन्दर राम बिलास जी यह बात कहें तो बड़ा अफसोस होता है। आज वही अमेंडमेंट हाउस में फिर लाकर राम बिलास जी यह कह रहे हैं कि वाइस चांसलर के अधिकार क्षेत्र में ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। कल भी यही बात कही थी और आज फिर वही बात करने की अनाधिकृत चेष्टा की जाये तो अच्छा नहीं है। आज जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें स्पष्ट लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल यूनिवर्सिटी रहे या साधारण यूनिवर्सिटी रहे। यूनिवर्सिटी तो शिक्षा प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। उसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनको ऐसी शिक्षा दी जाये कि जो बच्चे इससे निकलकर आयें उनसे प्रदेश का देश में नाम बढ़े। प्रोफैसर राम बिलास शर्मा जी खुद एक शिक्षाविद हैं और आप भी अध्यक्ष महोदय, शिक्षाविद रहे हैं, इसलिए इसमें सुधार किया जाये।

इस प्रकार से अगर इसका स्तर निरंतर गिरता जाएगा, यूनिवर्सिटी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा, ऑटोनोमस बॉडी के अधिकारों पर आक्षेप करेंगे और उन पर कुठाराघात करेंगे तो फिर यह कैसे संभव हो पाएगा कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कैसे कर पाएंगे। हिसार की यूनिवर्सिटी में जिस ढंग से बखेड़ा किया गया था उससे आप परिचित हैं। आज रजिस्ट्रार को अपमानित किया जाता है। आज तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का झगड़ा निपटा नहीं है। अभी तक वहां पर हड़ताल है तथा बच्चों के इम्तहान रुके हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि एस०एस०एस०बोर्ड के द्वारा नये अध्यापकों की भर्ती करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चों के रिजल्ट्स अभी रुके हुए हैं तो उनको कैसे अवसर इन नौकरियों में मिलेगा। इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए तथा इस नजरिए को कानूनी शक्ल दी जाए जिससे प्रदेश को लाभ होगा। अगर चांसलर के अधिकारों को भी आक्षेप करने की कोशिश की जाएगी या राज्यपाल महोदय को जो अधिकार मिला हुआ है, उस पर भी आपने चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो ठीक है यह जो अमैंडमैंट आप लेकर आए हैं, पास तो अवश्य हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी लेकिन इसमें अंदेशा यह है कि क्या राष्ट्रपति महोदय इसको मानेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको सुधार करके लाया जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से कुछ अमैंडमैंटस, सबस्टीच्यूटस और इन्सर्शंज हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने परपोज की हैं। वह कुछ इस प्रकार से हैं जिनके ऊपर कल भी लम्बी चौड़ी चर्चा की जा चुकी है और आज उससे भी बढ़ कर के कुछ चीजें

[डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत]

इस विधेयक के अंदर लाई गई हैं। स्पीकर सर क्योंकि आप भी और शिक्षामंत्री महोदय भी विद्वान हैं और आप दोनों किसी न किसी ढंग से हर समय यूनिवर्सिटी की कार्य प्रणाली के साथ जुड़े रहे हैं। आप दोनों तो इन बातों को भलि-भांति समझ सकते हैं। जो अमैंडमैंट सैक्शन-II के अंदर लाई गई है, वह वाईस चांसलर की नियुक्ति के साथ डील करती है। उस सैक्शन के लिए शिक्षा मंत्री महोदय ने यह महसूस किया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए सरकार का इसमें किसी किस्म का रोल नहीं है। इसलिए वे यह चाहते हैं कि इसमें सरकार का भी कोई शेयर हो। स्पीकर सर, यह बात तो ठीक है लेकिन इसके लिए जो कारण हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने दिये हैं, उन्होंने उनके द्वारा यह स्पष्ट किया है कि इस किस्म के प्रोविज़न या प्रावधान दूसरे कुछ विश्वविद्यालयों में भी हैं। उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर का उदाहरण भी इसमें दिया है। उनमें जो प्रावधान है, वह यह है कि सरकार की सिफारिश पर चांसलर, वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। लेकिन अगर सिर्फ इस बिनाह पर ही हमारे शिक्षा मंत्री इस विधेयक को लाना चाहते हैं तो मैं उनसे शत्प्रतिशत् सहमत हूँ। वे खुद इस बात का पता कर लें कि आज हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर की नियुक्ति सरकार की सिफारिश के आधार पर चांसलर करता है और कितने विश्वविद्यालयों के अंदर चांसलर अपनी मर्जी से करता है। अगर ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर अपनी मर्जी से यह नियुक्ति करता है तो जो कारण इन्होंने दिए हैं उनकी अपने आप ही कोई अहमियत नहीं रह जाती है। दूसरी बात इन्होंने यह भी कही है कि हमने एग्जिस्टिंग प्रोविज़न की बजाए प्रैजेंट प्रोविज़न को बढ़िया माना है, वह भी अपने आप ही पता चल जाएगा। इसलिए इस बिनाह पर भी इस बिल को लाना कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ये कारण जो हैं ये इस किस्म के नहीं हैं जिनके कारण यह अमैंडमैंट लाई जाए। स्पीकर साहब, इसके अलावा एक अमैंडमैंट और भी है जो सैक्शन II थी, में इनसर्ट की गई है वह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट के बारे है। यूनिवर्सिटी के सटैच्यूट के अनुसार इसकी नियुक्ति पहले एग्जैक्टिव कौंसिल द्वारा की जाती थी लेकिन अब इस अमैंडमैंट से शिक्षा मंत्री जो यह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट का अधिकार सरकार का होना चाहिए। स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की बड़ी अहमियत की पोस्ट है इसलिए रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट वाइस चांसलर या एग्जैक्टिव कौंसिल द्वारा न करके सरकार द्वारा की जाएगी तो यह बहुत ही गलत बात होगी। यह बात ठीक नहीं है कि सरकार रजिस्ट्रार को अप्वायंटमैंट करे। रजिस्ट्रार की पोस्ट बड़ी अहमियत की पोस्ट है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने मंत्री महोदय हाउस में बैठे हैं ये सारी अहमियत की पोस्टें हैं। इनको मंत्री बनाने का अधिकार केवल मुख्य मंत्री जी को है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज में जितनी भी अहमियत की पोस्टें हैं उनकी अप्वायंटमैंट की पावर वहां की एग्जैक्टिव कौंसिल या वहां के वाइस चांसलर को ही होनी चाहिए। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं तो आपसे यह कहना चाहूँगा कि चाहे रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट वाइस चांसलर करे, चाहे गवर्नर महोदय करें और चाहे अकेडैमिक कौंसिल करे और चाहे सरकार करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह तो अप्वायंटिंग अथोरिटी पर डिपैंड करता है। वैसे तो मुख्य मंत्री और गवर्नर महोदय दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं। अगर वाइस चांसलर को अप्वायंटमैंट करने में राज्यपाल महोदय से गलती हो सकती है तो वह गलती मुख्य मंत्री जी से भी हो सकती है। बात यह नहीं है कि उनकी अप्वायंटमैंट कौन करेगा, बात यह है कि अगर मुख्य मंत्री उनकी अप्वायंटमैंट करेगा तो उससे यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए उनकी अप्वायंटमैंट मुख्य मंत्री द्वारा न करके गवर्नर महोदय द्वारा की जानी चाहिए और इस बिना पर इस विधेयक को वापिस लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, जहां तक बाकी अमैंडमैंटस की बात है

उनमें कुछ अमैंडमैंटस ऐसी हैं जिनके द्वारा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बाइस चांसलर होता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट होती है, एग्जैक्टिव कौंसिल होती है, अकैडेमिक कौंसिल होती है उनमें सारे के सारे आदमी बहुत विद्वान होते हैं। यूनिवर्सिटी का काम कैसे चले इस बारे में ये सभी भलि भांति जानते हैं। यूनिवर्सिटी का काम चलाने में यदि वे कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो इस किस्म के सुझाव उनकी तरफ से आने चाहिएं। स्पीकर साहब, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्री जी की 100 परसैंट इन्टैंशन ठीक होती तो वे इस तरह की अमैंडमैंटस हाउस में ले कर नहीं आते। इस विधेयक के जरिए जो भी अमैंडमैंट लाई गई हैं उनसे यूनिवर्सिटी की स्वायतता पर उल्टा असर पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आप मुख्य मंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। कल आपकी जगह कोई गलत आदमी भी आ सकता है तो वह इस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हर कीमत पर इस विधेयक को वापिस लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय की और शिक्षा मंत्री जी की आत्मा इस बात को मानती है कि इस किस्म की अमैंडमैंट यूनिवर्सिटी की स्वायतता पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस विधेयक को वापिस लिया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो अमैंडमैंट ला रहे हैं इसको बापस लिया जाना चाहिए। दूसरे, जो कल विधेयक पास हुये हैं उनको भी वापिस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी जो अमैंडमैंट लाये हैं यह बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है कि राज्यपाल के अधिकार यानि चांसलर के अधिकारों को भी गवर्नमैंट अपने पास ले रही है। आज तक हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि चांसलरों के अधिकार सरकार अपने पास रखे। मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार पुनः विचार करे क्योंकि यह बहुत ही अहम मसला है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट के बारे में कल भी काफी चर्चा हुई है, मैं फिर कहता हूँ कि जब सारे अधिकार सरकार अपने पास ले लेगी तो फिर उस कौंसिल या बौडी के पास क्या अधिकार रह जाएंगे। इस बिल में जो कुरूक्षेत्र का इन्जीनियरिंग कॉलेज जुड़ा था उस को बापस कर रहे हैं। यदि इन्जीनियरिंग कॉलेज को ये उसके साथ जुड़ा रहने देना नहीं चाहते और कोई अड़चन समझते हैं तो बेशक बापस कर लें मुझे एतराज नहीं लेकिन सिरसा, जीन्द, हिसार और भिवानी के कॉलेज भी उसके साथ से हटा लिए जायें, यह अच्छी बात नहीं है। इन चारों जिलों के बीच में यह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी क्योंकि हिसार चारों जिलों के बीच में पड़ता है। जिस जिले में यूनिवर्सिटी हो उस जिले के साथ लगते जिलों के कॉलेज भी साथ न रखे जाएं तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। रामबिलास जी काफी काबिल मंत्री हैं, इनको इस बारे में पुनः बिचार करना चाहिए। इन जिलों के कॉलिजों को कुरूक्षेत्र या रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ें तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर पुनः विचार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम कल बोल नहीं पाये थे, समय अभाव के कारण आप हमें समय नहीं दे पाये थे और न ही पूरा हम बोल पाये थे। हमने ऐसी अमैंडमैंट की कल भी मुखालफत की थी और आज भी कर रहे हैं। रोहतक विश्वविद्यालय में इस सरकार ने वहां के बाईस चांसलर के साथ क्या ज्यादती की है वह सभी को पता है। यह सब वहां के वी०सी० को हटाने के लिए किया गया था। रजिस्ट्रार लगाने का एक्सपीरियंस आपने देख लिया कि किस प्रकार वहां पर मार-पीट की गई और वी०सी० को कहा गया कि अस्तीफा देकर अपने घर चले जाओ। (विघ्न) वी०सी० बहुत पढ़ा लिखा होता है और चांसलर ऐसे ही उन्हें नहीं लगा देते। (विघ्न) जो आप कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, यह आने वाला वक्त ही बतायेगा। इसलिए मेरा फिर सरकार से अनुरोध है कि इसे वापिस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर सर, गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल पर बोलने के लिए मैंने आपसे समय लिया और आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब पिछले सदन में यह बिल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाया गया था तब भी मैं इस विधान सभा का सदस्य था और मैंने इस पर अपने विचार उस वक्त रखे थे । फर्स्ट टाईम जब इस बिल को इन्ट्रोडयूस किया गया था, उसी से प्रभावित जो प्रिएम्बल है वह रखा गया था। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज हाई टैक की आवश्यकता है। हमारे नौजवानों को उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए और उनको अधिक मौके देने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना तथा रिसर्च एण्ड डिवैल्पमैंट विंग स्टेट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसके लिए चौ० चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार बनाई गई। जो शिक्षा आज के लिए आवश्यक है उसमें साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी की बेहद जरूरत है। यूनिवर्सिटी कायम करते हुए आर०एण्ड०डी० पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह यूनिवर्सिटी बन गई थी और इसका उद्देश्य भी यही था। उसके ऑब्जैक्टस एण्ड रीज़न्ज़ में भी यही दिया गया है जो इस प्रकार है —

"The State Government through Legislative Enactment (Haryana Act No. 17 of 1995) established Guru Jambheshwar University, Hisar to facilitate and promote studies in emerging areas of Higher Education including new frontiers of technology, environmental studies, non-conventional energy sources and management studies...."

The study of environment is very important and other spheres of studies are also very important.

पहले ये चार ऐरियाज़ ही बहुत जरूरी थे लेकिन उस समय की सरकार तथा उस समय के मुख्य मंत्री के दिमाग में पता नहीं कैसे यह आया कि इस यूनिवर्सिटी में दूसरे विंग शामिल कर दिए। गुरू जम्भेश्वर का नाम ऐनवायर्नमैंट के प्रौटैक्शनिस्ट्स में आता था। उस समय की सरकार ने इसको साधारण यूनिवर्सिटी के ढर्रे पर डाल दिया। हमने शोर मचाया। हमने उस वक्त कहा था कि साधारण कॉलेजों को इसके साथ मत ऐड कीजिए। यह यूनिवर्सिटी हाई टैक के लिए बनाई जाए और इसे वहीं तक सीमित रहने दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, 1960 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित बिल इसी सदन में सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय में बना था। उस समय इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह यूनिवर्सिटी बेसिकली संस्कृत की यूनिवर्सिटी होगी। इस यूनिवर्सिटी में आदि ग्रन्थ, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद् आदि पर रिसर्च वर्क का ही उद्देश्य था लेकिन बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को साधारण यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि हरियाणा अलग हुआ था और उसको अपनी एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता भी थी। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से हरियाणा के कॉलेजों

15.00 बजे

को निकालना था इसलिए यह उस वक्त की आवश्यकता थी और ऐसा कर दिया गया। स्पीकर सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि a few weeks back a boy approached me for migration to the Regional Engineering College, Kurukshetra. He was studying in Textile Engineering College in Rajsthan. He told me that if the Regional Engineering College, Kurukshetra is Affiliated with Guru Jambheshwar University, Hissar. then he is not interested to go there. If it is still affiliated with the Kurukshetra University then he is interested to go in the Regional Engineering College. स्पीकर सर, यह रैपुटेशन एक दिन में नहीं होती है। मैंने भजन लाल जी से उस समय भी कहा था कि आप चौधरी चरण सिंह का नाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मत बदलिए। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

का नाम बदलना चाहते हैं। ये यहां पर विधेयक लेकर आए फिर वही बात हुई कि 108 सांसदों ने प्रधान मंत्री जी के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह के नाम को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं हटाएंगे। तो उस समय भजन लाल जी ने दलील दी थी कि मैं इस लिए यह नाम बदल रहा हूं कि जब हम वर्ल्ड लैवल पर कोई लोन या ग्रान्ट की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह कौन सी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है तो हमें यह कहना पड़ता था कि नहीं-नहीं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। But if it is in the name of Ch. Charan Singh Agricultural University, then we will have to think over. मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं कि इतने रैपुटेशन के रीजनल इंजिनियरिंग कालेज को आप नई यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ेंगे तो जो वहां से स्टूडैंट निकलेंगे, उनकी कैपेबिलीटी और उनकी नौकरी के प्रोसपैक्टस गुम हो जाते हैं। मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी को हाई टैक ऐरिया तक कनफाइन करके रखना चाहते हैं तो ठीक है। आपके ऊपर फिर भी प्रैशर आएंगे कि इसमें ऐसा कर दो वैसा कर दो। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता है कि मुलाना के अन्दर एक इंजिनियरिंग कॉलेज खुला है, उसका क्या स्टेटस है, क्या वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएटिड है ? आपका दृष्टिकोण इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या जुरिसडिक्शन कालेज की एफिलिएशन के बारे में यूनिवर्सिटी की है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में है ? वहां पर जुरिसडिक्शन एम०डी०यू०, रोहतक की है, उसके अन्दर हाई टैक नाम से, बिजनैस मैनेजमैंट के नाम से कोई इनस्टीच्यूट ग्रो करता है, वह इन्स्टीच्यूट चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो लेकिन उनका पक्का क्राईटेरिया बनाना पड़ेगा that every such institution will be affiliated to Guru Jambheswar University. फिर यह नहीं होना चाहिए कि एक इंजीनियरिंग कालेज तो आप कुरुक्षेत्र से एफिलिएटिड कर दें और दूसरे को रोहतक से और तीसरे को गुरु जम्भेश्वर से एफिलिएटिड कर दें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस कालेज को किस लाइन में डिवैल्प करना चाहते हैं। मैंने पहले भी मुख्य मंत्री भजनलाल जी से कहा था कि आपके हिसार में पहले से ही यूनिवर्सिटी है, रोहतक के अन्दर भी है, आप यह यूनिवर्सिटी हमारे जिले में दे दें। कैप्टन साहब को हमने कहा था कि इतने पिछ लग्गू न बनो, कम से कम रिवाड़ी के लिए यूनिवर्सिटी की मांग कर लो। इन्होंने भी कहा था कि रिवाड़ी सैन्टर में है, वहां पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग यह है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को ग्रो करने के लिए इसके एरिये को इन चार अदारों में ही सीमित रखा जाए ताकि ये हाईटैक एरिया में ही मूव करें, डिवैल्प करें और ग्रो करें। स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को अपना व्यू इस बारे में साफ रखना चाहिए। आप रजिस्ट्रार और वाईस चांसलर की नियुक्ति सरकारी तंत्र से करना चाहते हैं तो इसमें पर्दा न रखें। शायद लोकपाल के विधेयक पर भी इस बात की चर्चा होगी कि ऐसी अप्वायंटमैंट जो औटोनोमस अप्वायंटमैंट हैं, वह मुख्यमंत्री की विल पर नहीं होनी चाहिए। रोहतक में जो अप्वायंटमैंट हुई हैं उस बारे में मुझे यह कहते हुए शिक्षा मंत्री जी दुःख होता है कि वहां पर यह नजरिया लिया जाता है कि पहले जाट आया तो जाट वाईस चांसलर आया, अब ब्राहमण आया तो अब इस बार ब्राहमण वाईस चांसलर की ही भर्ती करेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जात-पात ने बर्बाद करके रख दिया है। स्पीकर सर, आज वहां की यह स्थिति है। अगर इस प्रकार की अप्वायंटमैंट मुख्यमंत्री या सरकार करेगी तो वह बहुत गलत होगा। स्पीकर सर, मेरा यह सुझाव है कि there should be a selection Committee for the appointment of Vice Chancellor. Vice Chancellor should not be appointed by the Chief Minister alone. There should be three persons involved in it. One should be the Chancellor of the University, who happens to be the Governor of the State, the second should be Chief Minister and the third person should be the Chief justice of the High

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

Court. These three persons should hold the meeting and take a decision on the appointment of the Vice Chancellor of a University. रजिस्ट्रार को आप कहीं से भेजें इससे कोई लम्बा-चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर इस तरह से सिलेक्शन होगी तो वह पद्धति ठीक होगी क्योंकि फिर ठीक आदमी आएंगे। अगर इस तरह सरकार कर पाए तो वह ज्यादा अच्छा होगा। स्पीकर सर, यही बात मैंने कहनी थी। इसके साथ-साथ जहां तक यूनिवर्सिटी की अटोनोमी की बात है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भी सरकार का एक बहाना है कि सरकार उनको ग्रांट देती है इसलिए they are to watch the interest of the State Government because the University is funded by the State Government, so they have to look after the interest of the State Government as well as of the Central Government. सर, केवल यह बात नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा यूनिवर्सिटी को अगर कहीं से मिलता है तो वह यू०जी०सी० से मिलता है और यू०जी०सी० का ही पैसा कालेज में जाता है। लेकिन यदि इन अमैंडमैंट्स को लाने के बारे में ये कहें कि इसमें स्टेट के फाईनैंशियल इंट्रैस्ट इंवाल्व हैं और हमें उनको वाच करना है तो यह बात ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार (सैकैंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 सरकार जो लाई है, मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बॉडी है और यह अमैंडमैंट उसकी फ्रीडम पर अटैक करने के लिए लाए जा रहे हैं। इस बिल से ऐसा लगता है कि वाइस चांसलर की पावर्ज को कम किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य बात है वह यह कि पहले जो भिवानी, हिसार, सिरसा और जींद जिलों के कालेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे जिसमें से भिवानी और हिसार तो इसके नजदीक पड़ते हैं लेकिन उनको इससे निकाल दिया है जबकि वे इसमें रहने चाहिए थे। इसके अलावा बाकी जो इंस्टीच्यूशंज हैं चाहे वे इंजीनियरिंग कालेज हों या मैडीकल कालेज हों वे सब इसके अंदर आने चाहिएं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाने का यही ऐम था।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, क्या आप भिवानी और हिसार को यूनिवर्सिटी में मिलाना चाहते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। रामविलास जी, ऐजूकेशन मिनिस्टर हैं और हमारे दक्षिणी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। इसलिए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने शासनकाल में वहां पर एक यूनिवर्सिटी तो खोल दें। (विघ्न) हमने तो एक रीजनल सैंटर सौ एकड़ में खोला है। अध्यक्ष महोदय, इस की सैक्शन 11 में वाइस चांसलर की अप्वायंटमैन्ट के लिए लिखा गया है। पहले यह अप्वायंटमैंट गवर्नर के द्वारा होती थी परन्तु सरकार इस बिल के द्वारा वी०सी० की अप्वायंटमैंट गवर्नमैंट की एडवाइस पर करने जा रही है जो कि गलत है। दूसरे इस बिल में रिमूवल के लिए भी लिखा गया है। अब गवर्नमैंट को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब तो अब यह हो गया है कि अब इसमें पोलिटिकल इंटरफियरैन्स पूरी हो गयी है। अगर कोई पोलिटिकल इन्टरफियरैंस होती है आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, जहां कहीं भी पोलिटिकली वी०सी० लगाया जाएगा तो इस किस्म की दिक्कतें आएंगी। यह समस्याएं आगे चलती रहेंगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें पोलिटिकल इंटरफियरैंस मिनिमम होनी चाहिए। खास तौर से गवर्नमैंट को यह पावर नहीं मिलनी चाहिए।

Section 11-B is being added after section 11-A of the principal Act. In it, it is written that Registrar be appointed by govt. इसमें पहले रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट के लिए ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल को पावर थी अब उसके साथ यह जोड़ दिया कि —

"(i) in sub-section (2) for the words and signs "The Executive Council may, from time to time", the words and signs "Government or the Executive Council may, from time to time", Shall be substituted."

इसका मतलब यह है कि यहां पहले ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इलैक्टिड बॉडीज थी, उनकी पावर्ज को आपने डायलूट कर दिया। आपने एक तीर से कई लोगों को घायल कर दिया। उसमें आप वाइस चांसलर और प्रो० वाइस चांसलर को ले लीजिए जिनके मत से ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल से लोग जाते थे। इसके अलावा जो आप अमैंडमैंट लाए हैं, according to it, the Govt. will have over-riding control. You will have more control इसमें आपने लिखा है कि "Vice-Chancellor may appoint temporarily for the purpose till regular appointment is made by the Govt."

पहले वाइस चांसलर अपवायंटमैंट करते थे और काउंसिल से उसको पास करा लिया करते थे अब आपने यह कह दिया कि "till regular appointment is made by the Govt." It means Govt. will have more control over the appointments of Vice-Chancellor or the Registrar.

मेरा केवल इतना ही कहना है कि राम बिलास जी शिक्षाविद हैं, कम से कम वे अपने कार्यकाल में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे शिक्षा के स्तर में फर्क पड़े, पोलिटिकल इंटरफियरैंस बढ़े। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर महोदय और चीफ मिनिस्टर की कमेटी द्वारा अप्वायंटमैंट होनी चाहिए। बाकी राम बिलास जी खुद विद्वान हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को वापस लें। मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यावाद।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष के माननीय नेता ओम प्रकाश चौटाला बोले, डॉ० बीरेन्द्र पाल बोले, चौधरी भजन लाल बोले, कप्तान अजय सिंह व बीरेन्द्र सिंह जी बोले। कुल मिलाकर कुछ बातें अंदेश के आधार पर कही हैं कि इससे विश्वविद्यालय के वातावरण में सरकार का दखल बढ़ेगा। मैं चौटाला साहब का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि अध्यापकों के बारे उन्होंने सम्मान भी जताया। It is a Government of teachers. The Hon'ble Speaker of this august House is a teacher. Education Minister is a teacher. Cooperation Minister is a teacher and the Hon'ble Deputy Speaker is a National Awardee teacher. एक बात तो इनको ध्यान में रखनी चाहिए कि शिक्षा संस्थाओं को पूरी ईमानदारी से संस्कार देने का काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। (विघ्न) समय और हरियाणा की जनता मानेगी कि उसने जो जिम्मेदारी हमें दी है, वह हम निभाने का प्रयास करेंगे। हमें जनता ने जो जिम्मेवारी दी वही निभाई। हम इस चार दीवारी में इधर उधर नहीं रहे। स्पीकर सर, इसमें जो अंदेशा जाहिर किया है कि इसमें कोई परिवर्तन किया है। चौधरी भजनलाल जी ने कह दिया कि एक नवम्बर, 1995 को यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। उनके प्रयत्न से आया। जब इसका विधेयक लाया गया तब भी हम इस सदन में थे उस समय शिक्षा को राजनीतिक रंग में रंगा गया। उस समय हम कार्यवाही में मौजूद थे। हमने इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व का समर्थन किया था। इसलिए किया था कि हरियाणा में एक विश्वविद्यालय और आ रहा है। 1995 में इन्होंने इस विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाया और एक नवम्बर, 1995 के अपने ही एक्ट में 9 अप्रैल, 1996 को संशोधन कर लिया। पहले इसको हायर टैक्नीकल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे थे और उसके बाद इन्होंने सिरसा, हिसार, भिवानी, जीन्द और कुरुक्षेत्र के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को भी उसमें जोड़ दिया जोकि

[श्री राम बिलास शर्मा]

अस्वाभाविक है। स्पीकर सर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है लेकिन हिसार का कोई भी दूसरा कालेज इसके साथ नहीं जोड़ा है। क्योंकि उस विश्वविद्यालय का स्वरूप एक कृषि विश्वविद्यालय का स्वरूप है और कृषि के बारे अनुसंधानों से जुड़ा है। 1995 में इस यूनिवर्सिटी के एगजिस्टेंस में जो इन्होंने किया था उसी को 1996 में बदल दिया। हमने तो इस संशोधन के माध्यम से उसी अवस्था को ही जोड़ा है। जैसा कि वीरेन्द्र सिंह ने कहा कुरुक्षेत्र रीजनल इंजीनियरिंग कालेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैम्पस में है उसको बहाल किया है। कई बार राजनीतिक कारणों से कई बातें ऐसी हो जाती हैं जिसका प्रभाव गलत हो सकता है। पूरे देश में 22 इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनमें से दो हरियाणा में हैं। रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की प्रतिष्ठा उसकी चार दीवारी में है। उस समय एक गलती हुई थी, हमने उसमें सुधार किया है। जहां तक चांसलर की शक्तियों का अतिक्रमण किया है या किसी की पावर का एनक्रोचमेंट किया है, वह सब गवर्नमैंट की एडवाईस पर किया है। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय का वातावरण प्रदेश के विकास के साथ जुड़ा है। प्रदेश की शांति बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय के वातावरण का गहरा संबंध है। कोई भी सरकार प्रदेश के विश्वविधालय के वातावरण को शांतिपूर्वक पढ़ाई का माहौल बनाये रखने में रुचि रखती है। इसलिए हमने उसमें थोड़ी सी तरमीम की है। इससे पहले आप जानते हैं कि वाइस चांसलर को सरकार अप्वांयट भी कर सकती थी और रिमूव भी कर सकती थी। इसलिए एक एडवाईस जोड़ी है। इससे पहले वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है कि गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर और पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के विश्वविद्यालयों में इस क्लाज का प्रावधान बहुत पहले से है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल चुकी है इसलिए सरकार की इसमें कोई बदनियति नहीं है। प्रदेश की सुविधा के लिए हमने इसमें कोई बात छिपाकर नहीं रखी है। पहले की सरकार बिना कायदे कानून के और बिना विधि विधान के काम किया करती थी। हम तो स्पीकर सर, आपके माध्यम से विश्वविद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं और पढ़ाई के माहौल का निर्माण करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में चलने वाले विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़े, रुतबा बढ़े और स्टेट्स बढ़े। इसलिए थोड़ा सा संशोधन इसमें किया है।

Mr. Speaker : Question is—

That Guru Jambheswar University Hisar (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

वाक आऊट

आवाजें : स्पीकर साहब, आपने इस मोशन को पास भी कर दिया, इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित, समता पार्टी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के समस्त सदस्यगण सदन से वाक आऊट कर गए)

गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरसम्म)

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is -

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker :

CLAUSE 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment), Bill, 1996.

She will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Dr. Kamla Verma) : Sir, I introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Tile of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1996. She will also move the motion for its consideration.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I would request that the time of the sitting may kindly be extended.

Mr. Speaker : Yes, with the permission of the House, the time of the sitting is extended by 15 minutes.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरास्थ)

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं प्रस्ताव करती हूँ —
कि बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि हरियाणा श्री माता शीतला देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Local Government Miniser will introduce the Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996. She will also move the motion for its consideration.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं हरियाणा श्री माता शीतलादेवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 1996 पेश करती हूँ। साथ ही मैं प्रस्ताव करती हूँ कि हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि—

बिल पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996. She will also move the motion for its consideration.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : मैं हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 1996 पेश करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Billl be taken into consideration at once .

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Billl be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ —
कि बिल पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, कल कोई नॉन ऑफिशियल वर्क नहीं है जब कि कल नॉन ऑफिशियल डे है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कल के नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर लिया जाए। जो बिजनैस आज रह गया है वह 21.11.1996 को कर लिया जाए और दूसरे ऑफिशियल वर्क भी कर लिए जाएं। इसलिए Sir, I beg to move—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 21st November, 1996.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 21st November, 1996.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 21st November, 1996.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

* 15.39 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 21st November, 1996.)

28451-HVS - H.G.P., Chd.